उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

आपके निदेशक मण्डल को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी के कार्य निष्पादन एवं क्रिया कलापों पर 17वीं वार्षिक प्रतिवेदन, सम्प्रेक्षित लेखा विवरणों, सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा लेखा विवरणों की समीक्षाधीन अवधि की समीक्षा प्रस्तुत करते हुये प्रसन्नता हो रही है।

प्रस्तावना :–

उ॰प्र॰ सरकार की अधिसूचना सं॰ 2974(1)/24–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के द्वारा उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ से उ॰प्र॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰ का उद्‌गम हुआ। अन्तरण योजना के अन्तर्गत पारेषण गतिविधियाँ जिसमें सम्पत्तियों, दायित्वों एवं संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए दिनांक 01 अप्रैल, 2007 की प्रभावी तिथि से उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ द्वारा उ॰प्र॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰ को अंतरित कर दी गई। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 के अनुसार, उ॰प्र॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰ एक राज्य पारेषण उपयोगिता है।

वित्तीय निष्पादन :–

समीक्षाधीन अवधि में कम्पनी के वित्तीय परिणामों के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
ऊर्जा के पारेषण से राजस्व	3,296.84	3,492.74
अन्य आय	267.85	330.14
योग (अ)	**3,564.69**	**3,822.87**
व्यय		
परिचालन व्यय :		
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	448.65	458.64
कर्मचारी लागत	344.46	361.28
प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय	64.82	63.10
योग (ब)	**857.93**	**883.02**

अवक्षयण, ब्याज एवं प्रावधान के पूर्व परिचालन लाभ/(हानि) स=(अ–ब)	**2,706.76**	**2,939.85**
ब्याज एवं वित्त प्रभार	1,189.38	1,131.12
अवक्षयण	1,391.78	1,264.75
अशोध्य ऋण एवं प्रावधान	–	2.99
योग (द)	**2,581.16**	**2,398.86**
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	**125.60**	**540.99**
अस्थगित कर	136.85	226.67
कर के पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)	**(11.25)**	**314.32**

पूंजी संरचना :–

कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 2,46,30,737 की संख्या में समता अंश उ०प्र० सरकार को ₹ 1000 प्रति अंश के मूल्य पर निर्गत किये थे। परिणामस्वरूप, कम्पनी की समता अंशपूंजी ₹ 1,50,60,06,68,000 से बढ़कर ₹ 1,75,23,14,05,000 हो गयी है जिसमें ₹ 1000 प्रति के 17,52,31,405 के समता अंश सम्मिलित है।

धारा 134 (3)(बी) के अनुरूप निदेशक मण्डल की बैठकों से सम्बन्धित सूचनाएं :–

कम्पनी द्वारा बोर्ड की बैठकों को आयोजित करने एवं बुलाने से सम्बन्धित सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन किया गया है एवं तदनुसार, वर्ष के दौरान 4(चार) बोर्ड मीटिंग की गयी तथा किन्हीं दो बोर्ड की साभाओं के मध्य 120 दिनो से अधिक का अन्तराल नहीं था।

I. 17 अप्रैल, 2020

II. 28 जुलाई, 2020

III. 03 नवम्बर, 2020

IV. 16 फरवरी, 2021

दो बैठकों के मध्य के अंतराल के निर्धारण में बोर्ड की बैठको से सम्बन्धित कंपनी अधिनियम, 2013 और सचिवीय मानक–1 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

बोर्ड की कार्य प्रणाली

निदेशक मण्डल ने हमारे हितधारकों के प्रति निगमित दायित्व की पूर्ति करने के लिये निगमित अभिशासन प्रथाओं एवं दिशा निर्देशों का अनुसरण किया है। ये दिशा निर्देश सुनिश्चित करते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बोर्ड के पास क्रिया कलापों की समीक्षा व मूल्यांकन करने तथा आवश्यकता पड़ने पर कार्यान्वयन का आवश्यक अधिकार एवं प्रक्रियायें होंगी। बोर्ड ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के लिये अनेकों समितियां भी गठित की हैं।

सामान्यतया निदेशक मण्डल की बैठके कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आहूत की जाती हैं। बोर्ड बैठक की तिथियां काफी पहले निश्चित कर ली जाती हैं तथा बोर्ड के सदस्यों को सूचित कर दी जाती है जिससे वे तदनुसार अपने कार्यक्रमों

की योजना बना सकें। एजेन्डा व एजेन्डा पर टिप्पणियां निर्धारित एजेन्डा प्रारूप में निदेशको को पर्याप्त समय पूर्व प्रसारित कर दी जाती हैं। बैठक में सार्थक व केन्द्रित विचार विमर्श में सहायता करने के लिये एजेन्डा में सभी महत्वपूर्ण सूचनायें शामिल की जाती हैं। कुछ परिस्थितियों में एजेन्डा को बैठक में अध्यक्ष की आज्ञा से भी शामिल किया जाता है, सिवाय उन मदों को जो मूल्य संवेदनशील प्रकृति के हैं। एजेन्डे की मदें विभिन्न वैधानिक व गैर वैधानिक मामलों से सम्बन्धित बोर्ड की बैठकों तथा अन्य बैठकों के लिए विचार विमर्श एवं उपयुक्त निर्णय लेने हेतु विस्तृत एवं सूचनात्मक है। कभी–कभी कुछ अत्यावश्यक मुद्दों के समाधान हेतु कुछ व्यवसायिक संव्यवहार परिचालन के माध्यम से संकल्प पारित करके किये जाते हैं। आपकी कम्पनी ने बोर्ड बैठक व साधारण बैठक के सम्बन्ध में भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरी ऑफ इण्डिया, द्वारा निर्गत लागू सचिवीय मानकों के पालन करने का पूर्ण प्रयास किया है।

सभी वैधानिक, महत्वपूर्ण व आवश्यक सूचना बोर्ड के सम्मुख रखी जाती है। बोर्ड के सदस्यों के पास कम्पनी की सभी सूचनाओं तक पूरी पहुँच होती है। कभी कभी बोर्ड द्वारा विचार विमर्श किये जा रहे मदों पर अतिरिक्त सूचना देने के लिये प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी बोर्ड बैठक में आमंत्रित किया जाता है। बोर्ड के सम्मुख कम्पनी के विभिन्न कार्यात्मक व परिचालन क्षेत्र जैसे वित्तीय विशिष्टताएं, प्रमुख परियोजनायें व उनकी प्रगति, परिचालन आदि का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया जाता है।

बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त, बैठक के बाद यथाशीघ्र तैयार किये जाते हैं व तत्पश्चात सभी निदेशकों को इस पर उनकी टिप्पणी हेतु प्रसारित किया जाता है। निदेशकों की टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद मामले को निर्धारित समय सीमा के भीतर हस्ताक्षर हेतु अध्यक्ष को अग्रसारित किया जाता है। संगत कार्यवृत्त सम्बन्धित विभाग/समूह को कार्यान्वयन हेतु तथा सभी निदेशकों को टिप्पणी हेतु प्रसारित किये जाते हैं। बोर्ड के निर्णयों पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन (ए॰टी॰आर॰) प्राप्त किया जाता है तथा समीक्षा हेतु अगली बोर्ड बैठक में रखा जाता है।

<u>निदेशको के उत्तरदायित्व का विवरण</u> :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(सी) एवं 134(5) की आवश्यकताओं के अनुरूप निदेशकगण एतद्द्वारा पुष्टि करते है कि:–

(अ) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है, सिवाय कुछ मामलों मे, जो कि विद्युत (प्रदाय) (वार्षिक लेखे) नियम 1985 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप हैं जिनपर तद्नुसार लेखांकन नीतियाँ निर्धारित करते हुये उनका लेखों पर टिप्पणियों में समुचित प्रकटन देते हुये अनुपालन किया गया है।

(ब) निदेशकगण द्वारा समुचित लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है सिवाय उन विचलनों के जिनका अलग से उल्लेख किया गया है तथा निर्णय एवं अनुमान निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि यह उचित एवं विवेकपूर्ण हो ताकि 31 मार्च, 2021 को कम्पनी के क्रियाकलापों तथा समीक्षाधीन कथित वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि खाते की यथार्थ एवं उचित स्थिति परिलक्षित हो।

विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 178 सपठित धारा 61 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचना सं॰ एल–1/236/2018/सी॰ई॰आर॰सी॰ दिनांक 07.03.2019 के माध्यम से निर्गत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की नियम व शर्तें) विनियम 2019 के परिशिष्ट–I में दी गई पद्धति के अनुसार अवक्षयण भारित किया गया है। कथित विनियम दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024 की अवधि हेतु प्रभावी है। अवक्षयण सीधी रेखा पद्धति पर मूल लागत के 10% बचे मूल्य के साथ निर्धारित दरों से भारित किया गया है (सिवाय अस्थाई निर्माण जैसे लकड़ी की संरचना के मामले में, जहां अवक्षयण की दर 100% है तथा सूचना एवं प्रोद्योगिकी उपकरण व साफ्टवेयर के मामले में, जहां अवक्षयण योग्य मूल्य 100% व बचा हुआ मूल्य शून्य है)। वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों के परिवर्धनों/घटाव पर अवक्षयण अनुपातिक आधार पर उस माह से उस माह तक जिसमें परिसम्पत्ति व्यावसायिक प्रयोग में लायी गई है/बेची गयी है, भारित किया गया है।

(स) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखा–धड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने हेतु यथेष्ट लेखीय अभिलेखों के रख–रखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है। अग्रेतर अंशधारकों को सूचित करना है कि विभिन्न कमियां जो प्रबन्धन द्वारा पायी गई तथा वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं सी॰ए॰जी॰ द्वारा इंगित की गई, उन्हें संज्ञान में लिया जायेगा तथा आवश्यकता हुई तो उसका लेखांकन अग्रेतर वर्षों में कर लिया जायेगा।

(द) निदेशको द्वारा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखे सतत व्यापार आधार पर तैयार किये गये हैं।

(य) समस्त प्रभावी विधियों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निदेशकगण द्वारा समुचित प्रणाली तैयार की गई है तथा कथित प्रणाली यथोचित एवं प्रभावशाली रूप से क्रियाशील थी।

<u>स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा</u> :–

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने से सम्बन्धित धारा 149 के प्रावधान कम्पनी पर लागू है। कम्पनी द्वारा निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

<u>निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान व कर्तव्यों के निर्वाह से सम्बन्धित कम्पनी की नीतियाँ</u> :–

अधिसूचना संख्या जी॰एस॰आर॰ 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के प्रभाव से नामांकन व पारिश्रमिक समिति से सम्बन्धित धारा 178(2),(3) एवं (4) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नही है अतः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178(3) के अन्तर्गत प्रावधानित अर्हताएँ, सकारात्मक गुण, निदेशकों की स्वतंत्रता तथा अन्य सम्बन्धित मामले सहित नियुक्ति एवं पारिश्रमिक सम्बन्धी कोई नीति कम्पनी द्वारा तैयार नही की गई है।

सम्प्रेक्षकों तथा पेशेवर कम्पनी सचिव द्वारा उनके प्रतिवेदनों में दिये गये प्रतिबन्ध, निर्बन्ध अथवा प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी :–

सम्प्रेक्षकों एवं सी॰ एण्ड ए॰जी॰ तथा पेशेवर कम्पनी सचिव द्वारा उनके प्रतिवेदनों में अंकित प्रतिबन्ध निर्बन्ध अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा स्पष्टीकरण/टिप्पणी क्रमशः इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–I, II एवं III के रूप में प्रस्तुत किये गये है तथा इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अन्तर्गत ऋण, गारण्टी व विनियोगों का विवरण :–

अधिसूचना संख्या जी॰एस॰आर॰ 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के प्रभाव से धारा 186 में नियत ऋण, गारण्टी व विनियोगों के प्रावधान सरकारी कम्पनी पर लागू नही हैं।

सम्बन्धित पक्षों के साथ किये गये अनुबन्धों अथवा व्यवस्थाओं का विवरण :–

चूँकि कम्पनी के नित्य क्रियाकलापों के दौरान ऐसे कोई भी समव्यवहार नहीं किये गये जो कि निष्पक्ष आधार पर न हों अतएव धारा 188 के आलोक में सम्बन्धित पक्षों के साथ किये गये अनुबन्धों अथवा व्यवस्थाओं हेतु प्रावधान कम्पनी पर लागू नही हैं।

परिचालन प्रदर्शन

अ. उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के पास एक विशाल विद्युत पारेषण नेटवर्क है। वर्ष 2020–21 के दौरान निगम के पास 765केवी से 132केवी तक के विभिन्न वोल्टेज स्तरों के 598 सबस्टेशन थे और कुल परिवर्तन क्षमता 1,28,950 एमवीए थी। यह बिजली के निर्बाध प्रवाह को सुगम बनाने वाली राज्य की पूरी लंबाई और चौड़ाई में फैली लाइनों की 45,907 सर्किट किलोमीटर की दूरी तय करती है। वर्ष 2020–21 के दौरान पारेषण प्रणाली द्वारा 23,867 मेगावाट की अधिकतम मांग को पूरा किया गया। जबकि वर्ष 2021–22 के दौरान 25,475 मेगावाट की अधिकतम मांग और वर्ष 2022–23 (30 जून, 2022 तक) के दौरान 26,290 मेगावाट की अधिकतम मांग को पारेषण प्रणाली से पूरा किया गया। इतने बड़े नेटवर्क के संचालन और रखरखाव हेतु काफी प्रयास और सतर्क निगरानी की आवश्यकता होती है।

ब. अपस्ट्रीम ट्रांसमिशन में कमी वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार, उपलब्ध पारेषण क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए, यूपीपीटीसीएल ने प्राथमिकता के आधार पर 33 केवी और 132 केवी वोल्टेज स्तरों पर कैपेसिटर बैंकों की स्थापना शुरू की है। वर्ष 2020–21 में 910 एमवीएआर कैपेसिटर स्थापित किये गये।

परिचालन प्रमुखताएँ

अ. वर्ष 2020–21 के दौरान 400केवी का 1 सबस्टेशन, 220केवी का 5 सबस्टेशन एवं 132केवी के 17 सबस्टेशन को सक्रिय किया गया तथा 400केवी का 1 सबस्टेशन, 220केवी का 15 सबस्टेशन एवं 132केवी के 78 सबस्टेशनो की क्षमता बढानें का काम पूरा किया गया। 400केवी का 137 सीकेएमएस, 220केवी का 448 सीकेएमएस तथा 132केवी के 1274 सीकेएमएस लाईनों में विद्युतिकरण किया गया। 132केवी स्तर पर 400 एमवीएआर कैपेसिटर बैंक एवं 33केवी स्तर पर 510 एमवीएआर को सक्रिय किया गया।

ब. वर्ष 2020–21 के दौरान 400केवी का 2 सबस्टेशन, 220केवी का 6 सबस्टेशन एवं 132केवी के 7 सबस्टेशन को सक्रिय किया गया तथा 400केवी का 1 सबस्टेशन, 220केवी के 18 सबस्टेशन एवं 132केवी के 100 सबस्टेशनो की क्षमता बढानें का काम पूरा किया गया। 765केवी के 426 सीकेएमएस, 400केवी का 242 सीकेएमएस, 220केवी के 415 सीकेएमएस तथा 132केवी के 1379 सीकेएमएस लाईनों को सक्रिय किया गया। 33केवी स्तर पर 110 एमवीएआर कैपीसिटर बैंकों को सक्रिय किया गया।

स. वर्ष 2022–23 के दौरान जून 2022 तक, 400केवी का 1 सबस्टेशन तथा 220केवी के 2 सबस्टेशन को सक्रिय किया गया तथा 220केवी के 2 सबस्टेशन एवं 132केवी के 8 सबस्टेशनो की क्षमता बढानें का काम पूरा किया गया। 220केवी के 197 सीकेएमएस तथा 132केवी के 358 सीकेएमएस लाईनों को सक्रिय किया गया। 33केवी स्तर पर 30 एमवीएआर कैपीसिटर बैंकों को सक्रिय किया गया।

द. विशेष रूप से सोलर ओपन एक्सेस परियोजनाओं के लिए सफलतापूर्वक ऑनलाईन कनेक्टिविटी पोर्टल लांच किया गया जो यूपीईआरसी नियमों के अनुसार 24x7 खुला रहेगा।

परियोजनाओं की निगरानी निदेशक (कार्य एवं परियोजना) यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ द्वारा की जा रही है। लाईनों और सब स्टेशनों के चालू होने के बाद निदेशक (संचालन) कार्यालय उनके उचित संचालन और रखरखाव की निगरानी करता ह।

संचालन की स्थिरता

पिछले कुछ गत वर्षों के दौरान पारेषण तंत्र का काफी विस्तार किया गया है। इसलिए, कम से कम दोषों के साथ विश्वसनीय संचालन के लिए, ट्रांसमिशन सिस्टम को नियमित आधार पर लाइनों और उप–केन्द्रों के सुरक्षात्मक और नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप निम्न प्रमुख कदम उठाए गए :

अ. ट्रांसमिशन लाइनों की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ परावर्तक की क्षमता ने पुराने उपकेन्द्रों पर मौजूदा बस बार को अतिभारित कर दिया है। इसलिए, विभिन्न उपकेन्द्रों पर 220 केवी, 132 केवी और 33 केवी वोल्टेज स्तर के मौजूदा बस बारों को सुदृण किया गया।

ब. अन्य उपलब्ध लाइनों को समकालिक तरीके से संचालित करने की व्यवस्था की गई। इससे पारेषण नेटवर्क की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई और साथ ही पारेषण हानियों में कमी आई।

स. पारेषण लाइनों की गश्त, गलियारा निकासी का उचित रखरखाव, जम्पर कसना, विसंवाहको की सफाई और दोषपूर्ण विसंवाहको, टूटे हुए ग्राउंड तारों और लापता टावर सदस्यों को बदलना। ट्रांसमिशन लाइनों में खराबी को कम करने के लिए ट्रांसमिशन लाईन विसंवाहको की सफाई की गई।

द. ढीले जोड़ों का पता लगाने के लिए पारेषण लाइनों और स्विच यार्ड की थर्मोविजन स्कैनिंग। कंडक्टर या उपकरण की विफलता से बचाने हेतु अधिक ताप वाले समस्त जोड़ो को शटडाउन प्राप्त होने के बाद तुरंत ध्यान दिया जाता है।

य. परावर्तक के स्वास्थ्य की निगरानी और किसी भी समस्या का शीघ्र पता लगाने के लिए नियमित अंतराल पर विद्युत परावर्तक के तेल की जांच। विद्युत परावर्तक का रखरखाव जिसमें तेल का निस्पंदन, तेल रिसाव की जांच, शीतलन प्रणाली का रखरखाव आदि शामिल है। स्विचयार्ड अर्थिंग की निगरानी।

र. स्विचगियर्स एवं आइसोलेटर्स तथा सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण और रखरखाव।

वित्तीय वर्ष **2020-21** के दौरान भौतिक उपलब्धियां :–

अ. लाइनें :–

क्रम संख्या	वोल्टेज क्षमता (के॰वी॰)	वित्तीय वर्ष **2020–21** में कुल लाइन–लम्बाई निर्माण (सर्किट किमी)	दिनांक **31.03.2021** को कुल लाइन–लम्बाई (सर्किट किमी)
1	765 के॰वी॰	शून्य	1085.370
2	400 के॰वी॰	137.108	6379.489
3	220 के॰वी॰	448.152	13434.137
4	132 के॰वी॰	1273.596	25008.211

ब. (i) उप केन्द्र :–

वोल्टेज	नये संस्थापित		क्षमता वृद्धि		दिनांक **31.03.2021** को कुल परिवर्तक क्षमता (एम॰वी॰ए॰)
	उप केन्द्रों की संख्या	क्षमता (एम॰वी॰ए॰)	उप केन्द्रों की संख्या	क्षमता (एम॰वी॰ए॰)	
765 के॰वी॰	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	6000
400 के॰वी॰	01	400	01	500	21720
220 के॰वी॰	05	860	15	1780	47420
132 के॰वी॰	17	863	78	2514	53810

ब. **(ii)** कैपिसिटर्स

132 के॰वी॰ – 400 एम॰वी॰ए॰आर॰

33 के॰वी॰ – 510 एम॰वी॰ए॰आर॰

ब. **(iii)** बे (ऊर्जीकृत)

1. 400 के॰वी॰ – 05 नग
2. 220 के॰वी॰ – 07 नग
3. 132 के॰वी॰ – 33 नग
3. 33 के॰वी॰ – 137 नग

संस्थापित एवं परिचालित **400** के॰वी॰ उपकेन्द्रों की सूची :–

1. 400 के॰वी॰ जीआईएस एस/एस सेक्टर–123, नोएडा

संस्थापित एवं परिचालित **220** के॰वी॰ उपकेन्द्रों की सूची :–

1. 220 के॰वी॰ एस/एस वृन्दावन
2. 220 के॰वी॰ एस/एस मधुबन बापूधाम

3. 220 के॰वी॰ एस/एस कासगंज
4. 220 के॰वी॰ एस/एस बधाईकला
5. 220 के॰वी॰ हाईब्रिड एस/एस निरपुरा

संस्थापित एवं परिचालित 132 के॰वी॰ उपकेन्द्रों की सूची :–

1. 132 एस/एस राजापुर
2. 132 के॰वी॰ एस/एस मिश्रिख
3. 132 के॰वी॰ एस/एस कछवा
4. 132 के॰वी॰ एस/एस एफसीआई–II
5. 132 के॰वी॰ एस/एस मोहनलालगंज
6. 132 के॰वी॰ एस/एस अहरौरा
7. 132 के॰वी॰ एस/एस भरावन
8. 132 के॰वी॰ एस/एस पैलानी
9. 132 के॰वी॰, एस/एस छोलापुर
10. 132 के॰वी॰ एस/एस हुसैनगंज
11. 132 के॰वी॰ एस/एस कैराना
12. 132 के॰वी॰ एस/एस ईटीयाहोक
13. 132 के॰वी॰ एस/एस ओयल
14. 132 के॰वी॰ एस/एस मीरगंज
15. 132 के॰वी॰ एस/एस तिलोई
16. 132 के॰वी॰ एस/एस बड़ागांव
17. 132 के॰वी॰ एस/एस कैसरगंज

उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र (यूपीएसएलडीसी)

उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र (यूपीएसएलडीसी) की स्थापना विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। तदनुसार, यूपीएसएलडीसी यूपी राज्य में बिजली व्यवस्था के एकीकृत संचालन के लिए शीर्ष निकाय है। इसके कार्यों में बिजली का सारणीयन और प्रेषण, ग्रिड संचालन की निगरानी, ऊर्जा लेखांकन, अंतःराज्यीय ग्रिड का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, वास्तविक समय आपूर्ति सूचीयन द्वारा ग्रिड संचालन आदि शामिल हैं। यूपीएसएलडीसी प्रशासनिक/ग्रिड सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार मांग प्रबंधन भी कर रहा है। एसएलडीसी केन्द्रीय और राज्य नियामक आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आदेशित है। ग्रिड संचालन केंद्र और राज्य आयोग द्वारा जारी ग्रिड संहिता के अनुसार किया जाता है। उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग ने अधिनियम के तहत कई अन्य विनियम बनाए हैं और एसएलडीसी उसी के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

एसएलडीसी की मुख्य रूप से गतिविधियां निम्नवत हैं:

- **वास्तविक समय ग्रिड संचालन** : ग्रिड सुरक्षा के हित में, यह आवश्यक है कि सूचीकृत निकासी और वास्तविक निकासी के बीच का अंतर हर समय न्यूनतम हो, पारेषण लाइनों की अतिभारिता से बचा जाए, सभी उपकेन्द्रों और उत्पादन केन्द्रों पर निर्दिष्ट सीमा तक वोल्टेज को बनाए रखा जाए, बिजली का प्रेषण इस तरह से किया जाए कि बिजली उत्पादन की लागत न्यूनतम हो। एसएलडीसी और एएलडीसी (क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र) में बिजली प्रणाली के मापदंडों की सतत निगरानी से मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखा जाता है। एसएलडीसी के अन्तर्गत चार एएलएसडीसी सारनाथ, मुरादाबाद, पनकी और मोदीपुरम में स्थित हैं। बैक अप एसएलडीसी भी मोदीपुरम में स्थित है। संकुलता प्रबंधन और प्रतिक्रियात्मक बिजली प्रबंधन बिजली व्यवस्था के संचालन के अन्य पहलू हैं जिन्हें ग्रिड के सुरक्षित संचालन के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है। एसएलडीसी उत्तरी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र (एनआरएलडीसी), उत्पादन केन्द्रों, यूपी की बिजली वितरण कंपनियों और पारेषण प्रणाली प्राधिकरणों के समन्वय से ग्रिड मापदंडों की 24 x 7 निगरानी द्वारा सुरक्षित ग्रिड संचालन सुनिश्चित करता है। ग्रामीण, बुंदेलखंड और तहसील स्तर पर अधि ासूचित घंटे के अनुसार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली की रोस्टरिंग लागू की गई है। जब भी ग्रिड से निश्चित सीमा से निकासी अधिक हो जाती है तो आपातकालीन रोस्टरिंग की भी आवश्यकता होती है। वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन अठारह घंटे, बुंदेलखंड क्षेत्र में बीस घंटे, तहसील स्तर पर साढ़े इक्कीस घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। वितरण कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (टी) की सिफारिश के आधार पर नियत फीडरों और समयावधि के लिए छूट मुक्त बिजली सुनिश्चित की जाती है। वर्ष के दौरान 23867 मेगावाट और 123141 मिलियन ईकाई की अधिकतम मांग बिना किसी नेटवर्क बाधा के पूरी की गई।
- सीईआरसी विनियमन के अनुसार एनआरएलडीसी को ग्रिड सुरक्षा के हित में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एसएलडीसी को निर्देश जारी करने को आदेशित है। ग्रिड कोड के अनुपालन में एनआरएलडीसी के निर्देशों के अनुसार जब भी आवश्यक हो आपातकालीन रोस्टरिंग की जाती है। वर्ष के दौरान आपातकालीन रोस्टरिंग को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। वास्तविक समय संचालन के लिए एससीएडीए उपकेन्द्रों और उत्पादन केन्द्रों के वास्तविक समय के समक प्रगहण करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। मार्च 2021 में सीईआरटी के साईबर सुरक्षा दिशा निर्देशों और ऊर्जा मंत्रालय के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है और सितम्बर, 21 तक सीईआरटी के सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है।
- एसएलडीसी रखरखाव के लिए नवीन घटको को ऊजीकृत करने और पारेषण घटकों/उत्पादक इकाइयों को बंद करने की सुविधा भी प्रदान करता है। वर्ष के दौरान एसएलडीसी ने लगभग 307 नए घटकों को ऊजीकृत करने की सुविधा प्रदान की।
- एसएलडीसी अल्पकालीन निर्बाध अभिगम के लिए केन्द्रीय अभिकरण है, 2020–21 के दौरान 54 नए ग्राहकों को अल्पकालीन निर्बाध अभिगम की अनुमति दी गई है। ओपन एक्सेस अप्रूवल की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, ग्राहकों की मदद के लिए एसओपी और शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस प्रक्रिया का वीडियो प्रदर्शन

वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। एसएलडीसी राज्य ग्रिड पर प्रसारित बिजली के ऊर्जा लेखांकन के लिए भी उत्तरदायी है, यह ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। ओपेन एक्सेस ग्राहकों और नवीकरणीय जनरेटर को जोडने के कारण ऊर्जा खाता विवरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है, मार्च, 21 माह में 633 और वर्ष 2020-21 में लगभग 6000 ऊर्जा खातों को खोला गया।

1. नियोजन व वाणिज्यिक गतिविधियाँ :–

(अ) नियोजन गतिविधियाँः–

(i) एक तकनीकी–आर्थिक अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली विकसित करना।

(ii) डिस्काम/यूपीपीसीएल/एसएलडीसी से मुख्य निविष्ट आंकड़ों अर्थात् भार, मांग, उत्पादन योजना का संग्रहण और तदनुसार भार प्रवाह अध्ययन।

(iii) विकसित प्रणाली में विभिन्न भार और उत्पादन के परिदृश्यों के लिए पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए।

(iv) सीईए पारेषण योजना मानदंड–2013 के अनुसार योजना और अनुमोदन (आमतौर पर 5 साल की सीमा के लिए), जिसे यूपीपीटीसीएल के निदेशक मण्डल द्वारा अपनाया गया है।

(v) आयात आवश्यकताओं के अनुरूप कुल अंतरण क्षमता (टीटीसी) सुनिश्चित करना।

(vi) प्रमुख कार्यों के लिए सीईए, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) का अनुमोदन प्राप्त करना।

उपरोक्त के अलावा, इस वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे, यूपीईआरसी एमवाईटी विनियम, 2019 के अनुसार, ₹ 20 करोड़ से अधिक की लागत वाली सभी नई परियोजनाओं के लिए तिमाही आधार पर यूपीईआरसी से पूर्व निवेश अनुमोदन लिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 1,579.49 करोड़ की लागत के विभिन्न पारेषण कार्यों को मंजूरी दी गई। यूपीईआरसी विनियमन के अनुपालन में, ₹ 579.66 करोड़ (₹ 20 करोड़ से अधिक की लागत) की परियोजनाओं को निवेश अनुमोदन के लिए यूपीईआरसी को प्रस्तुत किया गया थाः–

धनराशि ₹ करोड़ में

परियोजनाओं
पहली और दूसरी तिमाही वित्तीय वर्ष 2020–21 (यूपीईआरसी के आदेश दिनांक 10.2.2021 में स्वीकृत)
132 केवी हसनपुर, अमरोहा सबस्टेशन और संबंधित लाइनें।
132 केवी पडरौना, कुशीनगर सबस्टेशन और संबंधित लाइनें।
132 केवी कैलादेवी, संभल सबस्टेशन और संबंधित लाइनें।
132 केवी फरिहा सबस्टेशन और संबंधित लाइनें।
132 केवी एरच और 132 केवी मोठ, झांसी सबस्टेशन और संबंधित लाइनों का उन्नयन।

तीसरी तिमाही वित्तीय वर्ष 2020–21 (यूपीईआरसी के आदेश दिनांक 6.5.2021 में स्वीकृत)*
220/33 केवी खोराबार (गोरखपुर) एस/एस एवं संबंधित लाईने।
132/33 केवी घरीघाट (गोंडा) एस/एस एवं संबंधित लाईने।
इस अनुभाग के अन्तर्गत 400 केवी मछलीशहर (जौनपुर) एस/एस प्रणाली को मजबूत करने का कार्य
चौथी तिमाही वित्तीय वर्ष 2020–21 (यूपीईआरसी के आदेश दिनांक 12.7.2021 में स्वीकृत)
2x315 एमवीए से 2x500 एमवीए ट्रांसफार्मर तक 400/220 केवी पंकी एस/एस में वृद्धि
टीएचडीसी खुर्जा पावर प्लांट (2x660 मेगावाट) में 400 केवी डीसी शामली–अलीगढ़ लाइन के एक सीकेटी का एलआईएलओ

*वित्तीय वर्ष 2021–22 की पहली तिमाही में 220/33 केवी किदवईनगर, कानपुर के संशोधन कार्य को मंजूरी दी गई थी।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कुल 10 टीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित की गई और ₹ 1791.56 करोड़ की लागत वाले विभिन्न ट्रांसमिशन कार्य स्वीकृत किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए यूपीईआरसी द्वारा दी गई निवेश मंजूरी की स्थिति इस प्रकार है–

परियोजनाओं
पहली तिमाही वित्तीय वर्ष 2021–22 (यूपीईआरसी के आदेश दिनांक 26.10.2021 में स्वीकृत)
3x60 एमवीए, 220/33 केवी जीआईएस सबस्टेशन, किदवई नगर, गोविंद नगर (कानपुर) और संबंधित लाइनों का निर्माण। *(13वीं योजना दिनांक 27.12.2018 की 20वीं बैठक में टीडब्ल्यूसी द्वारा अनुमोदित पूर्व योजना में संशोधन)।*
दूसरी तिमाही वित्तीय वर्ष 2021–22 (यूपीईआरसी के आदेश दिनांक 6.5.2021 में स्वीकृत)
132 केवी मौरानीपुर–गुरुसराय एस/सी लाइन और संबद्ध खण्डों का निर्माण
132/33 केवी शोहरतगढ़ (सिद्धार्थनगर) एस/एस एवं सम्बनित लाईने
तीसरी तिमाही वित्तीय वर्ष 2021–22 (याचिका प्रस्तुत दिनांक 27.04.022)
2x60 एमवीए, 220/33 केवी बदायूं रोड (बरेली) एस/एस और इससे जुड़ी लाइनें।
2x63 एमवीए, 132 केवी बुढाना–2 (मुजफ्फरनगर) एस/एस और इससे जुड़ी लाइनें।
2x40 एमवीए, 132 केवी नारायणी (बांदा) एस/एस और इससे जुड़ी लाइनें।
2x40 एमवीए, 132 केवी राम नगर (बाराबंकी) एस/एस और उससे जुड़ी लाइनों का निर्माण।
चौथी तिमाही वित्तीय वर्ष 2021–22 (याचिका दायर की जानी है)
(2x160+2x63) एमवीए 220 केवी तिरवा, कन्नुज एस/एस और टीबीसीबी के तहत इससे संबद्ध लाइनें।
3x63 एमवीए 132 केवी नोएडा सेक्टर–62 से 2x160 एमवीए 220 केवी नोएडा सेक्टर–62, गौतमबुद्धनगर एस/एस और इससे जुड़ी लाइनों का उन्नयन।

वित्तीय वर्ष 2022–23 की पहली तिमाही के दौरान, मुख्य रूप से संशोधित जीईसी–द्वितीय योजनाओं के तहत परियोजनाओं, 19 सबस्टेशन और इससे जुड़ी लाइनों को टीडब्ल्यूसी और बीओडी द्वारा अनुमोदित किया गया है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया हैः –

क्र. सं.	वोल्टेज (केवी)	परियोजनाओं का नाम
1	765	765/400/220 केवी, 2x1500+3x500 गरोठा (झांसी) (765 केवी गरोठा–मैनपुरी लाइन के प्रत्येक छोर पर 240 एमवीएआर लाइन रिएक्टर के साथ) और इससे जुड़ी लाइनों का निर्माण
2	765	765/400/220 केवी, 1x1500+2x500 एमवीए तालबहाट (ललितपुर) और इससे जुड़ी लाइनों का निर्माण
3	400	400/220/132 केवी, 2x500+2x160 एमवीए महेबा (जालौन) और इससे जुड़ी लाइनों का निर्माण
4	220	220/132 केवी, 2x160 एमवीए मौजूदा 400 केवी बांदा एस/एस (डबल मुख्य ट्रांसफर) और इससे जुड़ी लाइनों पर
5	220	220/132/33 केवी 2x160+2x40 एमवीए हमीरपुर एस/एस और इससे जुड़ी लाइनें
6	220	220/132/33 केवी, 1x160+1x40 एमवीए चरखारी एस/एस और इससे संबद्ध लाइनें
7	220	220/132/33 केवी, 2x160+2x40 एमवीए जैतपुर (महोबा) और इससे जुड़ी लाइनों का निर्माण
8	132	132/33 केवी 2x40 एमवीए बबेरू (बांदा) एस/एस और इससे संबद्ध लाइनें
9	132	132/33 केवी 2x40 एमवीए मस्कारा (हमीरपुर) एस/एस और इससे संबद्ध लाइनें
10	220	220/132/33 केवी, 2x160+2x40 एमवीए बिरधा (ललितपुर) और इससे जुड़ी लाइनों का निर्माण
11	220	220/132/33 केवी, 2x160+2x40 एमवी ए मंडावरा (ललितपुर) और इससे जुड़ी लाइनें
12	220	220/132/33 केवी, 1x160+1x40 एमवीए डाकौर (जालौन) और इससे जुड़ी लाइनें
13	220	220/132/33 केवी, 2x160+2x40 एमवीए बमौर (झांसी) और इससे जुड़ी लाइनें
14	220	220/132/33 केवी, 2x160+2x40 एमवीए बांगरा (झांसी) और इससे जुड़ी लाइनों का निर्माण
15	220	220/132/33 केवी, 1x160+1x40 एमवीए कबराई (महोबा) और इससे जुड़ी लाइनों का निर्माण
16	132	132/33 केवी, 2x40 एमवीए कदौरा (जालौन) और इससे जुड़ी लाइनें
17	132	132/33 केवी, 2x40 एमवीए कुठौंड, जालौन (डबल मुख्य ट्रांसफर) और इससे जुड़ी लाइनें
18	132	132/33 केवी, 2x40 एमवीए गोहंड, हमीरपुर (डबल मुख्य ट्रांसफर) और इससे जुड़ी लाइनें
19	132	132/33 केवी, 2x40 एमवीए महरौनी (ललितपुर) और इससे जुड़ी लाइनों का निर्माण

ब) <u>वाणिज्यिक गतिविधियां</u>:

(i) बहुवर्षीय टैरिफ विनियमावली, 2019 के अनुसार यूटिलिटी को 5 साल के लिए अपनी व्यवसाय योजना और पिछले वर्ष के लिए ट्रू–अप याचिका जिसके लिए सम्प्रेक्षित वार्षिक लेखें उपलब्ध हैं, पुनरीक्षित प्राक्कलनों के आधार पर चालू वर्ष के लिए वार्षिक सम्पादन की समीक्षा (एपीआर) याचिका और अनुमानों के आधार पर आगामी वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) याचिका फाइल करनी होगी।

(ii) टीबीयू इकाई द्वारा डिस्कॉम और निर्बाध अभिगम उपभोक्ता के लिए पारेषण शुल्क मासिक बीजक जारी करने का नियमित अनुश्रवण।

<u>निर्गत टैरिफ आदेश</u>

यूपीईआरसी ने अपने आदेश दिनांक 29.06.2021 के माध्यम से हमारी याचिका के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एआरआर को अनुमोदन दिया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ट्रू–अप ट्रांसमिशन टैरिफ	
विवरण	अनुमोदित ट्रू–अप
2019–20 के लिये एआरआर (₹ करोड़ में)	3,082.50
संभाली गई ऊर्जा (मेवा॰)	1,16,731.81
वि॰व॰ 2019–20 से सम्बन्धित परिचालनों से राजस्व	2,214.57
शुद्ध अन्तर (₹ करोड़ में)	867.93
पारेषण शुल्क (₹/के॰डब्ल्यू॰एच॰)	0.2641

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ट्रू–अप पर 867.93 करोड़ रुपये के शुद्ध अंतर की वसूली की अनुमति दी थी। इसके अतिरिक्त यूपीईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एआरआर/टैरिफ को भी निम्नानुसार अनुमोदित किया है:–

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पारेषण शुल्क	
विवरण	अनुमोदित ट्रू–अप
2021–22 के लिये एआरआर (₹ करोड़ में)	2,720.50
सम्भाली गई ऊर्जा (एमयू)	1,12,360.21
पारेषण शुल्क (₹/के॰डब्ल्यू॰एच॰)	0.2421

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टैरिफ/एआरआर, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ट्रू–अप के लिए याचिका 08.03.2022 को दायर की गई और यूपीईआरसी द्वारा 21.04.2022 को प्रवेशाज्ञा आदेश जारी किया गया एवं अंतिम आदेश की प्रतीक्षा है.

भविष्य के लिए पारेषण योजनाः–

20वें ईपीएस के लिए डिस्कॉम द्वारा प्रदान की गई राज्य के लिए बिजली की मांग का पूर्वानुमान वित्तीय वर्ष 2026–27 तक 33,869 मेगावाट है। लगभग 6.5% की दर से मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, 33,869 मेगावाट की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 65,153 एमवीए परिवर्तन क्षमता जोड़कर अगले 05 वर्षों में 172 सबस्टेशनों को जोड़ने की योजना है।

वित्तीय गतिविधियाँ :–

मण्डल द्वारा संचय में अन्तरित करने हेतु प्रस्तावित की गई धनराशि, यदि कोई हो :–

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/(हानि) ₹ (11.25) करोड़ और समीक्षाधीन वर्ष तक ₹ 888.11 करोड़ की संचित हानियां रही। अतः किसी भी संचय में धनराशि अन्तरित किया जाना प्रस्तावित नही है।

धनराशि, जो कि लाभांश के रूप में भुगतान करने के लिये संस्तुत की गई, यदि कोई हो :–

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/(हानि) ₹ (11.25) करोड़ और समीक्षाधीन वर्ष तक ₹ 888.11 करोड़ की संचित हानियां रही। अतः समीक्षाधीन वर्ष हेतु निदेशकगणों ने लाभांश के लिये कोई धनराशि संस्तुत नही की है।

तुलन पत्र से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति तथा प्रतिवेदन की तिथि के मध्य हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं, जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों :–

सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा कारपोरेट लेखा कार्यालय को दी गई सूचना के अनुसार तुलनपत्र से सम्बन्धित कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएं घटित नही हुये हैं।

ऊर्जा का संरक्षण, तकनीकी समावेश तथा विदेशी विनिमय उपार्जन तथा व्यय :–

ऊर्जा का संरक्षण, तकनीकी समावेश तथा विदेशी विनिमय उपार्जन के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) सपठित नियम 8(3) कम्पनी (लेखे) नियम, 2014 की आवश्यकतानुसार सूचनाएं इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–IV में वर्णित हैं।

कम्पनी के जोखिम प्रबन्धन नीति के विकास तथा क्रियान्वयन सम्बन्धी विवरण :–

कम्पनी में जोखिम प्रबन्धन नीति निर्धारित नहीं है क्यूंकि कम्पनी के अस्तित्व को जोखिम में डालने वाले तत्वों की मौजूदगी न्यूनतम है।

कम्पनी द्वारा निगमीय समाजिक दायित्व उपक्रम अन्तर्गत विकसित तथा क्रियान्वित नीतियों का विवरण :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII के प्राविधानानुसार कम्पनी द्वारा सी॰एस॰आर॰ नीति अंगीकृत की गई है, (अनुलग्नक–V)। अधिनियम के अन्तर्गत गठित सी॰एस॰आर॰ समिति में निम्नवत् निदेशक शामिल हैं :–

1. प्रबन्ध निदेशक–अध्यक्ष
2. निदेशक (वित्त)–सदस्य

3. निदेशक (परियोजना व वाणिज्य)–सदस्य

4. निदेशक (परिचालन) – सदस्य

5. निदेशक (कार्य एवं परियोजना) – सदस्य

कंपनी को विगत तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के आधार पर हानि हुई थी, इसलिए कंपनी को वित्तीय वर्ष 2020-21 में सीएसआर के लिए कोई राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट, अनुबंध–V के रूप में संलग्न है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अन्तर्गत निक्षेपों का विवरण :–

वार्षिक लेखे 2020–21 से ली गयी सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान जनता से कोई निक्षेप याचित/स्वीकार नहीं किये गये।

सतत व्यवसाय प्रास्थिति तथा भविष्य में कम्पनी के संचालन पर प्रभाव डालने वाले कम्पनी के सापेक्ष पारित आदेशों का विवरण :–

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान नियामकों अथवा न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा कोई वस्तुगत आदेश नहीं पारित किये गये जिसका कम्पनी के सतत व्यवसाय प्रास्थिति तथा भविष्य में कम्पनी के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव हो।

सम्प्रेक्षा समिति की संरचना का प्रकटीकरण :–

सम्प्रेक्षा समिति की संरचना निम्नवत् है :–

अध्यक्ष, उ॰प्र॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰	–	अध्यक्ष
निदेशक (परिचालन)	–	सदस्य
विशेष सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश शासन	–	सदस्य
नामित निदेशक, पावरग्रिड	–	सदस्य

निदेशक (वित्त) लेखा परीक्षा समिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य एवं प्रस्तुतकर्ता होता है जबकि कम्पनी सचिव समिति की बैठकों का समन्वयक होता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में यथावर्णित निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुतीकरण से पूर्व सम्प्रेक्षा समिति द्वारा वार्षिक वित्तीय प्रपत्रों, सांविधिक सम्प्रेक्षकों एवं सी॰ए॰जी॰ के प्रतिवेदनों तथा उन पर उत्तरों की समीक्षा करती है तथा उनको निदेशक मण्डल में अनुमोदन के लिए अनुशंसित करती है।

सतर्कता तंत्र :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित सतर्कता तन्त्र का उद्देश्य ऐसे तन्त्र का उपयोग करने वालों को उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना तथा उचित अथवा आपवादिक प्रकरणों में सम्प्रेक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच हेतु प्राविधान करना है। संगठन के अंतर्गत सतर्कता तन्त्र के अस्तित्व का उचित सम्प्रेषण कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल में परिवर्तन :–

समीक्षाधीन वर्ष में निदेशक मण्डल में विचाराधीन परिवर्तन निम्नवत् रहा :

क्र॰ सं॰	नाम	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ / दौरान पदनाम	अवधि (2020-21)	
			नियुक्ति की तिथि / पदनाम में परिवर्तन / समाप्ति	परिवर्तन की प्रकृति (नियुक्ति, पदनाम में परिवर्तन / समाप्ति)
1.	श्री एम॰ देवराज	अध्यक्ष एवं नामित निदेशक	02.03.2021	अध्यक्ष के रूप में मनोनीत
2.	श्री पंकज कुमार	नामित निदेशक	10.03.2021	नियुक्ति
3.	श्री अमरेन्द्र सिंह कुशवाहा	पूर्णकालिक निदेशक	02.02.2021	नियुक्ति
4.	श्री जावेद असलम	नामित निदेशक	09.09.2020	नियुक्ति
5.	श्री टी॰एस॰सी॰ बोस	नामित निदेशक	18.06.2020	नियुक्ति
6.	श्री अनिल जैन	पूर्णकालिक निदेशक	06.05.2020	नियुक्ति
7.	श्री अरविन्द कुमार	अध्यक्ष एवं नामित निदेशक	02.02.2021	समाप्ति
8.	श्री रवि प्रकाश दुबे	पूर्णकालिक निदेशक	05.01.2021	समाप्ति
9.	श्री देबजानि चक्रवर्ती	नामित निदेशक	18.06.2020	समाप्ति
10.	श्री राम स्वारथ	पूर्णकालिक निदेशक	11.06.2020	समाप्ति
11.	श्री अनिल कुमार गुप्ता	मुख्य वित्त अधिकारी	28.07.2020	नियुक्ति

निदेशक मण्डल निदेशकों द्वारा कम्पनी के साथ उनके एसोसिएशन के दौरान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिये आभार व्यक्त करता है।

सांविधिक सम्प्रेक्षक :–

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मेसर्स आर॰एम॰ लाल एण्ड कं॰, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, 4 / 10, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को कम्पनी में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये सांविधिक सम्प्रेक्षक नियुक्त किया गया। सांविधिक सम्प्रेक्षकों द्वारा 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये कम्पनी के लेखों का अंकेक्षण किया गया।

लागत सम्प्रेक्षक :–

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित लागत अभिलेखों का अनुरक्षण कम्पनी का दायित्व है। लागत लेखे एवं अभिलेख कम्पनी मुख्यालय पर बनाए एवं अनुरक्षित किए गये है।

निदेशक मण्डल द्वारा मेसर्स के॰बी॰ सक्सेना एण्ड एसोसिएट्स, 10/287, इंदिरानगर, लखनऊ–उ॰प्र॰ 226016 को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये लागत सम्प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

सचिवीय सम्प्रेक्षक :–

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 204 सपठित कम्पनी (प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में, कम्पनी के बोर्ड ने सीएस मर्दन सिंह, प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये सचिवीय सम्प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित सचिवीय सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन, टिप्पणियों पर प्रबन्धन के स्पष्टीकरण सहित इस प्रतिवेदन का भाग है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा खातों की समीक्षा

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की अंतिम टिप्पणियां, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वार्षिक लेखों के साथ–साथ उस पर प्रबंधन के उत्तर भी इस प्रतिवेदन में संलग्न हैं। .

लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों या सचिवीय लेखा परीक्षकों ने अधिनियम की धारा 143(12) के तहत लेखा परीक्षा समिति या निदेशक मंडल को इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों सहित किसी भी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी है।

कर्मचारियों का विवरण :–

कम्पनी (प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसरण में, निगम में ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण वर्ष अथवा वर्ष के किसी भी भाग हेतु नियुक्त नहीं था जिसने वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 1.20 करोड़ प्रतिवर्ष अथवा ₹ 8.5 लाख प्रतिमाह से अधिक वेतन आहरित किया हो।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 से सम्बन्धित प्रकटीकरण :–

कम्पनी अपने कर्मचारियों को सुरक्षित और कार्य अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है। कम्पनी ने तद्नुसार पूर्वोक्त अधिनियम के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कोई भी प्रकरण प्रत्यावेदित नहीं किया गया है एवं उन दोनो का कम्पनी द्वारा सफलतापूर्वक निपटान कर दिया गया।

आंतरिक वित्तीय नियन्त्रण :–

कम्पनी में वित्तीय विवरणों के सन्दर्भ में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान है व उसके अग्रेतर सुदृढ़ीकरण हेतु उपाय भी किये जा रहे हैं।

सहायक कम्पनियां :–

वर्ष 2020–21 में कोई भी कम्पनी उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि॰ की सहायक/संयुक्त उद्यम/सहभागी कम्पनी नही बनी।

मानव संसाधन विकास :–

आपकी कम्पनी का मानना है कि, वर्तमान परिवर्तनशील परिदृश्य में, उभरती हुई व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन आवश्यकता एवं कौशल स्थिति का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। तद्नुसार, प्रबंधन लगातार स्थिति की सतत निगरानी करता है तथा सेवानिवृत्ति के कारण कमी के साथ–साथ नवीन कौशल की आवश्यकता के कारण हुई कमी को दूर करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण नीतियाँ रखता है।

मानव संसाधन विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार हैः–

अ) **भर्ती और जनशक्ति वृद्धि :**

यूपीपीटीसीएल के लिए सभी प्रकार की भर्ती यूपीपीसीएल द्वारा 2020–21 में की गई थी। जनशक्ति को जोड़ने के लिए यूपीपीटीसीएल को कुल 92 सहायक अभियंताओं को आवंटित किया गया था।

ब) **पदोन्नति :**

यूपीपीसीएल द्वारा सामान्य कैडर अर्थात जेई, एई, ईई, एसई और सीई को पदोन्नति किया गया और फिर कंपनी को आवंटित किया गया।

स) **प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम :**

यूपीपीटीसीएल द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में 92 एई (प्रशिक्षु) का सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। 22.02.2021 को झांसी में 07 ईई का प्रशिक्षण/सेमिनार आयोजित किया गया। विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के सहयोग से समय–समय पर पदोन्नत ई, जेई, एई, ईई, एसई एवं सीई के अनुस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

द) **कर्मचारी संबंधों :**

इस अवधि के दौरान कर्मचारी–प्रबंधन संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण थे।

य) **कल्याण गतिविधियाँ :**

कंपनी द्वारा समय–समय पर विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियाँ की जाती थीं। कोविड–19 महामारी के दौरान विभिन्न कार्यालयों और उप–स्टेशनों को फील्ड कार्यालयों, उप–स्टेशनों और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। जिला स्वास्थ्य एवं प्रशासन के अधिकारियों के समन्वय से कर्मचारियों एवं उनके परिवारों का टीकाकरण भी किया गया। सेवाकाल में मरने वाले विभागीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही की गयी।

र) **पुरस्कार और मान्यता :**

यूपीपीटीसीएल के कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके अच्छे कार्य और योगदान के लिए प्रशंसा पत्र दिए गए।

वार्षिक वापसी

अधिनियम की धारा 134(3)(ए) के साथ पठित धारा 92(3) के अनुसार वार्षिक विवरणी 31 मार्च, 2021 कंपनी की वेबसाइट–एचटीटीपीएसः / / यूपीपीटीसीएल.ओआरजी / यूपीपीटीसीएल / ईएन / एआरटीआईसीएलई / एएनएनयुएएल –आरईटीयूआरएनएस पर उपलब्ध है।

अभिस्वीकृति :–

निदेशक मण्डल विभिन्न केन्द्रीय व राजकीय सरकारी विभागों, उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग, सी॰ई॰आर॰सी॰, केन्द्रीय ऊर्जा उपयोगिताओं, पी॰एफ॰सी॰, आर॰ई॰सी॰, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा किये गये सहयोग तथा सतत समर्थन का आभार व्यक्त करती है। उपरोक्त के अलावा, निगम, यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰, एम॰वी॰वी॰एन॰एल॰, डी॰वी॰वी॰एन॰एल॰, पी॰यू॰वी॰वी॰एन॰एल॰, और पी॰वी॰वी॰एन॰एल॰ और केस्को का सहयोग और समर्थन करता है। निदेशक मण्डल ठेकेदारों, विक्रेताओं व सलाहकारों के परियोजनाओं को समय से पूर्ण किये जाने के प्रयास में उनके योगदान की सराहना करता है।

निदेशक मण्डल सांविधिक सम्प्रेक्षकों, लागत सम्प्रेक्षको, सचिवीय सम्प्रेक्षक और भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार परीक्षक कार्यालय द्वारा दिये गये सहयोग की भी गहन सराहना करता हैं। निदेशकगण कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा दिये गये योगदान की प्रशंसा करते हैं जो आपकी कम्पनी को उस मंच तक ले गये हैं जहॉ यह आज खड़ी है और विश्वास करते हैं कि उनकी सतत निष्ठा आपकी कम्पनी को भारत में विद्युत पारेषण गतिविधियों में निकट भविष्य में एक और जयपत्र प्राप्त करने में सक्षम होगी।

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

–ह॰–	–ह॰–
(रंजन कुमार श्रीवास्तव)	**(गुरूप्रसाद पोराला)**
निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन नं॰–07338796	डीआईएन नं॰–07979258

दिनांक :
स्थान : लखनऊ

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–III
31 मार्च, 2021 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय सम्प्रेक्षक के प्रतिवेदन पर प्रबन्धन के उत्तर

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 सपठित धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के सम्प्रेक्षित वित्तीय विवरण व निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर अर्थात 30.09.2020 तक अंगीकृत किया जाना आवश्यक था, लेकिन कोविड–19 स्थिति के कारण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा वार्षिक साधारण सभा आयोजित करने की नियत तिथि 03.12.2020 तक बढ़ा दी गई है। जिसके प्रभाव में, वार्षिक साधारण सभा 08.12.2020 को आहुत की गई। किन्तु कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक वित्तीय प्रपत्र (वार्षिक लेखे) सम्प्रेक्षित नहीं थे एवं परिणामतया निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन तैयार नहीं हो पाया तथा इसलिये इस वार्षिक साधारण सभा में ये अंगीकृत नहीं कराये जा सके तथा जिसे अंततः स्थगित कर दिया गया। इस प्रकार इस वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के वार्षिक खातों को न अंग्रीकृत किया गया, कंपनी, कपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही है।	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक साधारण सभा नियत तिथि से पुर्व बुलाई है, किन्तु सी॰ एण्ड ए॰जी॰ द्वारा लेखों की सम्प्रेक्षा लम्बित होने के कारण, वर्ष के सम्प्रेक्षित लेखे 08.12.2020 को आहूत वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों द्वारा अंगीकृत नहीं किये जा सके। अंततः भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी॰ एण्ड ए॰जी॰) से टिप्पणियाँ प्राप्त होने के बाद वित्तीय वर्ष 2019–20 के लेखों को 12.01.2022 को आहूत स्थगित वार्षिक साधारण सभा में अंगीकृत किये गये थे और इसे पहले ही कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पास दायर किया जा चुका है। विलम्ब के लिए परिस्थितियाँ कम्पनी के नियन्त्रण से बाहर थी।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 सपठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के प्रावधानो के अनुसार, कंपनी द्वारा निदेशक मण्डल में न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत जब लेखापरीक्षा समिति का गठन करते है, ऐसी समिति के संयोजन में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति आवश्यक होती है। इसी तरह, जब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निगमिय सामाजिक दायित्व समिति का गठन करते है, कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक को वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सामाजिक दायित्व	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है।

समिति के संरचना में नियुक्त किया जाना चाहिए। कंपनी ने न तो अपने निदेशक मंडल के संयोजन में, न ही सम्प्रेक्षा समिति और निगमीय सामाजिक दायित्व समिति की संरचना में स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त किया है।	
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधान सपठित नियम (5) कम्पनीज़ (लागत एवं सम्प्रेक्षा) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से 180 दिनों के भीतर लागत सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति करना आवश्यक है और इन नियमों के नियम (6) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक लागत सम्प्रेक्षक वित्तीय वर्ष के समापन से 180 दिनों के भीतर, जिस वर्ष से यह सम्बन्धित हो, अपना प्रतिवेदन कम्पनी के निदेशक मण्डल को अग्रसारित करेगा। मेसर्स के॰बी॰ सक्सेना एण्ड एसोसिएटेड, लखनऊ को उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कम्पनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। वित्तीय वर्ष 2019–20 का लागत सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन निदेशक मण्डल के सम्मुख विलम्बतम 30.09.2019 तक प्रस्तुत किया जाना था। लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेख पर आधारित सूचना के अनुसार वर्ष 2019-20 की लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को निदेशक मण्डल के समक्ष उक्त निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपरोक्त प्रावधानों का कम्पनी द्वारा सम्बन्धित नियमों का अनुपालन नही किया गया है।	चूँकि, वित्तीय वर्ष 2019–20 के सम्प्रेक्षित लेखों में विलम्ब सी॰ एण्ड ए॰जी॰ से लम्बित टिप्पणियों के कारण हुआ; इसलिए लागत सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन में भी विलम्ब हुआ। तथापि, लागत सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को बोर्ड द्वारा 27.07.2021 को आहूत बैठक में अनुमोदित कर दिया गया है और पूर्व में ही कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में भी दाखिल कर गया है। विलम्ब के लिए परिस्थितियाँ कम्पनी के नियन्त्रण से बाहर थी।

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

	—ह॰—	—ह॰—
	(रंजन कुमार श्रीवास्तव)	**(गुरूप्रसाद पोराला)**
दिनांक :	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
स्थान : लखनऊ	डीआईएन सं॰–07338796	डीआईएन सं॰–07979258

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–IV

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अधीन निर्मित कम्पनीज़ (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के अधीन प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2020-21 से सम्बन्धित निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन से सम्बन्धित सूचना

अ. ऊर्जा का संरक्षण–

(i) ऊर्जा संरक्षण पर प्रभाव अथवा उठाए गए कदम :–

- सभी उपकेन्द्रो/कार्यालयों में ऊर्जा दक्ष ट्यूब लाइट का उपयोग।
- ऊर्जा दक्ष सहायक और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने का उपयोग।
- कैपेसिटर बैंक का अनुकूलतम उपयोग और प्रतिक्रियाशील नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए निकट निगरानी।

(ii) कंपनी द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु उठाए गए कदम :–

- वर्तमान में 4483 मेगावाट की कुल क्षमता वाले विभिन्न सौर ऊर्जा संयंत्र पहले से ही यूपीपीटीसीएल और यूपीपीसीएल के ग्रिड नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 31306 मेगावाट है, जिसमें से सौर ऊर्जा उत्पादन सम्पूर्ण स्थापित क्षमता का केवल 14.31% (4483 मेगावाट) है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों में पूंजीगत विनियोग – शून्य

ब. प्रौद्योगिकी आमेलन

(i) प्रौद्योगिकी आमेलन की ओर किये गये प्रयास :–

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ।

उपकेन्द्रों हेतु :

विद्यमान पारेषण उपकेन्द्र सर्वाधिक ''वायु प्रतिरोधित'' (ए॰आई॰एस॰) प्रकार के हैं। बढ़ती हुई आबादी एवं शहरीकरण के कारण स्थान उपलब्धता में बाधा से उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता मे बाधा आई है। अग्रेतर ए.आई.एस. प्रकार के उपकेन्द्रों का ट्रिपिंग/व्यवधान हेतु प्रवृत्त हैं। इसलिए उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि॰ ने इस समस्या का संभावित समाधान चयन द्वारा सुनिश्चित किया है–

- एच॰वी॰ वर्ग उपकेन्द्रो के लिए उपकेन्द स्वचालन प्रणाली।
- 132 केवी से 400 केवी उपकेन्द्रों के लिए गैस इंसुलेटेड उपकेन्द्र (जी॰आई॰एस॰.) वित्तीय वर्ष 2021-22 में 02 नग 400 केवी, 01 नग 220 केवी और 01 नग, 132 केवी जीआईएस उपकेन्द्र चालू किये गये हैं।
- 132 केवी और 220 केवी उपकेन्द्रों के लिए हाइब्रिड स्विचगियर तकनीक। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, 01 नग 220 केवी हाइब्रिड उपकेन्द्र चालू किया गया हैं।

इन उपकेन्द्रों के परिचालन में काफी स्थायित्व है तथा ट्रिपिंग बाधाओं की सम्भावनाएं कम रहती है।

<u>पारेषण लाइन हेतुः</u>

स्थायित्व बाधाओं के कारण पारेषण लाइनों की संवाहक ऐम्पेसिटी की अपनी सीमाएं हैं। ओवरहेड पारेषण लाइनों की स्थापना भी निश्चित रूप से ''राइट–आफ–वे'' प्रकरणों को आमन्त्रित करती है। इन प्रकरण के तकनीक के प्रयोग द्वारा समाधान हेतु उ॰प्र॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰ ने निम्नलिखित कदम उठाये हैंः–

- उच्च एम्पेसिटी एचटीएलएस (उच्च तापमान कम शिथिलता) संवाहकों को विद्यमान कम एम्पेसिटी संवाहकों से बदलना।
- ईएचवी लाइनों के लिए मोनोपोल डिजाइन।
- कुशल सुरक्षा संकेतन और संचार के लिए आप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्लू)

(iii) आयतित तकनीक के सम्बन्ध में (वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के सापेक्ष विगत तीन वर्षो में आयतित)–

(अ) आयातित तकनीक का विस्तृत विवरण;

(ब) आयात का वर्ष;

(स) क्या तकनीक को पूर्णरूपेण आमेलित कर लिया गया है;

(द) यदि पूर्णरूपेण आमेलित नही किया जा सका है, तो कारणों सहित वह क्षेत्र जहाँ आमेलन नही हो सका है; एवं

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय – शून्य

(स) <u>तकनीकी आमेलनः</u>

(i)	विदेशी विनिमय मे उपार्जन	शून्य
(ii)	विदेशी विनिमय में व्यय	शून्य

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

	–ह॰–	–ह॰–
	(रंजन कुमार श्रीवास्तव)	**(गुरूप्रसाद पोराला)**
दिनांक :	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
स्थान : लखनऊ	डीआईएन सं॰–07338796	डीआईएन सं॰–07979258

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–V

सी॰एस॰आर॰ गतिविधियों पर वार्षिक रिर्पोट

1. कम्पनी की सी॰एस॰आर॰ नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा :

उ॰प्र॰ की निगमित सामाजिक दायित्व (सी॰एस॰आर॰) नीति का मुख्य उद्देश्य पावर ट्रांसिमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) है :

- सीएसआर को समाज के सतत् विकास हेतु एक प्रमुख व्यवसायिक प्रक्रिया बनाने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किया जाना।
- प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी परियोजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिससे कि समाज में वृहद पैमाने पर तथा अपने परिचालन के क्षेत्रों के आस–पास के समुदायों का आर्थिक कल्याण हो तथा जीवन शैली की गुणवत्ता मे उत्तरोत्तर वृद्धि हो।
- कम्पनी के समस्त हितधारकों के समक्ष अच्छी साख तथा सम्मान उद्गमित कराना।

2. सी॰एस॰आर॰ समिति की संरचना :

क्र. सं.	निदेशको के नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सी॰एस॰आर॰ समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित सी॰एस॰आर॰ समिति की बैठकों की संख्या में उपस्थिति
1	श्री सेन्थिल पेण्डियन सी.	प्रबन्ध निदेशक/ सीएसआर समिति के अध्यक्ष	2	2
2	श्री राकेश कुमार सिंह	निदेशक संचालन/ सदस्य	2	2
3	श्री बिभु प्रसाद माहपात्रा	निदेशक वित्त/ सदस्य	2	2
4	श्री अनिल जैन	निदेशक–योजना एवं वाणिज्यिक/सदस्य	2	2
5	श्री रवि प्रकाश दुबे	निदेशक–कार्य एवं परियोजना/सदस्य	2	1

3. वेब–लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया हैः –

अ) सीएसआर समिति की संरचना–एचटीटीपीएसः//यूपीपीटीसीएल.ओआरजी/यूपीपीटीसीएल/ईएन/पीएजीई/सीएसआर–सीओएमएमआईटीटीईई

ब) सीएसआर नीति–एचटीटीपीएसः//यूपीपीटीसीएल.ओआरजी/यूपीपीटीसीएल/ईएन/पीएजीई/सीएसआर–पीओएलआईसीवाई

स) सीएसआर परियोजनाएं–लागू नहीं

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)। – लागू नहीं

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो : लागू नहीं

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि यदि कोई हो, (₹ में)
1	2017-18	–	–
2	2018-19	–	–
3	2019-20	–	–
	योग	**–**	**–**

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ/(हानि)। – (₹ 70,27,61,350.28)

7. (अ) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत – शून्य

(ब) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष –शून्य

(स) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो – शून्य

(द) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7अ+7ब+7स) – शून्य

8. (अ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 156(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि		
	धनराशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	धनराशि	स्थानांतरण की तिथि
5,00,000/-	–	–	–	–	–

(ब) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अन्तर्गत खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से वस्तु	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	चालू वित्त वर्ष में खर्च की गयी राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन की प्रणाली प्रत्यक्ष– (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की प्रणाली– एजेंसी के माध्यम से (हां/नहीं)	
				राज्य	शहर						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1.	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	
	योग	–	–	–		–	–	–	–	–	–	

(स) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अन्तर्गत अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से वस्तु	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च राशि (₹ में)	कार्यान्वयन की प्रणाली प्रत्यक्ष– (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की प्रणाली– एजेंसी के माध्यम से (हां/नहीं)	
				राज्य	शहर			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1.	कोविड–19	अनुसूची 7(i) स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना	हां	यू.पी. गाजीयाबाद		5,000.00	हां	–	–
	योग	–	–	–		5,000.00	–	–	–

(द) प्रशासनिक उपरिव्ययों में खर्च की गयी राशि – शून्य

(य) प्रभाव आंकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो – शून्य

(र) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8बी+8सी+8डी+8ई) – ₹ 5,00,000/-

(ल) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो – लागू नहीं

क्र.सं.	विवरण	धनराशि (₹ में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ (हानि) का दो प्रतिशत	–
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	–
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	–
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	–
(v)	अगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	–

9. (अ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण : लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अन्तर्गत अव्ययित सीएसआर खातें में हस्तांतरित राशि (₹ में)	विवरणीय वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	धारा 135 (6), यदि कोई हो, के अनुसार अनुसूची VII के अन्तर्गत निर्दिष्ट किसी भी निधि में स्थानांतरित राशि			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ में)
				निधि का नाम	राशि (₹ में)	स्थानांतरण की तिथि	
1.	–	–	–	–	–	–	–
	योग	–	–	–	–	–	–

(ब) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना पहचान पत्र	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्व की गई राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (₹ में)	परियोजना की स्थिति– पूर्ण/जारी
1.	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	–	–	–	–	–	–	–

10. पूंजीगत सम्पत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किये गये सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई सम्पत्ति से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत करें (सम्पत्तिवार विवरण) – लागू नहीं

(अ) पूंजीगत सम्पत्ति(यो) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि : लागू नहीं

(ब) पूंजीगत सम्पत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की तिथि : लागू नहीं

(स) ईकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत सम्पत्ति पंजीकृत है, उनका पता इत्यादि : लागू नहीं

(द) सृजित या अर्जित (पूंजीगत सम्पत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत सम्पत्ति (सम्पत्तियों) का विवरण प्रदान करें : लागू नहीं

10. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कम्पनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही हैं – लागू नहीं

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

–ह०–	–ह०–
(रंजन कुमार श्रीवास्तव)	**(गुरूप्रसाद पोराला)**
निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन सं०–07338796	डीआईएन सं०–07979258

दिनांक :
स्थान : लखनऊ

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि॰ के दिनांक 31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर संवैधानिक सम्प्रेक्षको के प्रतिवेदन पर प्रबन्धन के उत्तर

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
सेवा में, सदस्यगण, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ। <u>एकल वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन</u> मर्यादित अभिमत : हमने उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों का सम्प्रेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 का तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समता में परिवर्तनों का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ, संक्षिप्त में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ सहित तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ (''एकल वित्तीय विवरणों'') जिसमें चार पारेषण परिक्षेत्रों (''परिक्षेत्रों'') के लेखे, जो अन्य सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित हैं, सम्मिलित हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
हमारे अभिमत में एवं हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, परिमित अभिमत के आधार भाग में हमारी रिपोर्ट में वर्णित किये गये मामलों के प्रभाव को छोड़कर, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अन्तर्गत आवश्यक सूचना अपेक्षित ढंग से देते हैं तथा 31 मार्च, 2021 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, और लाभ, अन्य व्यापक आय सहित, इसके हानि, इसके रोकड़ प्रवाह तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के	कोई टिप्पणी नहीं

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
लिए समता में परिवर्तन को अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित (''इन्ड एएस'') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों की अनुरूपता में सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते है।	
परिमित अभिमत का आधार : हम अनुलग्नक 'I' में वर्णित प्रकरणों जिनका प्रभाव, व्यक्तिगत रूप से या समूह में, वित्तीय विवरणों के लिये महत्वपूर्ण किन्तु व्यापक नहीं है एवं उन प्रकरणों जिनमें हम पर्याप्त व उपयुक्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं, पर ध्यानाकृष्ट करते हैं। इन प्रकरणों के सम्बन्ध में हमारा अभिमत परिमित है।	कोई टिप्पणी नहीं
हमने एकल वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्दिष्ट सम्प्रेक्षा मानकों (एस॰ए॰) की अनुरूपता में सम्पन्न की है। इन मानको के अन्तर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को एकल वित्तीय विवरणों के प्रतिवेदन में सम्प्रेक्षक के उत्तरदायित्व भाग में वर्णित किया गया है। हमारे एकल वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा अधिनियम के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया (आई॰सी॰ए.आई॰) द्वारा निर्गत आचार संहिता के साथ–साथ स्वतंत्रता की आवश्यकता के अनुसार हम कम्पनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा आइ॰सी॰ए॰आई॰ की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि जो सम्प्रेक्षा साक्ष्य हमें प्राप्त हुए है वह हमारे एकल वित्तीय विवरणों पर सम्प्रेक्षा अभिमत का आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है।	कोई टिप्पणी नहीं

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
सम्प्रेक्षा के मुख्य मामले : सम्प्रेक्षा के मुख्य मामले वे मामले हैं जो कि हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा में अत्यन्त महत्व के हैं। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपना अभिमत बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम अनुलग्नक–I में वर्णित मामलों को छोड़कर ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' के अलावा इन मामलों पर अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं। हमने निर्धारित किया है कि हमारी सम्प्रेक्षा में संप्रेषित करने के लिए कोई अन्य प्रमुख लेखापरीक्षा मामले नहीं हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
विषय का महत्व अनुच्छेद : जैसा कि विश्व स्तर पर और भारत में कोविड–19 के प्रकोप के कारण, टिप्पणी–29 ''लेखो पर टिप्पणियाँ'' के अनुच्छेद 24 में बताया गया है, कंपनी के प्रबंधन ने व्यवसाय और वित्तीय जोखिमों पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव का प्रारंभिक मूल्यांकन किया है और यह मानता है कि प्रभाव स्वरूप अल्पकालिक होने की संभावना है। प्रबंधन को कंपनी के सतत व्यवसाय के रूप में जारी रखने और अपनी देनदारियों, जब वे देय होती है, को पूरा करने की क्षमता में कोई मध्यम से दीर्घकालिक जोखिम नहीं दिखता है। इस मामले में हमारे अभिमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
एकल वित्तीय विवरणों तथा उस पर सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य सूचनायें : कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचनायें तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल सूचनाए सम्मिलित हैं किन्तु एकल वित्तीय विवरण तथा उस पर हमारा सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित नहीं है। उपरोक्त प्रतिवेदन को इस लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।	कोई टिप्पणी नहीं

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
एकल वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना को आवरित नहीं करता है तथा हम उस पर किसी तरह का निष्कर्ष तथा आश्वासन व्यक्त नही करते हैं।	
एकल वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा के सम्बन्ध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उपर्युक्त अभिज्ञात अन्य सूचना के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ना है तथा, ऐसा करने में, विचार करना है कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणों या सम्प्रेक्षा में प्राप्त की गयी हमारी जानकारी से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से मिथ्या वर्णित प्रतीत होती है। जब हम उपरोक्त अभिज्ञात प्रतिवेदन को पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारित लोगों से संप्रेषित करने तथा परिस्थितियों की आवश्यकता तथा लागू कानूनों विनियमों द्वारा आवश्यक उचित कार्यवाही करेगें।	कोई टिप्पणी नहीं
एकल वित्तीय प्रपत्रों हेतु प्रबन्धन का उत्तरदायित्व : अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट प्रावधानानुसार इन एकल वित्तीय प्रपत्रों को अधिनियम की धारा–133 सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित (''इन्ड एएस'') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखीय सिद्धांतों की अनुरूपता में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय उपलब्धि, रोकड़ प्रवाह एवं समता में परिवर्तन का सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते हुए तैयार कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक मण्डल का है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानानुसार कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं जानकारी; समुचित लेखांकन नीतियों का चयन तथा क्रियान्वयन; ऐसे अनुमान एवं	कोई टिप्पणी नहीं

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
निर्णय जोकि उचित एवं युक्तियुक्त हो; हेतु समुचित लेखांकन अभिलेखों का रख–रखाव तथा सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते वित्तीय प्रपत्रों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए यह सुनिश्चित करने हेतु कि वे महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन, धोखाधड़ी अथवा भूल–चूक से मुक्त हो के सम्बन्ध में प्रासंगिक समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जोकि लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णताः सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से क्रियाशील हो की रचना, क्रियान्वयन तथा रख–रखाव सन्निहित हैं।	
एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कम्पनी की सतत व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता को निर्धारण, प्रकट करते हुये, जैसा लागू हो, व सतत व्यवसाय से सम्बन्धित मामले तथा लेखांकन के सतत व्यवसाय आधार का प्रयोग करने के लिये जब तक कि प्रबन्धन या तो कम्पनी के समापन या परिचालनों को समाप्त करने का इरादा रखती है या ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, प्रबन्धन उत्तरदायी है।	कोई टिप्पणी नहीं
ऐसे शासन प्रभारित लोग कम्पनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की निगरानी के लिये भी उत्तरदायी है।	कोई टिप्पणी नहीं
एकल वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा के लिए सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व : हमारे उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्रता में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण, तथा एक सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन निर्गत करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है किन्तु यह इस बात कि गारन्टी नहीं है कि एस.ए. के अनुसार सम्पादित की गई सम्प्रेक्षा सदैव मिथ्यावर्णन, जब यह विद्यमान हो, का पता लगायेगी।	कोई टिप्पणी नहीं

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
मिथ्यावर्णन धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकता है तथा यह महत्वपूर्ण माना जाता है यदि एकल रूप में या समग्रता में, इनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की यथोचित आशा हो।	
एस.ए. के अनुरूप सम्प्रेक्षा के एक भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद को सम्प्रेक्षा में सर्वत्र बनाये रखते हैं। हम :— ● एकल वित्तीय प्रपत्रों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिमों को चिन्हित व निर्धारित करते हैं, उन जोखिमों के लिये उत्तरदायी सम्प्रेक्षा प्रकिया की अभिकल्पना व सम्पादन करते हैं तथा सम्प्रेक्षा साक्ष्य जो हमारे अभिमत को आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है, प्राप्त करते हैं। त्रुटि की अपेक्षा धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम ज्यादा बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जान बूझ कर चूक, तोड़ मरोड़ व आन्तरिक नियन्त्रण की अवहेलना सम्मिलित है।	कोई टिप्पणी नहीं
● ऐसी सम्प्रेक्षा प्रक्रियाओं की अभिकल्पना, जो परिस्थितियों के लिये उपयुक्त है, करने के लिये सम्प्रेक्षा से सम्बद्ध आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (3)(i) के अनुसार हम अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये भी उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली व इन नियन्त्रणों की प्रभावशीलता है।	कोई टिप्पणी नहीं

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
• प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखा अनुमानों तथा सम्बन्धित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
• प्रबन्धन द्वारा प्रयोग की जा रही लेखांकन के सतत व्यवसाय आधार की उपयुक्तता तथा, प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या दशाओ से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो कम्पनी की सतत व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता पर महत्वपूर्ण सन्देह पैदा कर सकती है, पर निष्कर्ष निकालते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने सम्प्रेक्षक प्रतिवदेन में वित्तीय प्रपत्रों में सम्बन्धित प्रकटन की ओर ध्यानाकर्षण करने या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमें अपने अभिमत में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। हमारे निष्कर्ष हमारे सम्प्रेक्षा प्रतिवदेन की तिथि तक प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनायें व दशायें कम्पनी के सतत व्यवसाय के रूप में चलते रहने की समाप्ति का कारण बन सकती हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
• प्रकटन समेत एकल वित्तीय प्रपत्रों के प्रस्तुतीकरण, संरचना व विषय वस्तु तथा क्या वित्तीय प्रपत्र अन्तर्निहित सम्व्यवहारों एवं घटनाओं का इस ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें निष्पक्ष प्रस्तुति हो, का समग्र मूल्यांकन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
एकल वित्तीय प्रपत्रों में महत्व मिथ्याकथनों का परिमाण है जो एकल रूप में या समग्रता में वित्तीय प्रपत्रों के यथोचित सुविज्ञ प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकने को संभाव्य बनाता हैं। हम मात्रात्मक महत्व व गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) अपने	कोई टिप्पणी नहीं

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
सम्प्रेक्षा कार्य क्षेत्र की योजना बनाने व अपने कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करने में; एवं (ii) वित्तीय प्रपत्रों में किसी चिन्हित मिथ्याकथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में।	
हम उनके नियंत्रक प्रभारी से सम्बन्धित अन्य मामलों के साथ–साथ सम्प्रेक्षा हेतु नियोजित कार्यक्षेत्र एवं सम्प्रेक्षा का समय तथा हमारे द्वारा सम्प्रेक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी कोई अन्य महत्वपूर्ण कमी को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण सम्प्रेक्षा तथ्यों का संवाद करते है।	कोई टिप्पणी नहीं
हम नियंत्रण प्रभारियों को विवरण प्रदान करते हैं कि स्वतंत्रता के सम्बन्ध में हमने प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी सम्बन्धों व अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिन पर हमारी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए जो उचित हो तथा जहाँ लागू हो, सम्बन्धित सुरक्षा उपायों को संवादित करते है।	कोई टिप्पणी नहीं
नियंत्रण प्रभारियों को सूचित किये गये मामलों में से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के एकल वित्तीय प्रपत्रों की सम्प्रेक्षा में सर्वाधिक महत्व के थे एवं इसलिये प्रमुख मामले हैं। हम अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवदेन में इन मामलों को सम्मिलित करते हैं जब तक कि विधि या नियमावली मामलों के सार्वजनिक प्रकटन को न रोके या, जब अत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियाँ हो, हम निर्धारित करते हैं कि एक मामले को हमारे प्रतिवदेन में नहीं सूचित किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों के पछाड़ने के रूप में यथोचित अपेक्षित होंगे।	कोई टिप्पणी नहीं
अन्य मामले : कम्पनी के एकल वित्तीय प्रपत्रों में सम्मिलित प्रयागराज परिक्षेत्र (एल॰सी॰:11 एवं 12), गोरखपुर परिक्षेत्र (एल॰सी॰:13 एवं 14), लखनऊ परिक्षेत्र (एल॰सी॰: 15, 16 एवं 17), मेरठ	कोई टिप्पणी नहीं।

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
परिक्षेत्र (एल॰सी॰: 18 एवं 19), आगरा परिक्षेत्र (एल॰सी॰: 20 एवं 21) और झांसी परिक्षेत्र (एल॰सी॰: 22 एवं 23) में स्थित परिक्षेत्रों के वित्तीय प्रपत्रों/सूचनाओं की सम्प्रेक्षा हमने नहीं की। इन परिक्षेत्र के वित्तीय प्रपत्रों/सूचनाओं की सम्प्रेक्षा शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा की गई है जिनके प्रतिवेदन हमें प्रदान किये गये हैं, एवं हमारे अभिमत में जहाँ तक यह धनराशियां एंव प्रकटन परिक्षेत्र से सम्बन्धित हैं, केवल ऐसे परिक्षेत्र सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदनों पर आधारित हैं।	
अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन : 1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा जैसाकि वांछित है हम ''अनुलग्नक–II'' में इस आदेश के प्रस्तर 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण देते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
2. अधिनियम की धारा 143 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत निर्देशों एवं उप–निर्देशों की आवश्यकतानुसार, हम ''अनुलग्नक III(ए) एवं III(बी)'' पर निर्देशों तथा उप निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रस्तुत करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
3. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, और अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
4. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा जैसा वांछित है, हम अपने सम्प्रेक्षा के आधार पर सूचित करते है कि : अ) सिवाय उन मामलों के जो परिमित अभिमत के लिये आधार में वर्णित हैं, हमने सभी सूचनाएँ एवं	कोई टिप्पणी नहीं।

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त कर लिए जो हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे सम्प्रेक्षण के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।	
ब) हमारे अभिमत में और ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अनुभाग में वर्णित मामलों को छोड़कर, कानून के अनुसार कंपनी द्वारा उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसाकि उन पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है तथा हमारे सम्प्रेक्षा के प्रयोजन हेतु समुचित विवरणियाँ कम्पनी के परिक्षेत्र जिनका दौरा एवं अंकेक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है प्राप्त कर ली गयी है।	कोई टिप्पणी नहीं।
स) अधिनियम की धारा 143(8) के अन्तर्गत परिक्षेत्र के सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित कम्पनी की परिक्षेत्रों के लेखों पर प्रतिवेदन हमें प्रेषित किये गये हैं तथा उन्हें इस प्रतिवेदन को तैयार करने में उचित रूप से विचारित किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
द) इस रिपोर्ट में व्यवहृत तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और समता में परिवर्तन का विवरण लेखा पुस्तकों तथा परिक्षेत्रों से प्राप्त विवरणियों जहाँ हमारे द्वारा यात्रा व सम्प्रेक्षा नहीं की गई से मेल खाते है।	कोई टिप्पणी नहीं।
य) सिवाय उन मामलों के जो ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अंश में वर्णित हैं, हमारे अभिमत में, पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सपठित निर्गत संगत नियम का अनुपालन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
र) कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के सम्बन्ध में सरकारी कम्पनी होने के नाते अधिनियम की धारा 164 उपधारा (2) के अन्तर्गत निदेशकों की अयोग्यता से सम्बन्धित प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।	कोई टिप्पणी नहीं।
ल) कम्पनी की वित्तीय सूचनाओं पर आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रभावी रूप से परिचालन के सम्बन्ध में हमारे प्रतिवेदन के ''अनुलग्नक–IV'' में रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें।	कोई टिप्पणी नहीं।
व) अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिन्हें कम्पनी (सम्प्रेक्षा एवं सम्प्रेक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किया जाना है, हमारे अभिमत में तथा हमारी पूर्ण जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार– i. ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अंश में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने इसकी वित्तीय स्थिति पर लंबित वादों के प्रभाव को अपने वित्तीय विवरण में प्रकटित किया है। ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएँ नहीं थी, जिनके सापेक्ष कोई महत्वपूर्ण हानियाँ पूर्वानुमेय थी। iii. कोई राशि नहीं थी जिसे निदेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कम्पनी द्वारा अंतरित किया जाना था।	कोई टिप्पणी नहीं।

–ह०–	–ह०–	–ह०–
ए.के० गुप्ता	**रन्जन कुमार श्रीवास्तव**	**पी० गुरूप्रसाद**
अधिशासी निदेशक	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
(वित्त एवं लेखा)		

अनुलग्नक–I

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसके भाग

ऐसी जांचें जो हमनें उपयुक्त मानी है के आधार पर तथा हमारी सम्प्रेक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रतिवेदित करते हैं किः

क्र.सं.	सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
1.	कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के नियम 3 के अर्न्तगत अधिसूचित अधोलिखित लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया हैः	
अ.	व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी–8), अन्य चालू आस्तियां (टिप्पणी–10) और अन्य चालू देयताएं (टिप्पणी–17) को चालू आस्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका नकदीकरण एवं निस्तारण गत वित्तीय वर्षों से लम्बित है तथा पर्याप्त जानकारी के आभाव में वसूली/निपटान के लिए बकाया शेष राशि वर्ष की समाप्ति के बाद, बारह महीनों के अन्दर उन्हें गैर–वर्तमान आस्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत नहीं करने के कारण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय लेखांकन मानक 1 के साथ असंगत हैं। इसके परिणामस्वरूप संबंधित मौजूदा चालू आस्तियाँ/देनदारियाँ अधिमूल्यित और संबंधित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ अवमूल्यित है।	वित्तीय विवरणों में किए गए चालू/गैर वर्तमान में देनदारियों/सम्पत्तियों का वर्गीकरण भारतीय लेखा मानक–1 के अनुरूप है। भारतीय लेखा मानक–1 के अनुसार व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, माल सूची आदि जैसी परिचालन वस्तुएं एक सामान्य परिचालन चक्र का हिस्सा हैं और उन्हें चालू सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
ब.	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वर्ष के दौरान वृद्धि में टिप्पणी–1 महत्वपूर्ण लेखीय नीति संख्या 2 (II) (बी) के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक अतिरिक्त लागत पर एक निश्चित प्रतिशत पर अधिष्ठान लागत शामिल है। ऐसी अधिष्ठान लागत सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण तथा/अथवा स्थापना पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य न होने की सीमा तक भारतीय लेखांकन मानक 16 संपत्ति, संयंत्र और	विद्युत अधिनियम 1985 के अनुसार अधिसूचित कर्मचारियों की लागत जो पूंजीगत कार्यों के लिए प्रभार्य हैं, बिजली (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियमों के अनुसार यथामूल्य आधार पर (अर्थात पूंजीकरण योग्य कार्यो का परियोजना अवधि में उचित पूंजीगत कार्यों पर प्रतिशत के रूप में आवंटन) आवंटित किया जायेगा।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
उपकरण के साथ असंगत है। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों, ह्रास तथा लाभ का अधिमूल्यन तथा अधिष्ठान लागत का अवमूल्यन किया गया है।	कंपनी अधिनियम की धारा 1(4)(डी) के अनुसार, यूपीपीटीसीएल, एक बिजली आपूर्ति कम्पनी होने के नाते, बिजनी अधिनियम का पालन करना होगा। इसलिए, स्थाई संपत्तियों, ह्रास और लाभ का कोई अधिमूल्यन या कर्मचारी लागत का कोई अवमूल्यन नहीं है।
स. टिप्पणी–7 भण्डार–(अ) सामग्री का भण्डार – पूंजीगत कार्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंश के रूप में वर्गीकृत तथा भारतीय लेखांकन मानक 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार मान्यता प्राप्त, मापित और उद्घाटित नहीं किया गया है।	कम्पनी के वित्तीय विवरणों के टिप्पणी–7 (अ) में सामग्री का भण्डार–पूंजीगत कार्य क्रय की हुई सामग्री है तथा प्रगतिशील पूंजीगत कार्यों के निर्गतनार्थ रखा जाता है, जिसे भारतीय लेखा मानक–16 के अनुसार भण्डार के रूप में वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है।
द. टिप्पणी–1 महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या–2 (VI)(एफ) द्वारा आवरित बीमा और अन्य दावों की मान्यता, सीमा शुल्क की वापसी, आयकर और व्यापार कर पर ब्याज, कर्मचारियों को ऋण पर ब्याज और आय के अन्य मद को नकद आधार पर शामिल किया गया है। यह वित्तीय विवरणों भारतीय लेखांकन मानक 1 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।	ऐसा कोई इंड–एएस नहीं है जो विशेष रूप से इन लेनदेनों पर लागू होता है। इस प्रकार, प्रबंधन ने इन विशिष्ट लेनदेनों के लिए लेखांकन नीति को विकसित करने और लागू करने में अपने निर्णय का उपयोग किया है जो भारतीय लेखा मानक 8 के पैरा 10 के अनुरूप है।
य. कर्मचारी लाभ का लेखांकन : जी॰पी॰एफ॰ योजना से आवरित कर्मचारियों के उपादान दायित्व का बीमांकक मूल्यांकन नहीं प्राप्त किया गया है (संदर्भ टिप्पणी 21 का नितल टिप्पणी 1)। यह भारतीय लेखांकन मानक–19 के साथ असंगत है।	इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जीपीएफ योजना के तहत आच्छादित कर्मचारियों के संबंध में पेंशन और उपादान की देयता उ॰प्र॰ सरकार द्वारा वहन की गई है और अंतिम दायित्व कोषागार, उ॰प्र॰ सरकार द्वारा निर्वहन किया जाना है, इसलिए उ॰प्र॰पा॰ट्रा॰का॰लि॰ की देयता का उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ द्वारा सम्पादित बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर अंशदान पर निश्चित प्रतिशत तक बचाव किया गया है और तदनुसार, वेतन और मंहगाई भत्ता का एक निश्चित प्रतिशत अंशदान किया जा रहा है।
र. कंपनी द्वारा सम्पत्ति के क्षरण का आकलन नहीं किया गया है, जो भारतीय लेखांकन मानक–36 की सम्पत्ति के क्षरण के साथ असंगत है।	चूंकि, संपत्ति के क्षरण के आकलन के लिए परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, जिसकी विद्युत अधिनियम के तहत अधिसूचित विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के तहत अनुमति नहीं है, मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। इसे कंपनी की लेखा नीति में भी उचित रूप से दर्शाया गया है।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
ल. वित्तीय परिसंपत्तियाँ– व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी–8), कर्मचारियों को अग्रिम, आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम (ओ॰ एण्ड एम॰), प्राप्य (टिप्पणी– 10) को भारतीय लेखांकन मानक 109 वित्तीय साधनों द्वारा अपेक्षित उचित मूल्य पर नहीं मापा गया है (अनुच्छेद 2) (XII) टिप्पणी –1 ''महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ'' देखें) और भारतीय लेखांकन मानक 107 वित्तीय साधनों में आवश्यक उचित प्रकटीकरण इसके लिए नहीं किया गया है। (टिप्पणी–29 का अनुच्छेद 3 ''लेखों पर टिप्पणियाँ'' देखें)	विद्युत अधिनियम के तहत अधिसूचित विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अनुसार, सभी परिसंपत्तियों, देनदारियों, व्यय और राजस्व को उस राशि पर दर्ज किया जाना आवश्यक है जिस पर लेनदेन हुआ था और प्रतिस्थापन लागत, वर्तमान लागत आदि पर उन्हें बताने के लिए समायोजन की अनुमति नहीं देता है। इसलिए, उपरोक्त में से किसी को भी उचित मूल्य पर मापना, विद्युत अधिनियम के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 1 (4) (डी) के साथ भी असंगत होगा।
2. स्वामित्व/भूमि के स्वामित्व, भूमि अधिकार और भवनों के संबंध में कोई दस्तावेज साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए स्वामित्व के साथ–साथ अवशेषों की सटीकता को सत्यापित नहीं किया जा सका।	विभिन्न आंतरिक और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच के लिए यूपी राज्य भर में फैले खण्डों/ उप–खण्डों में भूमि का स्वामित्व/शीर्षक, भूमि अधिकार और भवन के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं। वे बहुत पुराने और भारी होने के कारण लेखापरीक्षकों को नमूना आधार पर उपलब्ध कराए गए थे।
3. अचल संपत्तियों के ऊर्जीकरण/पूंजीकरण की तिथि के संबंध में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा परिसम्पत्ति चालू प्रमाणपत्र की अनुपलब्धता के कारण, हम पूंजीकृत ऋण लागत की राशि और उस पर लगाए गए ह्रास की सटीकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	निर्माण के दौरान ब्याज की कार्यवार गणना (आईडीसी) प्रगति में पूंजीगत कार्यों को हस्तांतरित और परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यह्रास की समीक्षा की गई और क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्रदान की गई अचल संपत्तियों के पूंजीकरण की तिथि के अधीन लेखा परीक्षकों द्वारा सही पाया गया। इसलिए, वर्ष के दौरान पूंजीकृत सभी कार्यों के लिए परिसंपत्ति चालू प्रमाणपत्र सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
4. कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्षों में अपनी 2.2250 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग, इटावा को हस्तांतरित की है। हालांकि, इस संबंध में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखांकन समायोजन अभी भी लंबित है।	मामले को यूपी सरकार के उच्चाधिकारियों से उठाया जा रहा है और उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण के विरूद्ध प्रतिफल की प्राप्ति के संबंध में शीर्ष अधिकारियों के अंतिम निर्णय के आधार पर आवश्यक लेखांकन किया जाएगा, जो अभी भी प्रतीक्षित है। भूमि हस्तानान्तरण के विरुद्ध राशि की वसूली के प्रयास नियमित रूप से किये जा रहे हैं। इसका प्रकटन लेखों पर टिप्पणियों के अधीन वार्षिक लेखों में किया गया है।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
5. कंपनी ने ताजमहल, ईस्ट गेट रोड पर स्थित अपनी 5.9 एकड़ जमीन मुगल संग्रहालय के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दी है। हालांकि, इस संबंध में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखांकन समायोजन अभी भी लंबित है।	यूपी सरकार के आदेश संख्या 117/2015/1892/41–2015–92 य/15 दि. 11.08.2015 के अनुपालन में भूमि निःशुल्क प्रदान की गई। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में खातों में कोई समायोजन नहीं किया गया था। इसका प्रकटन लेखों पर टिप्पणियों के अधीन वार्षिक लेखों में किया गया है।
6. कंपनी ने 132/33 केवी जी/एस उपकेन्द्र नींबू पार्क, लखनऊ में स्थित 993 वर्ग मीटर की अपनी भूमि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी है। हालांकि, इस संबंध में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखांकन समायोजन अभी भी लंबित है।	म॰वि॰वि॰नि॰लि॰ से अब तक कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है। हालाँकि, इसका प्रकटन लेखों पर टिप्पणियों के अधीन वार्षिक लेखों में किया गया है।
7. ₹ 253.02 करोड़ की राशि के अंतर इकाई अंतरण, (टिप्पणी–10 और 29 के अनुच्छेद 18 देखें) समाधान और परिणामी समायोजन के अधीन हैं।	समाधान में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि सम्पूर्ण कंपनी के आईयूटी लेनदेन के नियंत्रण के लिए एक प्रभावी नई प्रणाली वित्तीय वर्ष 2017–18 से शुरू की गई है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2017–18 के बाद से कोई असमाधानित लेनदेन नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, पहले की अवधि से संबंधित शेष राशि को समाधानित करने के प्रयासों में, ₹ 35,748 करोड़ के नाम आईयूटी अवशेष और ₹ 35,748 करोड़ के जमा आईयूटी अवशेष (कुल ₹ 71,496 करोड़) राशि का अब तक मिलान, निष्प्रभावीकरण और निस्तारण किया गया है। पिछली अवधियों से संबंधित अवशेषों के अग्रेतर समाधान के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
8. उभयनिष्ठ व्यय (उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ द्वारा प्रभारित) की राशि ₹ 10.13 करोड़ (टिप्पणी–21 देखें) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194सी के तहत स्रोत पर कर कटौती के अधीन है, जिसे कंपनी द्वारा नहीं काटा गया है।	उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ द्वारा प्रभारित सर्वनिष्ठ व्यय सभी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों की ओर से उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ द्वारा किए गए सर्वनिष्ठ व्यय का बंटवारा है और इसमें उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ द्वारा आय के रूप में माना जाने वाला कोई लाभ तत्व नहीं है। इसलिए टी॰डी॰एस॰ कटौती योग्य नहीं है। मामलें में कानूनी राय भी ली गयी है।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
9. आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजी) (टिप्पणी–3), व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी–8), कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अग्रिम (ओ॰ एण्ड एम॰) और कर्मचारियों और अन्य से प्राप्तियां (टिप्पणी–10), पूंजी के लिए देयता/ओ॰ एंड एम॰ आपूर्तिकर्ता/कार्य, आपूर्तिकर्ताओं से जमाए, डिस्कॉम्स, विद्युतीकरण कार्य, पीएसडीएफ, अंतर कम्पनी अवशेष (टिप्पणी–17) पुष्टि और समाधान के अधीन हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
10. यह देखा गया कि पक्षवार सहायक बहीखातों का रखरखाव और खातों की प्राथमिक पुस्तकों यानी रोकड़ बही और अनुभागीय जर्नल के साथ इसका मिलान उचित और प्रभावी नहीं है।	अभिलेखों का रख रखाव इकाई स्तर पर किया जाता है।
11. टिप्पणी– 29 ''लेखों पर टिप्पणियां'' के अनुछेच्द 6 में प्रकट समभाव्य दायित्व के संबंध में पर्याप्त और उपयुक्त अभिलेखीय लेखापरीक्षा साक्ष्य हमें प्रदान नहीं किए गए।	नोट 29 ''लेखों पर टिप्पणियां'' के पैरा 6 में आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण शाखा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित आकस्मिक देनदारियों के आधार पर किया गया है और इसे केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षा के लिए रखा गया।
12. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी–1 के अनुच्छेद 2(II)(सी) में जमा कार्य के लिए प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क को आयगत आय (गैर टैरिफ आय) के रूप में माना गया है और दूसरी ओर इसे पूंजी संचय में जमा करके पूंजी प्राप्ति के रूप में भी माना गया है। सामान्य स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं के अनुसार, जब प्राप्ति और संबंधित खर्चों को आयगत प्रक्रति के रूप में माना गया है, तो इसे फिर से पूंजी प्रक्रति के रूप में नहीं माना जा सकता। इसलिए, पूंजी संचय और पूंजीगत व्यय दोनों को ₹ 44.02 करोड़ से अधिमूल्यित है।	कंपनी और यूपीईआरसी नियमों की लेखा नीति के अनुसार जमा कार्यों के विरुद्ध प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क को केवल आयगत आय (गैर टैरिफ आय) माना गया है। इसलिए, पूंजी संचय या पूंजीगत व्यय का कोई अवमूल्यन नहीं है।

13. परिक्षेत्रों की लेखापरीक्षा अंकेक्षणों में लेखापरीक्षा टिप्पणियां, उन्हें छोड़कर जिन्हें अंकेक्षण में कहीं और उचित रूप से निपटाया गया है :

<table>
<tr><th colspan="5">सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td colspan="5">I) प्रयागराज परिक्षेत्र (एलसी : 11 और 12)
अ. भण्डार सामग्री एजी–22 में ''भण्डार सामग्री आधिक्य/कमी लंबित जांच'' शामिल है जो समाधान और आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, के लिए बहुत समय से पुराने लंबित पड़े हैं। इकाईवार भण्डार सामग्री आधिक्य का विवरण निम्नवत हैः–</td><td rowspan="5">अधिशाषी अभियन्ता ईएफयू– नैनी व अधिशाषी अभियन्ता ई–765 केवी एस/एस अनपरा को पूर्ण विवरण/इन शीर्षों के अन्तर्गत सामग्री के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अधिशाषी अभियन्ता ईटीडी–मिर्जापुर ने अधिक प्राप्त सामग्री की पहचान करके इसे आय के रूप में आगामी लेखे में लेने के लिये कहा।

अधिशाषी अभियन्ता ईटीडी-I – प्रयागराज द्वारा माह जून 2021 में संषोधन कर लिया गया है।</td></tr>
<tr><td>क्र. सं.</td><td>इकाई का नाम</td><td>नवीन एलसी</td><td>शीर्ष खाता (₹ में)</td><td>धनराशि</td></tr>
<tr><td>1</td><td>ईएफयू नैनी</td><td>107</td><td>22.810</td><td>19,24,510.00 करोड़</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ई-765 केवी एस/एस अनपारा</td><td>113</td><td>22.810</td><td>64,78,120.17 करोड़</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ईटीडी-मिर्जापुर</td><td>114</td><td>22.810</td><td>21,795.72 करोड़</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ईटीडी-I प्रयागराज</td><td>105</td><td>22.810</td><td>44,301.00 करोड़</td></tr>
<tr><td colspan="5">ब. ईटीडी, फतेहपुर इकाई के अन्तर्गत पहले के वर्षों से संबंधित अनेकों प्रविष्टियाँ बैंक समाधान विवरण में समायोजन हेतु लम्बित पड़ी हैं।</td><td>हस्तगत आगामी लेखों में समायोजन कर लिया गया है व पिछले वर्षों से सम्बन्धित कोई अवशेष नहीं है।</td></tr>
<tr><td colspan="5">II) गोरखपुर परिक्षेत्र (एलसी 13 और 14)
पहले के वर्षों से संबंधित प्रविष्टियाँ अभी भी विभिन्न इकाइयों के बैंक समाधान विवरण में दिखाई दे रही हैं जो अनसमायोजित पड़ी हैं।</td><td>पिछले वर्षों से सम्बन्धित प्रविष्टियों के समायोजन के लिये आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।</td></tr>
<tr><td colspan="5">III) लखनऊ परिक्षेत्र (एलसीः 15, 16 और 17)
परिक्षेत्र में ₹ 335.65 करोड़ रुपये की इन्वेंट्री है, हालांकि संबंधित इकाइयों द्वारा केवल मात्रा का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, लेकिन मूल्यांकन के साथ इन्वेंट्री अभिलेख सम्प्रेक्षा के लिए उपलब्ध</td><td>इकाइयों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।</td></tr>
</table>

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
नहीं थे और वित्तीय वर्ष के अंत के इन्वेंट्री के मूल्यांकन के आइटम वार विवरण उपलब्ध नहीं थे।	
iv) मेरठ परिक्षेत्र (एलसीः 18 और 19)	
अ) परिक्षेत्र ने ट्रांसमिशन डिवीजन के तहत ₹ 62.90 करोड़ और सिविल डिवीजन के तहत ₹ 0.02 करोड़ की संपत्ति को त्याग दिया था और ट्रांसमिशन और सिविल जोन के सामग्री स्टॉक खाते में, संपत्ति के त्याग के महीने तक मूल्यह्रास चार्ज करने के बाद, क्रमशः ₹ 47.97 करोड़ और ₹ 0.01 करोड़ दिखाए। हमारी राय में ऐसी विधि परिसंपत्तियों के क्षरण इंडएएस–36 और इन्वेंट्री के इंडएएस–2 का उल्लंघन है। परित्यक्त आस्तियों का मूल्य और ऐसी आस्तियों पर मूल्यह्रास परिक्षेत्र में संपूर्ण अभिलेखों के अभाव में अचल संपत्ति अनुसूची से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है	विद्युत अधिनियम के तहत अधिसूचित विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अनुसार त्यागी गई, रद्द की गई संपत्ति आदि की लागत के साथ–साथ उस पर मूल्यह्रास को अचल संपत्ति आधार से वापस लेना होगा और एक अलग खाते में स्थानांतरित करना होगा। लेखांकन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ पठित केंद्रीय विद्युत अधिनियम और उसके तहत अधिसूचित नियमों और विनियमों के अनुसार तैयार की गई लेखा नीति के अनुसार किया गया है।
ब) ट्रांसमिशन डिवीजन में ₹ 7.35 करोड़ और सिविल डिवीजन में ₹ 0.01 करोड़ का मूल्यह्रास कंपनी की लेखा नीति के उल्लंघन में पिछले वर्षों में संपत्ति के 90% मूल्य से अधिक प्रभारित किया गया है।	आगामी लेखों में आवश्यक सुधार कर दिया गया है।
स) सीडब्ल्यूआईपी में लंबे समय से शुरू की गई परियोजना शामिल है और परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में भी लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया है इसलिए हम सीडब्ल्यूआईपी की स्थिति पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	वर्तमान स्थिति इकाई में उपलब्ध है, इकाइयों को सम्प्रेक्षा के दौरान इसकी उपलब्धता हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
द) परिक्षेत्र को विभिन्न सरकार/गैर सरकारी संगठन से विभिन्न कार्यों को करने के लिए ट्रांसमिशन डिवीजन और सिविल डिवीजन में क्रमशः ₹ 729.60 करोड़ और ₹ 0.05 करोड जमा/अनुदान प्राप्त हुआ था। परिक्षेत्र ने प्राप्त राशि का पार्टीवार विवरण तथा शुरू की गई परियोजना की वर्तमान स्थिति उपलब्ध नहीं कराया और सरकारी अनुदान के संबंध में इंडएएस–20 का भी परिक्षेत्र द्वारा पालन नहीं किया गया है।	आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
समाधान के समय उत्पन्न समायोजन, यदि कोई हो, इस स्तर पर पर पता लगाने योग्य नहीं है।	
य) लीज रेंट/ भूमि के उपयोग पर किराए के लिये ₹ 0.77 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। कंपनी ने लीज अकाउंटिंग के लिए इंडएएस–116 का पालन नहीं किया था।	पट्टे का लेखांकन ईएसएएआर नियमों व इंडएएस 116 के लागू प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
14. पूरी जानकारी के अभाव में, उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 14 तक और इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–II में आस्तियों, देनदारियों, आय और व्यय पर हमारी टिप्पणियों का संचयी प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं

–ह०–	–ह०–	–ह०–
ए०के० गुप्ता	**रन्जन कुमार श्रीवास्तव**	**पी० गुरूप्रसाद**
अधिशासी निदेशक	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
(वित्त एवं लेखा)		

अनुलग्नक–II

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
1. अ) कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरा एवं उनकी अवस्थिति इंगित करते हुए पूर्ण विवरण सहित उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।	दिनांक 01.04.2007 से अब तक प्रारम्भिक अवशेष (लेखों के अनुसार) के साथ वर्षवार समेकित परिसम्पत्ति पंजिका सभी सम्बन्धित परिक्षेत्रों द्वारा तैयार किये जा चुके है। तथापि, पूर्ण विवरण दर्शाते हुए संयंत्र पंजिका का रख रखाव उपसंस्थान स्तर पर किया जा रहा है तथा परिक्षेत्रीय स्तर व मुख्यालय स्तर पर समेकन प्रगति में है। सम्बन्धित परिक्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये है।
ब) कम्पनी द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ है कि क्या इस सम्बंध कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ पाई गयी अथवा नही, सिवाय आगरा व झांसी परिक्षेत्र के जहां लेखा परीक्षकों द्वारा निम्नवत रिपोर्ट किया गया है :– ''जैसा कि हमें बताया गया, पारेशण परिक्षेत्र (दक्षिण पश्चिम) की स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रेंति को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धन द्वारा उचित अन्तराल पर कराया गया है।''	सम्बन्धित परिक्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये है।
स) सिवाय आगरा व झांसी परिक्षेत्र के अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख प्रदान नहीं किए गए हैं। इसलिए, हम इस मामले पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं या नहीं।	लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षा के लिये अचल सम्पत्तियों के स्वामित्व विलेख इकाइयों में उपलब्ध हैं।
2. अ) मेरठ परिक्षेत्र को छोड़कर भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा कराया गया है।	आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये थे तथा यह सूचित किया गया है कि भौतिक सत्यापन वर्ष के अन्त में किया गया है। अतः यह लेखा परीक्षक की समीक्षा हेतु उपलब्ध है।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
ब) लखनऊ परिक्षेत्र के लेखा परीक्षकों ने सूचित किया है कि भौतिक सत्यापन रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई थी और गोरखपुर और प्रयागराज परिक्षेत्र के लेखा परीक्षकों ने निम्नानुसार रिपोर्ट किया है: ''हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन प्रबंधन (इकाइयों के एसडीओ) द्वारा किया गया है। भौतिक रूप से सत्यापित अवशेष राशि की तुलना बुक बैलेंस के साथ की जानी चाहिए, विसंगतियों की पहचान करके उन्हें रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, और उनका समाधान किया जाना चाहिए। प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने वाले भण्डार सामग्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को इकाइयों के आकार और उसके व्यवसाय की प्रेंति के अनुसार मजबूत करने की आवश्यकता है। चूंकि इकाइया/परिक्षेत्र भण्डार सामग्री के उचित अभिलेखों का रख रखाव नहीं कर रही, हम यह टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि क्या स्ट क के भौतिक और बुक बैलेंस के बीच विसंगतियों को खाते की पुस्तक के भीतर ठीक से निपटाया गया है इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई भौतिक विसंगतियां देखी गई थीं और यदि हां, तो क्या उन्हें लेखा पुस्तकों में ठीक से निपटाया गया है,	सम्बन्धित परिक्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये है।
3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत आवश्यक पंजिका में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों को कोई भी	कोई टिप्पणी नहीं।

<table>
<tr><th>सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। तदनुसार, अनुच्छेद 3(iii) का ''आदेश'' का लागू नहीं है।</td><td></td></tr>
<tr><td>4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानानुसार कंपनी ने कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रत्याभूति नहीं प्रदान की है। तदनुसार, अनुच्छेद 3(iv) का ''आदेश'' का लागू नहीं है।</td><td>कोई टिप्पणी नहीं।</td></tr>
<tr><td>5. कंपनी द्वारा जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया गया है, अस्तु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश और अधिनियम की धारा 73 से 76 और अन्य संबंधित प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।</td><td>कोई टिप्पणी नहीं।</td></tr>
<tr><td>6. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट लागत अभिलेख कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध नहीं कराए गए है।</td><td>कोई टिप्पणी नहीं।</td></tr>
<tr><td>7. अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित देयों को छोडकर कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और किसी भी अविवादित वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है :–
<table>
<tr><th>देयको की प्रकृति</th><th>अधिनियम का नाम</th><th>धनराशि (₹ लाख में)</th></tr>
<tr><td>भविष्य निधि अंशदान</td><td>कर्मचारी भविष्य निधि व प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952</td><td>2,430.05</td></tr>
<tr><td>देय टीडीएस</td><td>आयकर अधिनियम, 1961</td><td>43.20</td></tr>
<tr><td>डब्लूसीटी–बिक्री कर</td><td>उत्तर प्रदेश, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008</td><td>0.86</td></tr>
<tr><td>जीएसटी</td><td>सीजीएसटी अधिनियम, 2017
एसजीएसटी अधिनियम, 2017
आईजीएसटी अधिनियम, 2017</td><td>3.58</td></tr>
<tr><td>जीएसटी–टीडीएस</td><td>सीजीएसटी अधिनियम, 2017
एसजीएसटी अधिनियम, 2017
आईजीएसटी अधिनियम, 2017</td><td>0.28</td></tr>
</table>
</td><td>सम्बन्धित परिक्षेत्रीय कार्यालयों को भविष्य निधि अंशदान के सम्बन्ध में अनुपालन हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये है।
अन्य वैधानिक देयताओं के बकाया के सम्बन्ध में निपटारा कर लिया गया है तथा आगामी लेखो में लेखांकित कर लिया गया है।</td></tr>
</table>

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
*एमटीबी में कतिपय खातों में डेबिट अवशेष उपरोक्त तालिका में सम्मिलित नहीं किया गया है। बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, माल और सेवा कर, उपकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपयुक्त प्राधिकारियो का कोई अन्य वैधानिक देयताएं, सिवाय लखनऊ परिक्षेत्र (*) व निम्नलिखित बकाये को छोडकर बकाया नहीं है, जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किये गये है:	वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13, 2014–15 और 2015–16 से संबंधित वैट मामलों में मुकदमे को अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) द्वारा उपायुक्त (वाणिज्यिक) को अंतिम निस्तारण हेतु अग्रेशित किया गया है जिन्होंने प्रकरण के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया है। देय टीडीएस के प्रति देयता का भी निपटान कर दिया गया है और आने वाले लेखे में इसका लेखांकन कर लिया गया है।

अधिनियम का नाम	बकाये की प्रकृति	धनराशि (₹)	अवधि जिससे राशि सम्बन्धित है	फोरम जहाँ विवाद लम्बित है	टिप्पणी, यदि कोई
उत्तर प्रदेश, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	17,73,045	2011-12	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी	
उत्तर प्रदेश, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	17,42,678	2012-13	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी	
उत्तर प्रदेश, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	47,75,873	2014-15	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी	
उत्तर प्रदेश, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	46,91,721	2015-16	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी	
आयकर अधिनियम,	आयकर टीडीएस	3,32,270	2018-19	टीडीएस वार्ड, आयकर विभाग	

(*) चूंकि वैधानिक देयताओं के विरुद्ध विवादों का विवरण लखनऊ परिक्षेत्र के प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, हम यह कहने में असमर्थ हैं कि क्या आय कर, सीमा शुल्क, धन कर, उत्पाद शुल्क, उपकर के विरुद्ध कोई ऐसी

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
धनराशि है जो किसी विवाद के कारण 31 मार्च 2021 तक उपयुक्त प्राधिकारियो के पास जमा नहीं की गई हैं।	
8. कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार की उधार या ऋणों की अदायगी अथवा ऋण पत्र धारकों को देय राशि में चूक नहीं की है।	कोई टिप्पणी नहीं।
9. उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, कंपनी द्वारा प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या पुनः सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण विलेख सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं उठायी गयी। कंपनी ने सावधि ऋणों के माध्यम से धन जुटाया है और उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए उन्हें उठाया गया था।	कोई टिप्पणी नहीं।
10. हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं।
11. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं॰ जी॰एस॰आर॰ 463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार और प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
12. कंपनी चिट फंड या निधि/म्यूचुअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी नहीं है, इसलिए आदेश का खण्ड 3(xii) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
13. हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 जहाँ भी लागू है के अनुपालन में हैं, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन और संबंधित पक्ष लेनदेन के विवरण भारतीय लेखांकन मानक द्वारा	कोई टिप्पणी नहीं।

सम्प्रेक्षक प्रतिवेदन	उत्तर
अपेक्षित एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।	
14. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अंशो का कोई अधिमानी आवंटन या प्राईवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर नहीं किया है, न तो पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनीय ऋणपत्र में परिवर्तित किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
15. हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अन्तर्गत कंपनी ने निदेशकों या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर–नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
16. हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आई.ए. के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।

–ह.–
ए.के. गुप्ता
अधिशासी निदेशक
(वित्त एवं लेखा)

–ह.–
रन्जन कुमार श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)

–ह.–
पी. गुरूप्रसाद
प्रबन्ध निदेशक

अनुलग्नक III (अ)

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार के निर्देश

क्र.सं.	निर्देश	उत्तर	प्रबन्धन के उत्तर
1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	आई॰टी॰ प्रणाली के माध्यम से लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास कोई प्रणाली नहीं है। सेक्शनल जर्नल्स अन्तर्गत एस॰जे॰1, एस॰जे॰2, एस॰जे॰3 और एस॰जे॰4 तथा रोकड़ बही का रखरखाव किया जाता है, लेकिन बहीखातों/उप बहीखातों का रखरखाव नहीं किया जाता है।	टैली प्रचालन में है और ईआरपी कार्यान्वयन के अधीन है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋणों की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/छूट/ब्याज आदि की माफी/अपलेखन के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय आरोपण के बारे में बताया जा सकता है।	वर्ष के दौरान ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए मौजूदा ऋण की पुनर्रचना/ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफी/अपलेखन करने का कोई मामला नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	मुख्यालय में प्राप्त निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया जाता है और इसके उपयोग के लिए संबंधित परिक्षेत्र को प्रेषित किया जाता है। परिक्षेत्र लेखापरीक्षकों ने इस संबंध में विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

—ह॰—
ए॰के॰ गुप्ता
अधिशासी निदेशक
(वित्त एवं लेखा)

—ह॰—
रन्जन कुमार श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)

—ह॰—
पी॰ गुरूप्रसाद
प्रबन्ध निदेशक

अनुलग्नक III (ब)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के उपनिर्देश –

क्र.सं.	उपनिर्देश	टिप्पणी	प्रबन्धन के उत्तर
1.	कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त खाली भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु उठाए गए कदमों की पर्याप्तता। यदि भूमि अतिक्रमित, विवादित, उपयोग में नहीं लाई गई अथवा अधिशेष घोषित की गई है तो, विवरण उपलब्ध कराए।	कारपोरेशन के प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार, उन्होने कोई भी भूमि को अधिशेष घोषित नहीं किया है तथा अग्रेतर सम्प्रेक्षाधीन वर्ष के दौरान इकाईयों द्वारा अतिक्रमण की कोई भी घटनाए सूचित नहीं की गयी है। कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
2.	नई परियोजनाएँ स्थापित करने में जहां कहीं भी भूमि अधिग्रहण सम्मिलित है, वहां पर क्या सभी प्रकरणों में देयों का त्वरित तथा पारदर्शी रूप से निस्तारण किया जा रहा है, पर प्रतिवेदन दें। विचलन के प्रकरणों में कृपया विस्तार पूर्वक विवरण दें।	भूमि अधिग्रहण नई परियोजनाओं की स्थापना में शामिल है और बकाया राशि का निपटान तेजी से किया जाता है। परिक्षेत्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया गया था।	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	क्या उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण हेतु उपलब्ध ऊर्जा के लिए ऊर्जा की निकासी हेतु प्रणाली सामंजस्यपूर्ण है? यदि नहीं, तो उत्पादन कम्पनी द्वारा किए गए हानि के दावे पर टिप्पणी दें।	विद्युत के निष्क्रमण की पारेषण प्रणाली राज्य के स्वामित्व वाली उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण के लिए उपलब्ध विद्युत के अनुरूप है।	कोई टिप्पणी नहीं।

क्र.सं.	उपनिर्देश	टिप्पणी	प्रबन्धन के उत्तर
4.	वर्ष के दौरान कितनी पारेषण हानियां निर्धारित मानकों से अधिक रहीं तथा कि क्या उनका लेखा पुस्तकों में समुचित लेखांकन किया गया है अथवा नहीं?	उ॰प्र॰वि॰नि॰आ॰, एक राज्य आयोग ने वि॰व॰ 2020-21 के लिए अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.41% अनुमोदित की है। उ॰प्र॰पा॰ट्रा॰का॰लि॰ ने वास्तविक अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.37% की है जो कि तुलना में कम तथा राज्य आयोग द्वारा वि॰व॰ 2020-21 के लिए अनुमोदित अन्तःराज्यीय पारेषण हानि की सीमा के अन्तर्गत है।	कोई टिप्पणी नहीं।
5.	क्या अन्य एजेन्सियों हेतु निर्मित तथा पूर्ण की गई आस्तियों को उन्हें हस्तगत कर दिया गया है तथा उनका वित्तीय प्रपत्रों में समुचित लेखांकन किया गया है?	संपत्ति का निर्माण कंपनी द्वारा लाभार्थी एजेंसी के अनुरोध पर किया जाता है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, यदि जमा कार्य पूरा होने पर संपत्ति एजेंसी की संपत्ति बन जाती है, तो इसे एजेंसी को मद अथवा कार्यवार उदित हुए कुल व्यय के विवरण के साथ हस्तगत कर दिया जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं।

—ह॰—
ए॰के॰ गुप्ता
अधिशासी निदेशक
(वित्त एवं लेखा)

—ह॰—
रन्जन कुमार श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)

—ह॰—
पी॰ गुरूप्रसाद
प्रबन्ध निदेशक

अनुलग्नक–IV

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

कम्पनी अधिनियय 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के वाक्य (i) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के कम्पनी के एकल वित्तीय विवरणों की अपनी सम्प्रेक्षा के साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) की वित्तीय सूचना पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणो का सम्प्रेक्षण किया है।

निर्देश	उत्तर
आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व कम्पनी का प्रबन्धन भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा निर्गत वित्तीय सूचना पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की सम्प्रेक्षा पर दिशा निर्देश लेख टिप्पणी में इंगित आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक घटको को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचना कसौटी पर आन्तरिक नियंत्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने एवं रख रखाव करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त वित्तीय नियन्त्रणों की रूप रेखा बनाना, कार्यान्वयन तथा रख रखाव सम्मिलित है जो कम्पनियों की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधडी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की यर्थाथता एवं पूर्णता तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत जैसा आवश्यक है, ससमय विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सहित, इसके व्यवसाय के सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चत करने के लिए प्रभावी रूप से क्रियाशील थे।	कोई टिप्पणी नहीं।
सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व हमारा उत्तरदायित्व अपने सम्प्रेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपना सम्प्रेक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की सम्प्रेक्षण पर (दिशानिर्देश लेख) तथा भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्थान द्वारा निर्गत सम्प्रेक्षा के मानको के अनुसार सम्पादित किया	कोई टिप्पणी नहीं।

निर्देश	प्रबन्धन के उत्तर
जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट हुए माने गये है तथा आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर लागू सीमा तक दोनों ही आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की सम्प्रेक्षा पर प्रभावी है तथा दोनो ही भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थान द्वारा निर्गत किये गये हैं। उन मानक एवं दिशानिर्देश लेख द्वारा अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करे तथा सम्प्रेक्षा की कार्ययोजना एवं निष्पादन उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण स्थापित किया गया एवं बनाये रखा गया तथा क्या ऐसे नियन्त्रण सभी महत्वपूर्ण सम्बन्धों में प्रभावी रूप से परिचालित थे।	
हमारे सम्प्रेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की पर्याप्तता के बारे में सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के हमारे सम्प्रेक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण कमजोरी विद्यमान होने सम्बन्धी जोखिम का आकलन करना तथा आकलित जोखिम के आधार पर तैयार किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की कार्यसाधकता एवं अभिकल्प का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया, वित्तीय विवरणो की महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश हो की जोखिम के निर्धारण सहित, सम्प्रेक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
हम विश्वास करते है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये सम्प्रेक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली पर हमारे सम्प्रेक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण से तात्पर्य कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य एक ऐसी सुदृढ़ प्रक्रिया तैयार किये जाने से है जिससे बाह्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु	

निर्देश	उत्तर
वित्तीय रिपोर्टिंग एवं वित्तीय प्रपत्रों की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में तैयार किया गया होने सम्बन्धी समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण में वह नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है जो (1) अभिलेखों के रख रखाव से सम्बन्धित होती है, उचित विवरण में, सही ढंग से तथा काफी हद तक लेन देनों तथा कम्पनी की परिसम्पत्तियों की स्थिति को प्रतिबिम्बित करती है। (2) पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है कि लेनदेनों को अभिलेखबद्ध किया जाता है जैसा कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की अनुज्ञा के लिए आवश्यक है तथा कम्पनी की प्राप्तियां एवं व्यय कम्पनी के प्रबन्धन तथा निदेशको के अधिकार पत्रों के अनुसार ही किये जा रहे है। (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग एवं परित्यक्तता जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, की रोकथाम या समय से पता लगाने के सम्बन्ध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है।	
वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं प्रबन्धकीय कमियों, नियंत्रण के लंघन तथा आपसी साँठ–गाँठ की सम्भावनाओं आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण ऐसा सम्भव है कि त्रुटियों अथवा धोखाधड़ी के कारण सारभूत मिथ्याकथन विद्यमान हों जिनका पता न लग पाया हो। साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का आंकलन का अनुमान परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियो या कार्यप्रणालियों के अनुपालन की कोटि/श्रेणी विकृत कर सकता है।	कोई टिप्पणी नहीं।

निर्देश	उत्तर
अभिमत हमारा अभिमत है कि कम्पनी सभी महत्वपूर्ण विषयों में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली रखती है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण 31.03.2021 को प्रभावी रूप से परिचालित थे, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा निर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की सम्प्रेक्षा पर मार्गदर्शीय टिप्पणी में वर्णित आन्तरिक नियन्त्रण के महत्वपूर्ण भागों को विचारित कर कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियन्त्रण कसौटी पर आधारित है सिवाय उन कमियो के जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक I व II पर वर्णित है।	कोई टिप्पणी नहीं।
अ) प्रयागराज और गोरखपुर परिक्षेत्र (i) परिक्षेत्र की सभी इकाइयों में बैंकिंग और नकद लेनदेन पर दोहरा नियंत्रण आवश्यक है, (ii) किसी विशेष तिथि पर रोकड़ शेष का पता लगाने के लिए रोकड़ बही के दैनिक नकद संतुलन की सिफारिश की जाती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
ब) लखनऊ जोन (i) परिक्षेत्र में भण्डार के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। भण्डार का केवल मात्रात्मक भौतिक सत्यापन किया जाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में वस्तुवार सूची का मूल्यांकन तैयार नहीं किया जाता है। (ii) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, कर्मचारियों और अन्य पार्टियों के साथ सुलह और/या शेष राशि की पुष्टि की कोई प्रणाली नहीं है और कुछ मामलों में खाते प्रतिकूल शेष	कोई टिप्पणी नहीं।

निर्देश	उत्तर
राशि को दर्शाते हैं। यह संभावित रूप से एमटीबी में आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, कर्मचारियों और अन्य पार्टियों के संतुलन के गलत विवरण का परिणाम हो सकता है। (iii) इकाई/क्षेत्र स्तर पर अंतर–इकाई खातों के समाधान की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 से पहले प्रारंभिक बकाया राशि का बड़ा भाग लम्बित है। (iv) यद्यपि अंचल की इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया गया है, 49 इकाइयों में से केवल 25 विवरण हमें इस विवरण की तिथि तक उपलब्ध कराई गई थीं। आंतरिक लेखापरीक्षा विवरण में उठाए गए बिंदुओं पर समीक्षा और कार्रवाई की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है	

–ह०–
ए०के० गुप्ता
अधिशासी निदेशक
(वित्त एवं लेखा)

–ह०–
रन्जन कुमार श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)

–ह०–
पी० गुरूप्रसाद
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी पर प्रबन्धन के उत्तर

सी.ए.जी. की टिप्पणियाँ	प्रबन्धन का उत्तर
कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा की अनुरूपता में उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), हेतु 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबन्धन का है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अन्तर्गत नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित सम्प्रेक्षा मानकों की अनुरूपता में कम्पनी अधिनियम की धारा 143 के अनुसार वित्तीय प्रपत्रों पर अभिमत प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से किया गया होना इंगित है। मेरे द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, की धारा 143(6)(ए) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों की पूरक सम्प्रेक्षा सम्पन्न की गयी। यह पूरक सम्प्रेक्षा, वैधानिक सम्प्रेक्षकों के कार्याभिलेखों को प्राप्त किये बिना स्वतंत्र रूप से सम्पादित की गयी है तथा मुख्यतः वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से पडताल, तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षण तक ही सीमित है। मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर, अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को जो कि मेरे संज्ञान में आये तथा मेरे विचार से वित्तीय प्रपत्रों एवं सम्बन्धित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को बेहतर समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है, को प्रमुखता से दर्शाना चाहूँगा :	कोई टिप्पणी नहीं।

सी.ए.जी. की टिप्पणियाँ	प्रबन्धन का उत्तर
अ. वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ **चालू परिसम्पत्तियां** **व्यापार प्राप्य (नोट–8) : ₹ 6,357.62 करोड़** **संदेहास्पद व्यापार प्राप्य – शून्य** 1. उपरोक्त वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक के अतिरिक्त राज्य उपभोक्ताओं (मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश) से ₹ 19.62 करोड़ की असंरक्षित प्राप्य राशि दर्ज किया है। ये प्राप्य 3 वर्ष से अधिक पुराने हैं तथा इन पक्षों के विरुद्ध अवशेषों की पुष्टि भी कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थी, किन्तु इन प्राप्यों के विरुद्ध अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिये लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वर्ष 2019-20 के लेखों पर टिप्पणी के बावजूद प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	वित्तीय वर्ष 2021–22 के वार्षिक खातों में ₹ 19.62 करोड़ की प्राप्य राशियों के विरूद्ध प्रावधान किया गया है।
ब. लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ 2. सांविधिक लेखा परीक्षक ने वार्षिक आम सभा (एजीएम) में पिछले वर्षों के खातों को अपनाने से पहले, 23 दिसंबर, 2021 को वर्ष के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की। हालांकि, एजीएम में पिछले वर्षों के खातों को न अपनाने के तथ्य को इस सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में नहीं बताया गया है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(2) के साथ पठित धारा 96 और बिंदु संख्या 4 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षकों के नियुक्ति पत्र की 'लेखा परीक्षकों के लिए शर्त' आवश्यक है।	सांविधिक लेखापरीक्षक इस तथ्य से अवगत हैं और उनकी ओर से आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

–ह.–	–ह.–	–ह.–	–ह.–
सरवन बब्बर	**ए.के. गुप्ता**	**रंजन कुमार श्रीवास्तव**	**पी. गुरुप्रसाद**
उप महाप्रबन्धक	अधिशासी निदेशक	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक
(वित्त एवं लेखा)	(वित्त एवं लेखा)		

31 मार्च, 2021 का तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
परिसम्पत्तियाँ			
1. गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
(अ) सम्पत्ति, संयत्र एवं उपस्कर	2	**21,50,946.79**	19,51,262.71
(ब) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	3	**7,95,832.17**	7,79,356.21
(स) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	4	**417.47**	122.43
(द) अस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	5	**2,969.76**	16,655.16
(य) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	6	**454.34**	456.30
2. चालू परिसम्पत्तियाँ			
(अ) वस्तु सूची (भण्डार एवं सामग्री)	7	**1,60,791.32**	1,62,714.84
(ब) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ			
(i) व्यापारिक प्राप्य	8	**6,35,762.13**	5,60,054.57
(ii) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	9	**65,475.64**	75,214.47
(स) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	10	**39,936.76**	40,505.88
कुल परिसम्पत्तियाँ		**38,52,586.38**	35,86,342.57
समता एवं दायित्व			
समता			
(अ) समता अंशपूँजी	11	**17,52,314.05**	15,06,006.68
(ब) अन्य समता (एस॰ओ॰सी॰ई॰ देखें)		**1,05,488.55**	1,19,386.18
दायित्व			
1. गैर चालू दायित्व			
(अ) वित्तीय दायित्व			
(i) उधारियाँ	12	**11,82,214.38**	11,59,335.40
(ii) अन्य वित्तीय दायित्व	13	**–**	2,470.95
(ब) प्रावधान	14	**28,439.77**	28,449.04
(स) अन्य गैर चालू दायित्व	15	**97.23**	103.28
2. चालू दायित्व			
(अ) वित्तीय दायित्व	16	**1,69,242.13**	1,63,641.81
(ब) अन्य चालू दायित्व	17	**6,13,309.27**	6,05,251.81
(स) प्रावधान	18	**1,481.00**	1,697.42
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		
लेखों पर टिप्पणियाँ	29		
टिप्पणियाँ 1 से 29 तक लेखे के अभिन्न अंग है।			
कुल समता एवं दायित्व		**38,52,586.38**	35,86,342.57

–ह॰–	–ह॰–	–ह॰–	यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के आधीन
(एस॰के॰ अवस्थी)	**(ए॰के॰ गुप्ता)**	**(रन्जन के॰ श्रीवास्तव)**	**कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी**
उपमहाप्रबन्धक	अधिशासी निदेशक एवं सी॰एफ॰ओ॰	निदेशक (वित्त)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(वित्त एवं लेखा)	(वित्त एवं लेखा)	डीआईएन 07338796	

–ह॰–	–ह॰–	–ह॰–
(ऋषि टण्डन)	**(पी॰ गुरूप्रसाद)**	**(आर॰पी॰ तिवारी)**
कम्पनी सचिव	प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
	डीआईएन–07979258	स॰सं॰ 071448
		फर्म पंजी॰सं॰ 000932सी

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 23.12.2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2021 समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2020 समाप्त हुए वर्ष के लिए
I	परिचालनों से राजस्व	19	**3,30,221.26**	3,49,808.12
II	अन्य आय	20	**26,247.60**	32,478.85
III	**कुल आय (I+II)**		**3,56,468.86**	3,82,286.97
	व्यय			
	कर्मचारी लाभों पर व्यय	21	**34,446.22**	36,128.83
	वित्तीय लागत	22	**1,18,937.20**	1,13,111.64
	अवक्षयण एवं अपाकरण व्यय	23	**1,39,178.47**	1,26,474.60
	अन्य व्यय			
	(अ) प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय	24	**6,481.88**	6,309.99
	(ब) मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	25	**44,864.84**	45,864.69
	(स) अशोध्य ऋण एवं प्रावधान	26	**–**	298.50
IV	**कुल व्यय**		**3,43,908.61**	3,28,188.25
V	कर से पूर्व लाभ / (हानि) (III-IV)		**12,560.25**	**54,098.72**
VI	**कर व्यय :**			
	(अ) चालू कर		**–**	–
	(ब) अस्थगित कर	27	**13,685.40**	22,666.27
VII	सतत संचालन से अवधि के लिए लाभ / (हानि) (V-VI)		**(1,125.15)**	31,432.45
VIII	असतत संचालनों से लाभ / (हानि)		**–**	–
IX	असतत संचालनों पर कर व्यय		**–**	**–**
X	असतत संचालनों से लाभ / (हानि) (कर के पश्चात) (VIII–IX)		**–**	–
XI	अवधि के लिए लाभ / (हानि) (VII+X)		**(1,125.15)**	3,1432.45
XII	अन्य व्यापक आय			
	ऐसे मद जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुर्नवर्गीकृत नहीं किया जाएगा	28	**1,299.25**	(1,553.67)
XIII	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XI+XII) (अवधि के लिए लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय)		**174.10**	29,878.78
XIV	प्रति समता अंश आय (सतत संचालन हेतु) (वास्तविक अंकों में)			
	(1) आधारभूत ई॰पी॰एस॰[1]		**(0.71)**	**21.37**
	(2) तनुकृत ई॰पी॰एस॰[1]		**(0.71)**	**20.70**

XV	प्रति समता अंश अर्जित आय (असतत हुए संचालन हेतु) (वास्तविक अंकों में)		
(1)	आधारभूत ई॰पी॰एस॰[1]	–	–
(2)	तनुकृत ई॰पी॰एस॰[1]	–	–
XVI	प्रति समता अंश से आय (सतत और असतत संचालन हेतु) (वास्तविक अंकों में)		
(1)	आधारभूत ई॰पी॰एस॰[1]	**(0.71)**	**21.37**
(2)	तनुकृत ई॰पी॰एस॰[1]	**(0.71)**	**20.70**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 1		
	लेखों पर टिप्पणियाँ 29		

टिप्पणी 1 से 29 तक लेखे का अभिन्न अंग है।

[1] टिप्पणी संख्या 29 का बिन्दु संख्या 10 देखें।

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के आधीन

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

–ह॰–	–ह॰–	–ह॰–
(एस॰के॰ अवस्थी)	**(ए॰के॰ गुप्ता)**	**(रन्जन के॰ श्रीवास्तव)**
उपमहाप्रबन्धक	अधिशासी निदेशक एवं सी॰एफ॰ओ॰	निदेशक (वित्त)
(वित्त एवं लेखा)	(वित्त एवं लेखा)	डीआईएन 07338796

–ह॰–	–ह॰–	–ह॰–
(ऋषि टण्डन)	**(पी॰ गुरूप्रसाद)**	**(आर॰पी॰ तिवारी)**
कम्पनी सचिव	प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
	डीआईएन–07979258	स॰सं॰ 071448
		फर्म पंजी॰सं॰ 000932सी

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 23.12.2021

समता में परिवर्तन का विवरण

अ. समता अंशपूंजी

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

01.04.2020 को अवशेष	वर्ष के दौरान समता अशपूंजी में परिवर्तन	31.03.2021 को अवशेष
15,06,006.68	**2,46,307.37**	**17,52,314.05**

ब. अन्य समता

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

विवरण	आवंटन लम्बित अंश आवेदन धनराशि	संचय एवं आधिक्य			अन्य व्यापक आय के अन्य मदें (बीमांकक लाभ एवं हानि)	योग
		पूंजी संचय	अन्य संचय	धारित आय		
01.04.2020 को अवशेष	51,594.38	1,55,021.58	1,291.56	(80,576.97)	(619.15)	1,26,711.40
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्वावधि त्रुटियाँ	0.00	(216.25)	0.00	(7,108.97)	0.00	(7,325.22)
01.04.2020 को पुर्नस्थापित अवशेष	51,594.38	1,54,805.33	1,291.56	(87,685.94)	(619.15)	1,19,386.18
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.25	1,299.25
लाभांश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
धारित आय में अंतरण	0.00	0.00	0.00	(1,125.15)	0.00	(1,125.15)
कोई अन्य परिवर्तन	(51,594.38)	37,472.46	50.19	0.00	0.00	(14,071.73)
31.03.2021 को अवशेष	0.00	1,92,277.79	1,341.75	(88,811.09)	680.10	1,05,488.55

—ह०—
(एस०के० अवस्थी)
उपमहाप्रबन्धक
(वित्त एवं लेखा)

—ह०—
(ए०के० गुप्ता)
अधिशासी निदेशक एवं सी०एफ०ओ०
(वित्त एवं लेखा)

—ह०—
(रन्जन के० श्रीवास्तव)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 07338796

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के आधीन
कृते आर०एम० लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

—ह०—
(ऋषि टण्डन)
कम्पनी सचिव

—ह०—
(पी० गुरूप्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन–07979258

—ह०—
(आर०पी० तिवारी)
साझीदार
स०सं० 071448
फर्म पंजी०सं० 000932सी

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 23.12.2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	कर से पहले शुद्ध लाभ / (हानि)	**12,560.25**	54,098.72
	समायोजन निम्नलिखित के लिए :–		
(अ)	अवक्षयण	**1,39,178.47**	1,26,474.60
(ब)	उपभोक्ता अंशदान से मान्यता प्राप्त आगम	**(12,962.03)**	(10,452.02)
(स)	उपभोक्ता अंशदान से आय	**50,434.49**	39,696.15
(द)	ब्याज और वित्त प्रभार	**1,18,937.20**	1,13,111.64
(य)	पूंजीगत व्यय पर हानि का प्रावधान	–	113.00
(र)	हानि का प्रावधान – आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अग्रिम	–	185.00
(ल)	उपार्जित अवकाश नकदीकरण (सेवानैवृत्तिक लाभ) का प्रावधान	**(370.02)**	3,490.08
(व)	ब्याज से आय	**(1,644.17)**	(3,223.04)
(श)	ग्रेच्युटी का प्रावधान – सीपीएफ कर्मचारी	**1,443.59**	1,010.85
(ष)	अन्य पूंजीगत कोष	**50.19**	97.18
(क्ष)	अस्थगित आय	**(6.05)**	103.28
	कार्यशील पूंजीगत परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	**3,07,621.92**	3,24,705.94
	समायोजन निम्नलिखित के लिए		
(अ)	वस्तुसूची (भण्डार एवं कलपुर्जो) में कमी / (वृद्धि)	**1,923.53**	(19,603.25)
(ब)	व्यापारिक प्राप्य में कमी / (वृद्धि)	**(75,707.57)**	(1,38,632.95)
(स)	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	**3,165.67**	4,768.23
(द)	अन्य चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)	**13,657.77**	93,462.45
	संचालन से उत्पन्न नकद	**2,50,661.32**	2,64,700.42
	घटाया : करों का भुगतान	**2,596.55**	4,224.46
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (अ)	**2,48,064.77**	2,60,475.96
ब)	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(अ)	सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों में कमी / (वृद्धि)	**(3,33,207.48)**	(2,95,476.97)
(ब)	पीपीई पर समायोजित / घटाया गया अवक्षयण कोष	**(5,509.35)**	(10,789.02)
(स)	अमूर्त सम्पत्ति में कमी / (वृद्धि)	**(440.76)**	(2.98)
(द)	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में कमी / (वृद्धि)	**(16,475.96)**	(75,924.20)
(य)	अन्य गैर चालू सम्पत्तियों में कमी / (वृद्धि)	**1.96**	(96.95)
(र)	प्राप्त ब्याज	**1,644.17**	3,223.04
	निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया शुद्ध नकद (ब)	**(3,53,987.42)**	(3,79,067.08)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
स)	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
(अ)	उधारियों से प्राप्ति (निवल)	**22,878.98**	69,165.14
(ब)	अंशपूंजी से प्राप्ति	**2,46,307.37**	1,46,472.70
(स)	अंश आवेदन से प्राप्त धनराशि	**(51,594.38)**	5,121.68
(द)	अन्य दीर्घकालिक दायित्व	**(2,470.95)**	(11,516.94)
(य)	ब्याज और वित्त शुल्क	**(1,18,937.20)**	(1,13,111.65)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (स)	**96,183.82**	96,130.93
	नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध (कमी)/वृद्धि (अ+ब+स)	**(9,738.83)**	(22,460.19)
	वर्ष के आरम्भ में नकद और नकद समतुल्य	**75,214.47**	97,674.66
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**65,475.64**	**75,214.47**

रोकड़ प्रवाह विवरण के लिए टिप्पणियाँ :

(i) वर्ष के अन्त में नकद और नकद समतुल्य :–

हस्तस्थ रोकड़	**13.41**	17.16
पारगमन में रोकड़	**–**	–
बैंको में अवशेष		
चालू और अन्य खातो में	**65,459.34**	75,189.56
सावधि जमा खाते में	**2.89**	7.75
योग	**65,475.64**	75,214.47

(ii) यह विवरण भारतीय लेखांकन मानक 7 के पैरा 20 में प्रावधानित अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है।

(iii) नकद और नकद समतुल्यों में हस्तस्थ नकदी, चालू और अन्य खातों में बैंकों के अवशेष तथा बैंको के साथ सावधि जमा सम्मिलित है।

(iv) आवश्यकतानुसार पूर्व वर्ष के आकड़ों का पुनःसमूहीकरण/पुनः वर्गीकरण/पुर्नआगणन किया गया है।

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के आधीन
कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

–ह॰–	–ह॰–	–ह॰–
(एस॰के॰ अवस्थी)	**(ए॰के॰ गुप्ता)**	**(रन्जन के॰ श्रीवास्तव)**
उपमहाप्रबन्धक	अधिशासी निदेशक एवं सी॰एफ॰ओ॰	निदेशक (वित्त)
(वित्त एवं लेखा)	(वित्त एवं लेखा)	डीआईएन 07338796

–ह॰–	–ह॰–	–ह॰–
(ऋषि टण्डन)	**(पी॰ गुरूप्रसाद)**	**(आर॰पी॰ तिवारी)**
कम्पनी सचिव	प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
	डीआईएन–07979258	स॰सं॰ 071448
		फर्म पंजी॰सं॰ 000932सी

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 23.12.2021

टिप्पणी–1

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (वित्तीय वर्ष 2020-21)

1) सामान्य/तैयार करने का आधार

(अ) शासी अधिनियम

कंपनी, लागू सीमा तक विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 में दिये गये प्रावधानों के अधीन शासित है।

(ब) अनुपालन का विवरण

वित्तीय प्रपत्र ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अन्तर्गत लेखांकन के प्रोदभूत आधार पर तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किये गये है, तथा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अन्तर्गत अधिसूचित एवं उसके बाद संशोधित भारतीय लेखांकन मानको, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित तथा लागू होने की सीमा तक), कम्पनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों, विद्युत अधिनियम, 2003 प्रावधान तथा लागू सीमा तक विद्युत (प्रदाय) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं। जहाँ कहीं कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से विचलन है, विद्युत (प्रदाय) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के संगत प्रावधान प्रभावी है। लेखांकन नीतियों को कम्पनी द्वारा जब तक अन्यथा वर्णित न हो के अतिरिक्त समनुरूपता से लागू किया गया है।

(स) कार्यात्मक एवं प्रस्तुतिकरण मुद्रा :–

यह वित्तीय लेखे भारतीय रूपये (₹) में प्रस्तुत किये गये हैं, जो कि कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा है। जब तक अन्यथा वर्णित न हो, सभी वित्तीय सूचनाओं को भारतीय रूपये के निकटतम ₹ लाख से पूर्णांकित (दो दशमलव तक) कर प्रस्तुत किया गया है।

(द) चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण :–

(1) कम्पनी द्वारा चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को प्रस्तुत किया गया है।

एक परिसम्पत्ति चालू है जब उसकी –

- सामान्य परिचालकीय चक्र में वसूली होना या खपत होना अपेक्षित है;
- प्रतिवेदन अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर वसूली होना अपेक्षित है; या
- रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, जब तक प्रतिवेदन अवधि के बाद बारह माह के लिए किसी दायित्व को चुकाने के लिए प्रयोग किये जाने अथवा आदान प्रदान किये जाने हेतु वर्जित न हो।

अन्य सभी परिसम्पत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक दायित्व चालू है जब –

- इसको सामान्य परिचालकीय चक्र में निस्तारित करना अपेक्षित हो।
- प्रतिवेदन अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर इसका निस्तारण नियत हो।
- प्रतिवेदन अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह के लिए दायित्व के निस्तारण को स्थगित करने का बिना शर्त का अधिकार न हो।

अन्य सभी दायित्वों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(2) अस्थगित कर आस्तियों/देनदारियों को गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(य) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय प्रपत्रों को तैयार किए जाने हेतु प्राक्कलन एवं अभिकल्पना की भी आवश्यकता पड़ती है जिसका सम्बन्धित अवधि के आस्तियों, दायित्वों, राजस्व एवं व्ययों की प्रतिवेदित राशि पर प्रभाव पड़ता है। यद्यपि कि ऐसे प्राक्कलन तथा अनुमान समस्त उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित युक्तियुक्त तथा विवेकपूर्ण विधि से तैयार किए जाते हैं परन्तु यह संगत मामलों में वास्तविक परिणामों से भिन्न भी हो सकते हैं तथा जिस अवधि में इस प्रकार के कार्य पूर्ण होते हैं उसी अवधि में इन अन्तरों को लेखों में अभिलिखित कर लिया जाता है।

2) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(I) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(अ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) ऐतिहासिक लागत पर संचयी अवक्षयण के पश्चात दर्शाये जाते है।

(ब) परिसम्पत्ति को प्रबन्धन द्वारा प्रयोजित तरीके से संचालित होने के लिए सक्षम होने की परिस्थिति एवं स्थान तक लाने के लिए प्रत्यक्ष आरोप्य व्यय लागत में सम्मिलित है।

(स) सम्पत्ति के प्रयोग में आने की स्थिति में, ऐसे प्रकरण जहाँ ठेकेदारों के बीजकों का अन्तिम निस्तारण होना शेष हो का अनन्तिम आधार पर पूंजीकरण समायोजन अन्तिम निस्तारण के वर्ष में कर दिये जाने के प्रतिबन्धाधीन किया जाता है।

(द) पारेषण तंत्र परिसम्पत्तियों को यूपीईआरसी टैरिफ विनियमन के संदर्भ में घोषित वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से उपयोग करने के लिए तैयार माना जाता है और तदनुसार पूंजीकृत किया जाता है।

(य) विद्युत (प्रदाय) वार्षिक लेखा नियम, 1985 में निहित प्रावधानों के दृष्टिगत सम्पत्ति, संयत्र और उपकरण को पूनर्मूल्यांकन अनुज्ञेय नहीं है।

(II) प्रगतिशील पूँजीगत कार्य

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निर्माण के लिए सामग्री की लागत, निर्माण व्यय और अन्य खर्चों को पूँजीकरण की तारीख तक प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया गया है।

(ख) कार्यात्मक इकाई की बहुलता के साथ–साथ इकाई विशेष में कार्यों की बहुलता के कारण, कर्मचारी लागत को विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए पूंजीगत कार्यों के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में निम्नवत् रोपित किया जाता हैः–

(1) पूँजीगत पारेषण कार्यों के लिए

(i) 132 एवं 220 के॰वी॰ उप–केन्द्रों एवं लाइनों पर 9%

(ii) 400 के॰वी॰ उप–संस्थानों एवं लाइनों पर 7%, और

(iii) 765 के॰वी॰ उप–संस्थानों एवं लाइनों के मामलों में 5%

(2) अन्य पूँजीगत कार्यों पर 10%

(ग) जमा कार्यो पर पर्यवेक्षण व्यय पूंजीगत कार्य के कुल व्यय का 15% (टिप्पणियों के अन्तर्गत अन्यथा वर्णित को छोड़कर) की दर से रोपित है।

(घ) पीपीई के निर्माण के लिए आवंटित निर्माण के दौरान ब्याज को सीडब्लूआईपी के तहत एक अलग मद के रूप में रखा जाता है और संबंधित परिसम्पत्तियाँ जो पूंजीकृत होनी है में रोपित किया जाता है।

(ङ) सीडब्ल्यूआईपी के तहत आपूर्तिकर्ताओ/ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजीगत) विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अन्तर्गत है।

(III) अवक्षयण

(क) संपत्ति की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण लागत वाले संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक भाग पर अलग से ह्रास लगाया गया है।

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 सपठित धारा 61 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचना संख्या एल–1/236/2018/सी॰ई॰आर॰सी॰ दिनांक 07.03.2019 से निर्गत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ नियम तथा शर्ते) विनियम, 2019 के ''परिशिष्ट–I'' में दिये गए प्रावधानों के आधार पर अवक्षयण भारित किया गया है। उक्त विनियमावली दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए मान्य है।

(ग) उक्त बिन्दु (ख) के दृष्टिगत संपत्ति संयंत्र एवं उपकरणों के वास्तविक मूल्य का 10% अवशेष मूल्य मानते हुए अवक्षयण व्यय निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर भारित किया गया है। (लकड़ी के ढांचे जैसे अस्थायी निर्माण जहां अवक्षयण की दर 100% और आई॰टी॰ उपकरण और साफ्टवेयर के मामले में जहां मूल्यह्रास मूल्य 100% है और निस्तारण मूल्य शून्य को छोड़कर)।

(घ) वर्ष के दौरान सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के परिवर्धन मूल्य पर ह्रास व्यावसायिक संचालन के माह से आनुपातिक आधार पर लिया जाता है। इसी प्रकार, वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से घटौती की दशा में अवक्षयण अनुपातिक आधार पर उस माह तक लगाया जाता है जिस माह में परिसम्पत्ति निस्तारित की गयी है।

ङ) पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में (अन्य परिसम्पत्तियों के विपरीत जहां मूल्यह्रास योग्य मूल्य 90% है), मूल्यह्रास पट्टे पर ली गई परिसम्पत्ति की लागत का 100% (पट्टा परिसम्पत्ति की पहचान के लिए नाममात्र मूल्य छोड़कर) अपलेखन सीधी रेखा विधि द्वारा प्रभारित किया जाता है।

(i) उपर्युक्त III (बी) के अनुसार या

(ii) पट्टे की अवधि के दौरान,

जो भी छोटा हो,

पट्टे की अवधि को ध्यान में रखते हुए, पट्टा समझौते में नवीनीकरण वाक्य, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया गया है।

(IV) उधारी लागत

अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण सम्बन्धित उधारी लागत को वाणिज्यिक परिचालन की प्रभावी तारीख तक ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूँजीकृत किया जाता है। एक अर्हक संपत्ति वह है जो

आवश्यक रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती है। अन्य सभी उधारी लागत उस अवधि के लाभ और हानि खाते में अभिज्ञात की जाती है जिस अवधि में वे उपगत होती हैं।

V) भण्डार एवं कलपुर्जे

(क) विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखा नियम, 1985 के अन्तर्गत भण्डार एवं कलपुर्जों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर लागत (अर्थात लेन–देन मूल्य) पर किया जाता है, जो उन्हें प्रतिस्थापन लागत वर्तमान लागत, आदि में समायोजित करने के लिए पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नही देता है।

(ख) इस्पात अवशिष्ट का मूल्यांकन वसूली योग्य मूल्य पर तथा इस्पात के अतिरिक्त अन्य अवशिष्ट सामान को जब बेचा जाता है, लेखो में लेखांकित किया जाता है।

(ग) वर्ष के अन्त में यदि सामग्री में आधिक्य/कमी परिलक्षित होती है तो उसे ''जांच के अधीन लम्बित सामग्री आधिक्य/कमी'' मद के अंतर्गत दर्शाया जाता है तथा जांच के अन्तिम होने के पश्चात यदि कोई आधिक्य निर्धारित होती है तो उसे आय के मद में लेखांकित किया जाता है। इसी प्रकार जांचोपरान्त कमी निर्धारित होने की दशा में, जैसी भी स्थिति हो, या तो कार्मिकों से वसूली की जाती है अथवा लाभ/हानि खाते में भारित किया जाता है।

(घ) चोरी अथवा अन्य कारणों से हुई कमी/हानि को प्रथमतः ''कार्मिकों के विरूद्ध विविध अग्रिम'' मद में डेबिट किया जाता है तथा जांच/निपटारे के अन्तिम होने तक ''चालू आस्तियाँ'' के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

VI) राजस्व मान्यता

(अ) अन्तःराज्यीय के अन्दर ऊर्जा के पारेषण के राजस्व को लेखों में माननीय उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के आधार पर समाविष्ट किया जाता है। माननीय उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ तथा सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर ट्रु–अप याचिका में प्रस्तुत टैरिफ में यदि कोई अन्तर हो तो उसे उ॰प्र॰ विद्युत नियामक आयोग के अन्तिम निर्णय के अनुसार लेखांकित किया जाता है।

(ब) ''भारतीय लेखांकन मानक 115 –ग्राहक के साथ अनुबन्ध से राजस्व'' के प्रावधानों के अनुरूप, पूंजीगत सम्पत्ति की लागत के सापेक्ष प्राप्त उपभोक्ता अंशदान, जिसे प्रारम्भ में पूंजीगत कोष के रूप में लेखांकित किया जाता है, को उपभोक्ता के साथ हुए अनुबन्ध के नियमों द्वारा विशेष रूप से निर्धारित अवधि को छोड़कर, निर्धारित समयावधि, जो विनियामक (अर्थात, सीईआरसी) द्वारा, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 178 में दिये अधिकार का प्रयोग करते हुए, सी॰ई॰आर॰सी॰ विनियम के माध्यम से निर्धारित अवक्षयण की साधारण दर के आधार पर प्राप्त सम्बन्धित परिसम्पत्ति की उपयोगी जीवनकाल है, में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपभोक्ता योगदान संचय प्रारंभिक अभिमान्यता के वर्ष, जब समान वार्षिक आय का केवल 50% राजस्व के रूप में अभिज्ञात है, तथा उपरोक्त कथित अवधि के अंत में जब सम्पूर्ण शेष अभिज्ञात राशि को छोड़कर, उपरोक्त कथित अवधि में समान वार्षिक राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

स) अन्तर–राज्यीय लघु अवधि ओपेन एक्सेस के सम्बन्ध में एन॰आर॰एल॰डी॰सी॰ के माध्यम से प्रभार की अग्रिम वसूली की नीति तथा अन्तःराज्यीय लघु अवधि ओपेन एक्सेस के सम्बन्ध में एस॰एल॰डी॰सी॰ द्वारा जारी भुगतान अनुसूची के दृष्टिगत्, ओपेन एक्सेस से होने वाले राजस्व को वसूली के उपरान्त

सी॰ई॰आर॰सी॰ / यू॰पी॰ई॰आर॰सी॰ द्वारा स्वीकृत टैरिफ के अनुसार प्रोद्भूत आधार पर मान्य लेखांकित किया जाता है।

अग्रेतर, भारतीय लेखांकन मानक 115–'उपभोक्ता के साथ अनुबन्ध से राजस्व' के अनुसार, अग्रिम के रूप में प्राप्त राजस्व को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत आने वाले लघु अवधि ओपेन एक्सेस अवधि के अनुपात मे तभी संज्ञान में लेना है जब या तो एक्सेस दे दिया गया हो या लघु अवधि ओपेन एक्सेस की समायवधि समाप्त हो गई हो एवं कोई कार्य शेष न हो या जब अनुबन्ध समाप्त हो गया हो। अपितु राजस्व के रूप में संज्ञान में लेने से पूर्व एस॰टी॰ओ॰ए॰उपभोक्ता से प्राप्त राशि को एक दायित्व के रूप में लेखांकित किया जाना है।

(द) सरकारी अनुदान को तुलन पत्र में, अनुदान की प्राप्ति पर दायित्व के रूप में दर्शा कर लेखांकन किया जाता है तथा संचय में अस्थगित आय के रूप में केवल तभी अन्तरित किया जाता है जब उस से जुड़ी शर्तें पूरी हो चुकने का तर्कसंगत विश्वास हो। ऐसी अस्थगित आय लाभ–हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर एक अवधि में अभिज्ञात की जाती है जो अंतनिर्हित पूंजीगत सम्पत्ति का उपयोगी जीवनकाल है जो कि अवक्षयण की सामान्य दर पर जैसा कि विनियामक (सी॰ई॰आर॰सी॰) द्वारा निर्धारित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निर्गत विनियम द्वारा निर्धारित किया गया है।

(य) जमा कार्यों पर पर्यवेक्षण प्रभार (लागू दरों के अनुसार) संबंधित अवधि के दौरान सम्बन्धित व्यय के अनुपात में राजस्व के रूप में मान्य किये जाते है।

(र) बीमा और अन्य दावे, कस्टम ड्यूटी की वापसी, आयकर और व्यापार कर पर ब्याज प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किये गये है। कर्मचारियों को दिये ऋण पर ब्याज का लेखांकन प्राप्ति के आधार पर पूरा मूल धन वसूल होने के बाद किया गया है।

VII) पूर्व अवधि की सारपूर्ण त्रुटियां :–

सभी पूर्व अवधि की सारपूर्ण त्रुटियों के सुधार त्रुटि मिलने के बाद जारी करने के लिए अनुमोदित वित्तीय विवरणों में पूर्ववर्ती प्रभाव से त्रुटि वाले वर्ष के दर्शाये गये तुलनात्मक आंकड़ो को बहाल कर किया गया है या जहाँ त्रुटि दर्शायी गयी सबसे पुरानी अवधि से भी पहले की हो तो सबसे पुराने दर्शायी गयी अवधि की परिसम्पत्तियों, दायित्वों एवं समता के प्रारम्भिक अवशेषों को पुनर्स्थापित कर, जैसी भी परिस्थिति हो, किया गया है।

यदि सभी पूर्व अवधि त्रुटियों का अवधि–विशिष्ट प्रभाव / संचयी प्रभाव निर्धारित करना असम्भव है तो परिसम्पत्तियों, दायित्वों एवं समता / तुलनात्मक सूचनाओं को सबसे पुरानी सम्भव अवधि के प्रारम्भिक अवशेषों को पुनर्स्थापित कर दिया गया है।

VIII) कर्मचारी लाभ

(अ) कर्मचारियों की पेन्शन एवं उपादान सम्बन्धित दायित्वों का निर्धारण बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है एवं इसका लेखांकन प्रोदभूत आधार पर किया गया है।

(ब) उपार्जित अवकाश नकदीकरण (सेवानैवृत्तिक परिभाषित लाभ योजना) हेतु प्रावधान का लेखांकन बीमांकक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर किया जाता है।

(स) चिकित्सा लाभ एवं अवकाश यात्रा रियायत (एल॰टी॰सी॰) का लेखांकन वर्ष में प्राप्त हुए दावों तथा अनुमोदित किये गये दावों के आधार पर किया जाता है।

IX) प्रावधान, सम्भाव्य दायित्व एवं सम्भाव्य आस्तियाँ

(अ) प्रावधान का लेखांकन उस सीमा तक अनुमानित व्यय के आधार पर किया गया है, जहां तक संभव हो, वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक हो और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाए और जितना सम्भव हो अनुमानित खर्च को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती है।

(ब) जब तक आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना सुदूर नही है, तब तक खातों पर टिप्पणियों में सम्भाव्य दायित्वों का प्रकटन किया गया है। जबकि, जब तक आर्थिक लाभ का अंर्तप्रवाह संभावित नही हो जाता, तब तक खातों में सम्भाव्य आस्तियां का प्रकटन नहीं किया गया है।

(स) जहां किसी सम्भाव्य दायित्व या सम्भाव्य आस्तियां का प्रकटन करना व्यवहार्य नही है, उस तथ्य का प्रकटन किया गया है।

X) अस्थगित कर

भारतीय लेखा मानक–12 "आयकर" में कम्पनी का तुलन–पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके अस्थगित करों का लेखांकन वांछित है, जो तुलन–पत्र और उसक कर आधार में सम्पत्ति या देयता की वहन राशि के बीच अस्थायी अंतर पर केन्द्रित है।

कटौती योग्य अस्थायी अंतर के सम्बन्ध में भविष्य की अवधि में वसूली योग्य आयकर की अस्थगित कर सम्पत्ति और कर योग्य अस्थायी अंतर के संबंध में भविष्य की अवधि में देय आयकर की अस्थगित कर देनदारियों को तुलन–पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दी गई है।

XI) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण में भारतीय लेखांकन मानक–7 'रोकड प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

XII) वित्तीय सम्पत्ति

प्रारंभिक मान्यता और माप :

सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य एवं वित्तीय परिसम्पत्ति के अधिग्रहण अथवा निर्गमन सम्बन्धित लागत को जोड़ कर लेखांकित किया गया है क्योंकि कम्पनी इसे आर्मस लेन्थ मूल्य पर क्रय/अधिग्रहण करती है तथा आर्म्स लेन्थ मूल्य ही वह मूल्य है जिस पर परिसम्पत्ति का आदान–प्रदान हो सकता है।

बाद के माप :

(अ) ऋण अभिलेख :– एक ऋण अभिलेख भारतीय लेखा मानक–109 के अनुसार परिशोधित लागत पर मापा गया है।

(ब) समता अभिलेख :– संस्थाओं में सभी समता अभिलेख लाभ व हानि (एफ॰वी॰टी॰पी॰एल॰) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है क्योंकि इन्हे व्यापार के लिए धारण नही किया जाता है।

XIII) वित्तीय दायित्व

प्रारंभिक मान्यता और माप :

वित्तीय दायित्वों का लेखांकन दस्तावेजों के अनुबन्धीय प्रावधानों में तब किया जाता है जब कंपनी एक पक्ष बन जाती है। सभी वित्तीय दायित्वों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है। कंपनी की वित्तीय दायित्वों में व्यापारिक देयता, उधार और अन्य देयताएँ शामिल हैं।

बाद के माप :

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके उचित मूल्य पर उधारों को मापा गया है। प्रभावी ब्याज दर विधि एक वित्तीय साधन की परिशोधित लागत की गणना और प्रासंगिक अवधि में ब्याज और अन्य खर्चों को आवंटित करने की एक विधि है। चूंकि प्रत्येक ऋण पर ब्याज और जोखिम की अपनी अलग दर होती है, इसलिए जिस ब्याज दर पर उन्हें प्राप्त किया गया है उसे ईआईआर माना जाता है। व्यापार और अन्य देयता अनुबंध मूल्य पर दिखाए जाते हैं।

एक वित्तीय दायित्व की मान्यता तब समाप्त कर दी जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, निरस्तीकरण या समापन हो जाता है।

–ह॰–	–ह॰–	–ह॰–	यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के आधीन
(एस॰के॰ अवस्थी)	**(ए॰के॰ गुप्ता)**	**(रन्जन के॰ श्रीवास्तव)**	**कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी**
उपमहाप्रबन्धक	अधिशासी निदेशक एवं सी॰एफ॰ओ॰	निदेशक (वित्त)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(वित्त एवं लेखा)	(वित्त एवं लेखा)	डीआईएन 07338796	

–ह॰–	–ह॰–	–ह॰–
(ऋषि टण्डन)	**(पी॰ गुरूप्रसाद)**	**(आर॰पी॰ तिवारी)**
कम्पनी सचिव	प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
	डीआईएन–07979258	स॰सं॰ 071448
		फर्म पंजी॰सं॰ 000932सी

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 23.12.2021

टिप्पणी-'2' सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक				अवक्षयण एवं अपाकरण				निवल अग्रेषित मूल्य	
	01.04.2020 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को अवशेष	31.03.2020 को अवशेष
भूमि एवं भूमि अधिकार										
(i) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	**9,944.79**	**1,673.27**	**–**	**11,618.06**	**–**	**–**	**–**	**–**	**11,618.06**	9,944.79
(ii) पट्टे पर ली गयी भूमि	**5.54**	**0.03**	**–**	**5.57**	**–**	**–**	**–**	**–**	**5.57**	5.54
योग (i+ii)	**9,950.33**	**1,673.30**	**–**	**11,623.63**	**–**	**–**	**–**	**–**	**11,623.63**	9,950.33
भवन	**1,23,005.50**	**11,862.50**	**2.10**	**1,34,865.90**	**27,402.62**	**4,256.92**	**1.89**	**31,657.65**	**1,03,208.25**	95,602.88
अन्य जानपदीय कार्य	**10,354.06**	**969.40**	**–**	**11,323.46**	**3,658.30**	**399.45**	**–**	**4,057.75**	**7,265.71**	6,695.76
संयंत्र एवं मशीनरी	**13,96,865.93**	**1,53,144.23**	**16,713.53**	**15,33,296.63**	**4,29,145.63**	**71,447.85**	**4,544.85**	**4,96,048.63**	**10,37,248.00**	9,67,720.30
लाईन, केबिल, नेटवर्क आदि	**13,00,149.70**	**1,83,208.37**	**1,488.46**	**14,81,869.61**	**4,32,350.11**	**61,989.77**	**911.33**	**4,93,428.55**	**9,88,441.06**	8,67,799.59
वाहन	**337.14**	**1.44**	**5.67**	**332.91**	**302.94**	**2.14**	**5.23**	**299.85**	**33.06**	34.20
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	**997.58**	**120.81**	**–**	**1,118.39**	**299.65**	**64.46**	**–**	**364.11**	**754.28**	697.93
कार्यालय उपकरण	**1,211.23**	**97.05**	**–**	**1,308.28**	**592.48**	**136.02**	**–**	**728.50**	**579.78**	618.75
अन्य परिसम्पत्तियां	**11,008.64**	**387.52**	**47.38**	**11,348.78**	**8,865.67**	**736.14**	**46.05**	**9555.76**	**1,793.02**	2,142.97
योग	**28,53,880.11**	**3,51,464.62**	**18,257.14**	**31,87,087.59**	**9,02,617.40**	**1,39,032.75**	**5,509.35**	**10,36,140.80**	**21,50,946.79**	19,51,262.71

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी-'3' प्रगतिशील पूँजीगत कार्य				
प्रगतिशील पूँजीगत कार्य [1]	**3,62,778.35**		3,63,820.84	
घटाया : प्रगतिशील पूंजीगत कार्य की हानि के सापेक्ष प्रावधान (परित्याग या किसी अन्य कारण)	**192.26**	**3,62,586.09**	192.26	3,63,628.58
पूर्व वर्ष तक पूंजीकरण के लिए लम्बित ऋण लागत	**56,018.39**		52,502.60	
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**19,747.42**		12,713.87	
घटाये : वर्ष के दौरान पूंजीकरण	**8,842.63**	**66,923.18**	9,198.08	56,018.39
निर्माण कार्य के लिए ठेकेदारों के साथ सामग्री	**3,35,880.09**		3,14,632.65	
घटाये : आपूर्तिकर्ताओं एंव ठेकेदारों को खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान (पूंजी)	**185.50**	**3,35,694.59**	185.50	314,447.15
आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजी) (सामग्री के अलावा अन्य)		**30,628.31**		45,262.09
योग		**7,95,832.17**		7,79,356.21

[1] ठेकेदारों को सामग्री और अन्य अग्रिमों एवं ऋण लागत को छोड़कर।

टिप्पणी–4 : अन्य अमूर्त आस्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लाक				अवक्षयण एवं अपाकरण				निवल अग्रेषित मूल्य	
	01.04.2020 को	परिवर्धन	घटाव / समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को	परिवर्धन	घटाव / समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को अवशेष	31.03.2020 को अवशेष
अमूर्त आस्तियाँ साफ्टवेयर	429.57	**440.76**	–	**870.33**	307.14	**145.72**	–	**452.86**	**417.47**	122.43
योग	429.57	**440.76**	–	**870.33**	307.14	**145.72**	–	**452.86**	**417.47**	122.43

टिप्पणी-'5' : अस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ **(₹ लाख में)**

विवरण	**31.03.2021 को**		31.03.2020 को	
शुद्ध अस्थगित कर सम्पत्ति		**2,969.76**		16,655.16
योग		**2,969.76**		16,655.16
डीटीएल एवं डीटीए का विवरण				
अस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ				
बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	**–**		–	
भुगतान के आधार पर स्वीकार्य प्रावधान/व्यय	**5,087.27**		5,394.75	
अप्रयुक्त कर हानियाँ	**1,50,344.88**		1,41,636.88	
अन्य	**–**	**1,55,432.15**	–	1,47,031.63
अस्थगित कर दायित्व				
पुस्तक मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	**(1,52,462.39)**		(1,30,376.47)	
अन्य	**–**	**(1,52,462.39)**	–	(1,30,376.47)
योग		**2,969.76**		16,655.16

टिप्पणी-'6' : अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां

अस्थगित राजस्व लागत (भूमि पट्टा प्रीमियम)	**454.34**	456.30
योग	**454.34**	456.30

टिप्पणी-'7' : वस्तु सूची

भण्डार एवं उपस्कर		
(अ) भण्डार सामग्री–पूँजीगत कार्य	**1,30,171.83**	1,28,360.84
(ब) भण्डार सामग्री–ओ एण्ड एम	**24,106.02**	28,005.85
(स) अन्य सामग्री[1]	**6,513.47**	6,348.15
योग	**1,60,791.32**	1,62,714.84

1 अन्य भण्डार में निर्माणकर्ताओं को निर्गत सामग्री, अप्रचलित भण्डार, अवशिष्ट सामान, मरम्मत के लिए भेजे गए परावर्तक, भण्डार, सामग्री जाँच हेतु लम्बित आधिक्य/कमी एवं पारगमन भण्डार सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-'8' : वित्तीय परिसम्पत्तियाँ–व्यापारिक प्राप्य **(₹ लाख में)**

विवरण	**31.03.2021** को	31.03.2020 को
व्यापारिक प्राप्य सुरक्षित, शोध्य विचारित	–	–
व्यापारिक प्राप्य असुरक्षित, शोध्य विचारित	**6,35,762.13**	5,60,054.57
व्यापारिक प्राप्य – संदिग्ध	–	–
योग	**6,35,762.13**	5,60,054.57

व्यापारिक प्राप्य का विवरण :-

मध्यांचल वि॰वि॰नि॰लि॰, लखनऊ	**1,20,774.69**		1,07,118.81	
पूर्वांचल वि॰वि॰नि॰लि॰, वाराणसी	**1,49,584.21**		1,31,235.59	
पश्चिमांचल वि॰वि॰नि॰लि॰, मेरठ	**1,97,827.93**		1,80,003.09	
दक्षिणांचल वि॰वि॰नि॰लि॰, आगरा	**1,46,023.51**		1,32,055.64	
केस्को, कानपुर	**7,190.41**		5,601.08	
अन्य	**14,361.38**	**6,35,762.13**	4,040.36	5,60,054.57

टिप्पणी-'9' : वित्तीय परिसम्पत्तियाँ–रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य **(₹ लाख में)**

विवरण	**31.03.2021** को	31.03.2020 को
अ) हस्तस्थ रोकड़ (डाक टिकट को सम्मिलित करते हुए)	**13.41**	17.16
ब) बैंक में अवशेष		
चालू एवं अन्य खातो में (फ्लेक्सी अवशेष सम्मिलित)	**65,459.34**	75,189.56
सावधि जमा खातो में	**2.89**	7.75
योग	**65,475.54**	75,214.47

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी-'10' : अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ				
असंरक्षित, शोध्य विचारित				
कर्मचारियों को अग्रिम		**4.42**		6.75
(वेतन से समायोजनीय/वसूली योग्य)				
स्रोत पर कर कटौती		**2,596.55**		4,229.00
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदार को अग्रिम (ओ एण्ड एम)		**1,489.40**		1,555.83
प्राप्य :				
कर्मचारियों	**793.91**		861.34	
अन्य	**9,916.48**		8,729.37	
	10,710.39		9,590.71	
घटायें: संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान	**186.60**	**10,523.79**	186.60	9,404.11
प्रोदभूत ब्याज किन्तु देय नही		**2.19**		1.93
पूर्वदत्त व्यय		**0.65**		0.68
अस्थगित राजस्व लागत (भूमि पट्टा प्रीमियम)		**17.97**		17.97
अंतर इकाई अंतरण **1**		**25,301.79**		25,289.61
योग		**39,936.76**		40,505.88

1 टिप्पणी 29 का संदर्भ बिन्दु (18) देखें।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
टिप्पणी-'11' : समता अंश पूंजी		
(अ) अधिकृत पूंजी		
सममूल्य ₹ 1000/- प्रति समता अंश के 200000000 समता अंश	**20,00,000.00**	20,00,000.00
(पूर्व वर्ष सममूल्य ₹ 1000/- प्रति समता अंश के 200000000 समता अंश)		
(ब) निर्गत, अभिदत्त एवं चुकता अंशपूँजी		
सममूल्य ₹ 1000/- प्रति समता अंश के 175231405 पूर्ण प्रदत्त समता अंश	**17,52,314.05**	15,06,006.68
(पूर्व वर्ष में सममुल्य ₹ 1000/- प्रति समता अंश के 150600668 पूर्ण प्रदत्त समता अंश)		
योग	**17,52,314.05**	15,06,006.68

(अ) प्रतिवेदित अवधि के प्रारम्भ में तथा अन्त में अंशों की संख्या एवं बकाया धनराशि का समाधान :

	31.03.2021 को अंशों की संख्या	31.03.2021 को (₹ लाख में)	31.03.2020 को अंशों की संख्या	31.03.2020 को (₹ लाख में)
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अंश	**15,06,00,668**	**15,06,006.68**	13,59,53,398	13,59,533.98
वर्ष के दौरान निर्गत अंश–नवीन निर्गमन	**2,46,30,737**	**2,46,307.37**	1,46,47,270	1,46,472.70
वर्ष के अंत में बकाया अंश	**17,52,31,405**	**17,52,314.05**	15,06,00,668	15,06,006.68

(ब) समता अंशों में सन्निहित शर्त/अधिकारः

(i) कम्पनी में केवल एक श्रेणी के समता अंश है जिसका सममूल्य ₹ 1000 प्रति अंश है।

(ii) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में, कम्पनी द्वारा 24630737 अंश निर्गत किये गये हैं।

(iii) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में, भारी संचयी हानियों के कारण निदेशक मण्डल द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

(स) 5% से अधिक अंश धारण करने वाले प्रत्येक अंशधारक द्वारा धारित अंशों का विवरणः

अंश धारक का नाम	31.03.2021 को अंशों की संख्या	31.03.2021 को % धारण	31.03.2020 को अंशों की संख्या	31.03.2020 को % धारण
माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकार	**15,30,98,053**	**87.37%**	12,84,67,316	85.30%
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि॰	**2,21,32,752**	**12.63%**	2,21,32,752	14.70%

अंश आवेदन धनराशि का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2020 को अंश आवेदन धनराशि	वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त	वर्ष 2020-21 के दौरान आवंटन	31.03.2021 को अंश आवेदन धनराशि
अंश आवेदन धनराशि	**51,594.38**	**1,94,712.99**	**2,46,307.37**	**–**

(₹ लाख में)

विवरण	**31.03.2021** को	31.03.2020 को
टिप्पणी-'12' : गैर–चालू वित्तीय दायित्व–उधारियाँ		
सरंक्षित ऋण		
आवधिक ऋण		
अन्य से	**13,26,204.47**	12,95,403.46
(पीएफसी एवं आरईसी योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के अनन्य प्रभारों से संरक्षित)		
असंरक्षित ऋण		
आवधिक ऋण		
अन्य से	**1,505.39**	2,300.21
(उ०प्र० सरकार द्वारा उपरोक्त सभी ऋण प्रत्याभूतित हैं)		
उप–योग सुरक्षित/असुरक्षित ऋण	**13,27,706.86**	12,96,703.67
घटाया : दीर्घकालिक उधारियों की चालू परिपक्वता (सन्दर्भः अनुलग्नक–अ)	**1,45,492.48**	1,39,368.27
योग	**11,82,214.38**	11,59,335.40

1) उधार की शर्तों आदि का विवरण अनुलग्नक–अ में संलग्न किया गया है।

2) उधारियों को चुकता करने में हुई चूक का उल्लेख अनुलग्नक–ब पर संलग्न किया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-III में यथा अपेक्षित ऋण की शर्तों आदि का प्रकटन

टिप्पणी '12' अनुलग्नक अ

(₹ लाख में)

ऋण	प्रतिभूति एवं गारण्टी का विवरण	ब्याज दर	चुकता करने के नियम	31.03.2020 को अवशेष (अ)	31.03.2020 को दीर्घकालिक उधारियों के लिए चालू परिपक्वता (ब)	31.03.2020 को दीर्घकालिक उधारी स=(अ–ब)	वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण (वि.व. 20-21) (द)	वर्ष के दौरान चुकता ऋण (वि.व. 20-21) (य)	31.03.2021 को अवशेष र=(अ+द–य)	31.03.2021 को दीर्घकालिक ऋणों के लिए चालू परिपक्वता (ल)	31.03.2021 को दीर्घकालिक ऋण व=(र-ल)
(अ) संरक्षित											
(i) पावर फाईनेन्स कारपोरेशन लि॰ (हाइपो)	पीएफसी योजना के अन्तर्गत लाईनों एवं उपकेन्द्रो के बंधक से संरक्षित	9.00% से 13.25%	चालीस से साठ समान त्रैमासिक किस्त	5,65,929.93	61,237.56	5,04,692.37	76,499.38	63,366.75	5,79,062.56	64,595.91	5,14,466.65
(ii) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. (पारोषण)	आरईसी योजना के अन्तर्गत लाईनों एवं उपकेन्द्रो के बंधक से संरक्षित	11% से 13%	दस समान वार्षिक किस्ते / एक सौ बीस समान मासिक किस्तों में	7,30,473.53	77,335.89	6,53,137.64	96,657.56	79,992.18	7,47,138.91	80,020.66	6,67,118.25
			योग [अ]- (i+ii)	12,96,403.46	1,38,573.45	11,57,830.01	1,73,156.94	1,43,358.93	13,26,201.47	1,44,616.57	11,81,584.90
(ब) असंरक्षित											
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि. (यूपीपीसीएल)	उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित	10% से 11%	एक सौ अस्सी समान मासिक किस्ते	2,300.21	794.82	1,505.39	0.00	794.82	1,505.39	875.91	629.48
			योग [ब]	2,300.21	794.82	1,505.39	0.00	794.82	1,505.39	875.91	629.48
			महायोग (अ + ब)	12,98,703.67	1,39,368.27	11,59,335.40	1,73,156.94	1,44,153.75	13,27,706.86	1,45,492.48	11,82,214.38

टिप्पणी '12' अनुलग्नक–ब

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-III में यथा अपेक्षित उधारी चुकता करने में चूक का प्रकटन

(₹ धनराशि में)

ऋण	पूर्नभुगतान की शर्तें				31.03.2020 को चुकता करने में चूक				31.03.2021 को चुकता करने में चूक			
	पुनर्संरचना तिथि	किस्ते	पुर्नभुगतान देयता	ब्याज की दर (%)	मूलधन	ब्याज	मूलधन में चूक इस तिथि से	ब्याज के लिए चूक इस तिथि से	मूलधन	ब्याज	मूलधन में चूक इस तिथि से	ब्याज के लिए चूक इस तिथि से
<u>संरक्षित</u>												
(i) पावर फाईनेन्स कारपोरेशन लि०												
(ii) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि०												
योग (अ)												
<u>असंरक्षित</u>						शून्य						
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि० (पीसीएल)												
योग (ब)												
महायोग (अ+ब)												

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
टिप्पणी-'13' : अन्य वित्तीय दायित्व		
उधार पर प्रोद्भूत ब्याज, किन्तु देय नहीं	–	2,470.95
योग	–	2,470.95
टिप्पणी-'14' : गैर चालू प्रावधान		
उपार्जित अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	**20,570.75**	20,714.65
उपादान के लिए प्रावधान (सीपीएफ कर्मचारी)	**7,869.02**	7,734.39
योग	**28,439.77**	28,449.04
टिप्पणी-'15' : अन्य गैर चालू दायित्व		
अस्थगित आय	**97.23**	103.28
योग	**97.23**	103.28
टिप्पणी-'16' : चालू वित्तीय दायित्व		
दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वताए[1]	**1,45,492.48**	1,39,368.27
ऋण पर प्रोदभूत ब्याज किन्तु देय नहीं	**23,749.65**	24,273.54
योग	**1,69,242.13**	1,63,641.81

[1] दीर्घावधि ऋणों की चालू परिपक्वता का विवरण (सन्दर्भ अनुलग्नक–'अ') टिप्पणी संख्या 12 के साथ संलग्न किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
टिप्पणी-'17' : अन्य चालू दायित्व				
पूंजीगत आपूर्ति / कार्यों हेतु दायित्व		**1,43,216.67**		1,50,956.17
अनुरक्षण एवं मरम्मत आपूर्ति / कार्यों हेतु दायित्व		**15,017.65**		18,397.32
कर्मचारियों से सम्बन्धित दायित्व		**11,253.32**		13,782.99
आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य से निक्षेप एवं प्रतिधारण		**1,37,349.60**		1,32,008.26
विद्युत वितरण निगमों के निक्षेप कार्य		**11,812.07**		10,438.38
विद्युतीकरण कार्यों हेतु निक्षेप		**2,16,048.31**		2,16,897.68
पीएसडीएफ के लिए निक्षेप (केन्द्र सरकार का अंशदान)		**9,276.92**		12,163.21
अन्तर निगमीय अवशेष		**24,769.47**		19,063.52
विविध दायित्व		**20,197.79**		7,986.50
व्ययों हेतु दायित्व		**3,523.07**		3,842.98
अस्थगित आय		**6.05**		6.05
यू.पी. पावर सेक्टर कर्मचारी ट्रस्ट सम्बन्धी दायित्व				
भविष्य निधि दायित्व (मूल राशि)	**3,808.56**		3,831.54	
जोड़े : गैर प्रेषित अवशेष पर संचयी ब्याज प्रावधान	**8,913.69**		8,070.46	
	12,722.25		11,902.00	
पेन्शन एवं उपादान दायित्व	**5,853.98**	**18,576.23**	5,751.70	17,653.70
उ.प्र.पा.का.लि. सी.पी.एफ. ट्रस्ट सम्बन्धी दायित्व				
सीपीएफ दायित्व - (मूल अदत्त राशि)	**1,147.12**		1,085.82	
जोडे : गैर प्रेषित अवशेष पर संचयी ब्याज प्रावधान	**1,115.00**	**2,262.12**	969.23	2,055.05
योग		**6,13,309.27**		6,05,251.81

टिप्पणी-'18' : चालू प्रावधान		
उपार्जित अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	**1,354.49**	1,580.61
उपादान के लिए प्रावधान (सीपीएफ कार्मिक)	**126.51**	116.81
योग	**1,481.00**	1,697.42

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
टिप्पणी-'19' : परिचालन से राजस्व		
सेवाओं की बिक्री		
पारेषण प्रभार	**3,23,654.04**	3,45,333.67
ओपेन एक्सेस प्रभार	**6030.37**	3,939.76
उप–योग[1]	**3,29,684.41**	3,49,273.43
एसएलडीसी प्रभार[2]		
वार्षिक शुल्क	**122.90**	127.00
आवेदन शुल्क / संवर्तन शुल्क / एसएलडीसी प्रभार	**413.95**	407.69
प्रचालन से राजस्व (निवल)	**3,30,221.26**	3,49,808.12

1 विद्युत वितरण निगमों, केस्को, एनपीसीएल तथा राज्य के अन्दर पारेषण से सम्बन्धित पारेषण प्रभार माननीय उ.प्र. राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ दर ₹ 0.1848 प्रति किलोवाट घण्टा (01.04.2020 से 20.11.2020 तक) एवं ₹ 0.2378 प्रति किलोवाट घण्टा (21.11.2020 से 31.03.2021 तक)। वित्तीय वर्ष के दौरान पारेषित / चक्रीय ऊर्जा 119060.689559 एमयू. (पूर्व वर्ष-116731.808341 एमयू) थी।

अवधि	पारेषित ऊर्जा (केडब्लूएच)	दर	राशि
01.04.2020 से 20.11.2020	80,49,90,06,110	0.1848	1,48,762.16
21.11.2020 से 31.03.2021	36,08,58.50,981	0.2378	85,812.16
सौर ऊर्जा पर पारेषण शुल्क @ सामान्य दरों का 50%	1,40,64,258	0.1189	16.72
यूपीईआरसी सीआरई विनियम, 2019 के विनियम 26 बी(iii) के अनुसार पूरक बीजक एवं अन्य एजेन्सीज	2,46,17,68,210		8,300.37
2019-20 के लिए ट्रु–अप	–		86,793.00
शुद्ध पारेषण प्रभार	**1,19,06,06,89,559**		3,29,684.41

2 एस॰एल॰डी॰सी॰ के स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होने के फलस्वरूप कम्पनी द्वारा एस॰एल॰डी॰सी॰ के लेखे अलग से तैयार कराये जा रहे है। एस॰एल॰डी॰सी॰ से सम्बन्धित प्रभार का ब्यौरा निम्नवत हैः–

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
टिप्पणी-'20' : अन्य आय				
ब्याज से आय :				
सावधि जमा	**0.13**		0.37	
कर्मचारी को ऋण	**–**		0.01	
अन्य	**1,644.04**	**1,644.17**	3,222.06	3,223.04
अनुरक्षण एवं शटडाउन प्रभार		**2,417.09**		1,967.76
अन्य गैर–परिचालन आय				
ठेकेदारों/आपूतिकर्ताओं से आय		**4,346.08**		3,907.24
उपभोक्ता अंशदान संचय से आय		**12,962.03**		10,452.02
पर्यवेक्षण प्रभार		**4,001.83**		4,458.87
कार्मिकों से किराया		**48.14**		13.45
विविध प्राप्तियाँ		**428.26**		353.47
सब्सिडी और अनुदान से आय (ऋण मूलधन का पुनर्भुगतान)		**–**		8,103.00
योग		**26,247.60**		32,478.85

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
टिप्पणी-'21' : कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन एवं भत्ते	**39,529.80**	39,140.19
महंगाई भत्ता	**6,835.71**	6,358.34
बोनस/अनुग्रह भत्ता	**–**	278.41
अन्य भत्ते	**1,832.71**	2,147.60
पेंशन एवं उपादान[1]एवं[2]	**4,450.25**	4,164.56
चिकित्सा व्यय (प्रतिपूर्ति)[3]	**186.02**	183.06
अवकाश यात्रा सहायता[3]	**970.13**	5,300.03
क्षतिपूर्ति	**5.03**	16.06
भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान	**2,927.23**	2,431.50
ट्रस्ट पर व्यय	**158.31**	499.01
कर्मचारी कल्याण व्यय	**50.96**	82.49
उभयनिष्ट व्यय (उ.प्र.पा.का.लि. द्वारा भारित)	**1,525.78**	1,012.67
उप–योग	**58,471.95**	61,613.92
घटायें : पूंजीकृत व्यय	**24,025.73**	25,485.09
योग	**34,446.22**	36,128.83

1 चूंकि उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड में कर्मचारियों एवं अधिकारियों का आमेलन अभी तक उ॰प्र॰ सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से अन्तिम नहीं किया गया है अतएव उ॰प्र॰ पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों में पेंशन एवं उपादान मद में किए जा रहे प्राविधान की अनुरूपता में पेंशन एवं उपादान मद में प्रावधान करने के लिए बीमांकक मूल्यांकन प्रतिवेदन दिनांक 09.11.2000 (उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ के निदेशक मण्डल द्वारा अंगीकृत) को मानते हुए मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के योग पर क्रमशः 16.70% एवं 2.38% की दर से लेखों में प्रावधान किया गया है एवं तदनुसार कर्मचारियों, अधिकारियों के आमेलन की प्रक्रिया स्थगित रहने तक अग्रेतर उ॰प्र॰ पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नया बीमांकक मूल्यांकन कराये जाने की दशा में यथा आवश्यकतानुसार लेखों में प्रावधान किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

2 भारतीय लेखांकन मानक 19 की आवश्यकता के अनुसार, कम्पनी ने बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर सी॰पी॰एफ॰ योजना द्वारा आवरित कार्मिकों की ग्रेच्युटी से उत्पन्न अपनी देयता को मापा और लेखांकन किया है।

3 चिकित्सा लाभ तथा अवकाश यात्रा रियायत का लेखांकन वर्ष में प्राप्त एवं अनुमोदित दावों के आधार पर किया गया है।

4 चालू वित्तीय वर्ष के लिए बीमांकक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर बनाये गये उपार्जित अवकाश नकदीकरण (सेवानैवृत्तिक लाभ) हेतु प्रावधान सम्मिलित है।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
टिप्पणी-'22' : वित्तीय लागत				
(अ) ब्याज व्यय				
दीर्घकालिक ऋण				
पीएफसी	**61,274.62**		56,778.01	
घटाया : ब्याज में छूट	**6,938.13**		9,377.36	
	54,336.49		47,400.65	
आरईसी	**84,341.83**	**1,38,678.32**	78,416.37	1,25,817.02
(ब) अन्य उधारी लागत				
गारंटी प्रभार		**0.02**		2.44
बैंक प्रभार		**6.28**		6.05
उप योग		**1,38,684.62**		1,25,825.51
घटायेः पूंजीकृत ब्याज/कार्यशील पूंजीगत कार्य को अन्तरण		**19,747.42**		12,713.87
योग		**1,18,937.20**		1,13,111.64

टिप्पणी-'23' : अवक्षयण एवं अपाकरण व्यय

स्थावर आस्तियों पर अवक्षयण एवं अपाकरण		
भवन	**4,249.56**	3,896.93
अन्य जानपदीय कार्य	**399.10**	376.49
संयंत्र एवं मशीनरी	**71,464.53**	65,527.87
लाईन, केबिल नेटवर्क आदि	**61,682.10**	55,220.46
वाहन	**0.84**	1.20
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	**64.45**	53.63
साफ्टवेयर	**145.72**	88.24
कार्यालय उपस्कर	**136.03**	102.88
अन्य आस्तियाँ	**736.14**	1,206.90
योग	**1,39,178.47**	1,26,474.60

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
टिप्पणी-'24' : प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय				
लेखा परीक्षक को भुगतान				
(अ) वैधानिक सम्प्रेक्षक				
सम्प्रेक्षा शुल्क	**17.70**		12.98	
यात्रा एवं अन्य खर्चे	**2.85**	**20.55**	2.38	15.36
(ब) अन्य सम्प्रेक्षक				
(आंतरिक सम्प्रेक्षा, लागत सम्प्रेक्षा कर सम्प्रेक्षा एवं सचिवीय सम्प्रेक्षा)				
सम्प्रेक्षा शुल्क	**86.59**		60.66	
यात्रा एवं अन्य खर्चे	**4.84**	**91.43**	8.91	69.57
विज्ञापन व्यय		**319.96**		475.73
संचार व्यय		**259.17**		242.69
परामर्श व्यय		**47.58**		63.65
टैरिफ मूल्यांकन और लाइसेंस शुल्क		**653.61**		653.57
विद्युत व्यय		**177.92**		236.81
मनोरंजन		**0.04**		–
न्यास पर व्यय		**6.25**		14.03
निगमित की समाजिक दायित्व		**5.00**		–
बीमा		**1.78**		1.64
जीपीएफ एवं सीपीएफ अवशेष पर ब्याज		**989.04**		1018.64
विधिक व्यय		**255.32**		327.00
प्रशासनिक के लिए आउटसोर्स श्रमिक शक्ति		**1830.16**		1646.39
विविध व्यय		**286.19**		403.66
छपाई एवं लेखन सामग्री		**123.87**		154.88
दर एवं शुल्क		**550.66**		169.60
किराया		**1.63**		1.28
तकनीकी शुल्क एवं प्रोफेशनल प्रभार		**189.73**		145.00
यात्रा एवं अनुगमन		**616.03**		645.28
जल प्रभार		**0.40**		0.36
उभयनिष्ट व्यय (यूपीपीसीएल द्वारा प्रभारित)		**0.61**		9.56
क्षतिपूर्ति (कार्मिकों के अलावा)		**4.60**		–
अन्य व्यय एवं हानियाँ		**50.35**		15.20
योग		**6481.88**		**6309.99**

(₹ लाख में)

विवरण		31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
टिप्पणी-'25' : मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय				
संयंत्र एवं मशीनरी		**37,218.66**		37,032.58
भवन		**1,507.80**		1,843.43
अन्य जानपदीय कार्य		**109.21**		22.87
लाईन्स, केबिल नेटवर्क आदि		**5,894.02**		6,879.45
वाहन व्यय	**1,675.62**		1,605.09	
घटायाः विभिन्न पूंजीगत/ओ एण्ड एम कार्यों/प्रशासनिक व्ययों में अन्तरित	**1,675.62**	**–**	1,605.09	–
संविदा कार्मिको पर व्यय	**6,028.84**		4,779.89	
घटायाः विभिन्न पूंजीगत तथा ओ एण्ड एम/ प्रशासनिक व्यय में अन्तरित	**6,028.84**	**–**	4,779.89	–
फर्नीचर एवं फिक्चर्स		**–**		0.11
साफ्टवेयर		**76.67**		53.10
कार्यालय उपकरण		**58.48**		33.15
योग		**44,864.84**		**45,864.69**

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
टिप्पणी-'26' : अशोध्य ऋण एवं प्रावधान		
पूंजीगत व्यय पर हानि के लिए प्रावधान	–	113.00
हानि का प्रावधान–आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अग्रिम	–	185.50
योग	–	298.50
टिप्पणी-'27' : अस्थगित कर		
आस्थगित कर व्यय / (आय)	**13,685.40**	22,666.27
योग	**13,685.40**	22,666.27
टिप्पणी-'28' : अन्य व्यापक आय		
मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुर्नवर्गीकृत नही किया जाएगा।		
बीमांकिक (लाभ) / हानि–सी.पी.एफ.	**(1,299.25)**	1,553.67
कर्मचारी उपादान हेतु प्रावधान[1]		
योग	**(1,299.25)**	1,553.67

[1] चालू वित्तीय वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन आख्या के आधार पर उपादान को लेखों में मान्य किया गया।

टिप्पणी संख्या–29

दिनांक 31.03.2021 के तुलन पत्र एवं तद्दिनांक को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण के के साथ संलग्न तथा अंगभूत लेखों पर टिप्पणियाँ

1) (अ) उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि॰ (यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ अथवा 'कम्पनी') कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत में अधिवासित एवं गठित एक कम्पनी है एवं अंशों द्वारा सीमित है। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 2974(1)/24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010 के माध्यम से कम्पनी को एक राज्य पारेषण उपयोगिता अधिसूचित किया गया हैं।

(ब) जब उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 293 दिनांक 16.05.2006 के अनुपालन में तत्कालीन उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (31.05.2004 को गठित) के पार्षद सीमा नियम के नाम और उद्देश्य वाक्य को 13.07.2006 को बदल दिया गया था, तब कम्पनी अस्तित्व में आयी। कंपनी ने 01.04.2007 से स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय शुरू किया।

(स) उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग–2, द्वारा अधिसूचना संख्या 2974(1)/24–पी–2–2010, दिनांक 23 दिसम्बर 2010 से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) योजना, 2010 के अधीन दिनांक 01.04.2007 से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ को अलग–अलग कम्पनी के रूप में क्रमशः थोक विद्युत क्रय/विक्रय एवं पारेषण कार्यों को अलग–अलग किए जाने के उद्देश्य से विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 131 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) की धारा 23 के अधीन बनायी गई योजना के आंशिक उपान्तरण में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को पारेषण की गतिविधियाँ, आस्तियाँ, दायित्वों और सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित और निबन्धन एवं शर्तों की अवधारणा के लिए अन्तरण योजना जारी की गयी जिसके अनुसार पारेषण उपक्रम (उ॰प्र॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰) में राज्य सरकार तथा/या उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जब तक अन्यथा विर्निदिष्ट न किया जाए, सम्पूर्ण आस्तियां, दायित्व व कार्यवाहियां अनन्तिम रूप से पारेषण उपक्रम में निहित होंगी। यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ ने 01.04.2007 से स्वतंत्र रूप से कार्य/परिचालन करना आरम्भ कर दिया है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 के अनुसार यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ एक राज्य पारेषण उपयोगिता है।

(द) उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग–2, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1529/24–पी–2–2015–एसए (218)–2014 लखनऊ, दिनांक 3 नवम्बर, 2015 से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) स्कीम, 2010 (अधिसूचना सं॰ 2974(1)/24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010) के खण्ड–7 सपठित विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36, सन् 2003) की धारा 131 की उप धारा 4 और उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) की धारा 23 की उप धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सम्पत्तियों, हितों, अधिकारों, दायित्वों, कार्मिकों तथा कार्यवाहियों के अंतरण के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 2974(1)/24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010 की अनुसूची के स्थान पर अधिसूचना संख्या 1529/24–पी–2–2015–एसए (218)–2014, 3 नवम्बर, 2015 के साथ संलग्न अनुसूची के प्रतिस्थापन द्वारा इस अधिसूचना के माध्यम से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) स्कीम, 2010 की निबन्धन एवं शर्तों में उपान्तरण, फेरबदल और अन्यथा परिवर्तन करते हुए उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (पारेषण व तत्सम्बन्धी गतिविधियों का अंतरण–आस्तियों व दायित्वों एवं सम्बन्धित कार्यवाहियों सहित) स्कीम, 2010 सभी अभिप्रायों एवं प्रयोजनों के लिए यथा इंगित संशोधनों के साथ अन्तरण स्कीम को अन्तिम कर दिया गया है।

(य) उत्तर प्रदेश शासन ऊर्जा अनुभाग–2, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2974/24–पी–2–2010, दिनांक दिसम्बर 23, 2010 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 133 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन 1999) की धारा 23 के अधीन बनायी गयी योजना के आंशिक उपान्तरण में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पारेषण उपक्रम के कार्मिकों एवं उनसे सम्बन्धित कार्यवाहियों के अन्तरण के प्रयोजनार्थ तथा उन निबन्धन एवं शर्तों जिन पर ऐसा अन्तरण किया जाना प्रभावी होगा को अवधारित करने के लिए अनन्तिम अन्तरण योजना जारी की गयी जिसमें अनन्तिम वर्गीकरण व अन्तरण, कार्मिकों के अन्तिम हस्तांतरण को उ॰प्र॰ सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना बाकी है।

2) मूर्त आस्तियों को उपयोग से हटाये जाने/उपयोगी जीवनकाल समाप्त होने/अप्रयोज्य होने पर जबकि उनका ऐतिहासिक मूल्य ज्ञात न हो, ऐसी आस्तियों को अनुमानित मूल्य एवं अवक्षयण लागत के आधार पर लेखों में समायोजित/लेखांकित किया गया है।

3) सभी परिसम्पत्तियों, देनदारियों, व्यय और राजस्व को उस राशि पर दर्ज किया गया है जिस पर लेनदेन हुआ।

4) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विदेशी मुद्रा में आय/व्यय शून्य है।

5) चूंकि कम्पनी सैद्धान्तिक रूप से ऊर्जा के पारेषण का व्यवसाय कर रहा है और भारतीय लेखांकन मानक–108 के अनुसार अन्य कोई सूचनीय खण्ड नहीं है इसलिए, सेगमेन्ट रिपोर्टिंग पर भारतीय लेखांकन मानक–108 के अनुसार प्रकटन आवश्यक नहीं है। हांलाकि, एसएलडीसी के लेन–देनों से सम्बन्धित पृथक क्रियाकलापों का प्रकटन विशेष रूप से टिप्पणी 19 में किया गया है।

6) <u>पूँजीगत प्रतिबद्धता, सम्भाव्य दायित्व एवं सम्भाव्य परिसम्पत्तियां</u>

(निर्धारणीय तथा गैर प्रावधानित सीमा तक) (₹ लाख में)

	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
	सम्भाव्य दायित्व एवं पूँजीगत प्रतिबद्धता		
(i)	पूँजीगत कार्यों के विरूद्ध कार्य कराये जाने हेतु शेष बचे ठेके का अनुमानित मूल्य जिनके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया	**1,90,814**	1,89,887
(ii)	कम्पनी के विरूद्ध अन्य दावे जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया	**12,642**	1,923
	योग	**2,03,456**	1,91,810
	सम्भाव्य परिसम्पत्तियां		
(i)	कम्पनी द्वारा दावा जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया.	**1,31,681**	71,734
(ii)	अन्य	–	–
	योग	**1,31,681**	71,734

वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए ट्रू–अप आदेश में ₹ 717.34 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ट्रू–अप आदेश में ₹ 599.47 करोड़ के राजस्व अंतर की अस्वीकृति करने के विरूद्ध एक समीक्षा याचिका दायर की गई।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य दायित्व, निगम के विरूद्ध कर्मचारियों द्वारा दायर किये गये दावों के साथ–साथ अन्य पक्षों द्वारा दायर दावों, यदि कोई हों, जिनका अभिनिश्चय न किया जा सके, का निस्तारण उनके उद्भूत होने पर किया जाता है।

7) एमएसएमईडी एक्ट, 2006 से आवरित इकाईयों के भुगतान हेतु लम्बित दायित्वों एवं उस पर ब्याज हेतु अधिनियम की धारा 22 में दिए गए प्रावधान के अनुपालन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी न तो यू॰पी॰पी॰टी॰सी॰एल॰ की क्षेत्रीय इकाईयों और न ही अधिनियम से आवरित सम्बन्धित पक्षों द्वारा सूचित है।

8) <u>सम्बन्धित पक्ष की सूचना</u> :–

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक–24 के अनुसार, कम्पनी से सम्बन्धित पक्ष निम्नलिखित है–

(क) <u>सम्बन्धित पक्षों की सूचना (शीर्ष प्रबंधन कार्मिक) :</u>

1. शीर्ष प्रबंधन कार्मिक एवं उनके सम्बन्धी :

नाम	पदनाम	कार्यकाल (वित्तीय वर्ष **2020–21** के लिए)	
		नियुक्ति	सेवानिवृत्ति / समाप्ति **31.03.2021** को
श्री अरविन्द कुमार	प्रमुख सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष	09.11.2019	02.02.2021
श्री एम॰ देवराज	प्रमुख सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष	02.02.2021	कार्यरत
डा॰ सेंथिल पांडियन सी॰	प्रबन्ध निदेशक	10.09.2018	कार्यरत
श्री एम॰ देवराज	प्रबन्ध निदेशक, यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ एवं नामित निदेशक	05.11.2019	10.03.2021
श्री पंकज कुमार	प्रबन्ध निदेशक, यू॰पी॰पी॰सी॰एल॰ एवं नामित निदेशक	10.03.2021	कार्यरत
श्री अनिल जैन	निदेशक (वाणिज्यिक एवं नियोजन)	06.05.2020	कार्यरत
श्री रवि प्रकाश दुबे	निदेशक (कार्य और परियोजना)	16.01.2018	05.01.2021
श्री राम स्वारथ	निदेशक (एस॰एल॰डी॰सी॰)	13.02.2015	11.06.2020
श्री अमरेन्द्र सिंह कुशवाहा	निदेशक (एस॰एल॰डी॰सी॰)	02.02.2021	कार्यरत
श्री बिभु प्रसाद महापात्रा	निदेशक (वित्त)	16.12.2019	कार्यरत
डॉ॰ विनोद कुमार खरे	निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन)	16.09.2019	कार्यरत
श्री राकेश कुमार सिंह	निदेशक (आपरेशन)	15.07.2019	कार्यरत
श्री नील रतन कुमार	नामित निदेशक, उ॰प्र॰ सरकार (वित्त)	06.10.2010	कार्यरत
श्रीमती देबजनि चक्रवोर्ती	नामित निदेशक (आर॰ई॰सी॰)	30.08.2018	18.06.2020
श्री टीएससी बोस	नामित निदेशक (आर॰ई॰सी॰)	16.06.2020	कार्यरत
श्री संजय गुप्ता	निदेशक (पावर ग्रिड)	10.02.2020	कार्यरत
श्री जावेद असलम	निदेशक (सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो)	09.09.2020	कार्यरत
श्री अनिल कुमार गुप्ता	मुख्य वित्तीय अधिकारी	28.07.2020	कार्यरत
श्री रिशि टण्डन	कम्पनी सचिव	06.02.2020	कार्यरत

(ख) <u>सम्व्यवहारों :–</u> (धनराशि ₹ में)

विवरण	2020-21	2019-20
	उपरोक्त (क) (I) में सन्दर्भित	उपरोक्त (क) (I) में सन्दर्भित
वेतन एवं भत्ते	**1,81,74,894**	1,11,68,934
ग्रेच्युटी/पेन्शन/भविष्य निधि के लिए अंशदान	**13,69,302**	7,63,917
निदेशकों से प्राप्य ऋण	–	–

(ग) अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक एवं अन्य निदेशक जिनकी नियुक्ति/मनोनयन उ०प्र० शासन द्वारा उ०प्र०पा०का०लि० के लिए किया गया है तथा उनके पास उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० का अतिरिक्त कार्यभार भी है, ने अपना पारिश्रमिक पात्रतानुसार उ०प्र०पा०का०लि० से प्राप्त किया है।

(घ) कम्पनी के पास राज्य नियन्त्रित उद्यम के अतिरिक्त कोई अन्य सम्बन्धित पार्टी उद्यम नहीं है जिस कारण भारतीय लेखंकन मानक–24 "रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर" के प्रस्तर–25 के दृष्टिगत विवरणों/सम्व्यवहारों का प्रकटीकरण नहीं किया है, जो कि राज्य नियंत्रित उद्यमो को अन्य सम्बन्धित पक्ष जो स्वयं भी राज्य नियंत्रित उद्यम है के साथ सम्व्यवहारों के प्रकटन से मुक्त करता है। ऐसे राज्य नियंत्रित उद्यमों (आमतौर पर डिस्कॉम्स) के साथ लेन–देन की प्रकृति में व्यापार के सामान्य अवधि में व्हीलिंग शुल्क और अन्य प्राप्तियां शामिल है।

9) ₹ 5,973.65 करोड़ अनवशोषित मूल्यह्रास से उत्पन्न अप्रयुक्त कर हानियों के प्रति अस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी गई है। उपरोक्त के दृष्टिगत चालू वर्ष के लिए लेखांकन लाभ और भविष्य के लिए बढ़ी हुई टैरिफ दर को देखते हुए, यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरूद्ध ऐसे अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है।

10) आधारभूत एवं तनुकृत प्रति अंश आय को लाभ–हानि खाते में भारतीय लेखांकन मानक–33 (ईपीएस) के अनुसार दर्शाया गया है। आधारभूत प्रति अंश आय हेतु वर्ष में कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि को समता अंशों के भारित औसत से विभाजित करके आगणित किया गया है। प्रति समता अंश तनुकृत आय की गणना करने में समता अंशों की संख्या निर्धारित करने के लिए अंश आवेदन धनराशि (आबंटन हेतु लम्बित) सम्मिलित हैं।

विवरण	31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(I) <u>आधारभूत ई०पी०एस०</u>	(धनराशि ₹ में)	(धनराशि ₹ में)
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार कर के पश्चात लाभ (अ)	**(1,125)**	31,432
औसत भारित समता अंशों की संख्या (ब)	**15,93,49,958**	14,70,59,001
आधारभूत प्रति अंश आय उपार्जन (अ/ब)	**(0.71)**	21.37
अंकित मूल्य प्रति अंश	**1,000**	1,000
(II) <u>तनुकृत ई०पी०एस०</u>		
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार कर के पश्चात लाभ (अ)	**(1,125)**	31,432
औसत भारित समता अंशों की संख्या (ब)	**16,17,13,406**	15,18,63,955
तनुकृत प्रति अंश आय (अ/ब)	**(0.71)**	20.70
अंकित मूल्य प्रति अंश	**1,000**	1,000

11) मूल्याकन प्रतिवेदन के आधार पर **01/04/2020** से **31/03/2021** की अवधि के लिए भारतीय लेखांकन मानक–**19** के अनुसार ग्रेच्युटी प्रकटीकरण विवरण।

(धनराशि ₹ लाख में)

अ) वर्तमान अवधि के लिए लाभ या हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय

विवरण	**31.03.2021** को समाप्त वर्ष के लिए	**31.03.2020** को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान सेवा लागत	9,48,41,816	6,42,35,302
शुद्ध ब्याज लागत	5,39,37,737	4,11,30,350
मान्य व्यय	14,87,79,553	10,53,65,652

ब) वर्तमान अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में स्वीकृत व्यय

विवरण	**31.03.2021** को समाप्त वर्ष के लिए	**31.03.2020** को समाप्त वर्ष के लिए
पी एण्ड एल खाते के बाहर ओसीआई में मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक राशि	–	–
बीमांकिक (लाभ)/देयताओं पर हानि	(12,99,25,406)	15,53,66,849
बीमांकिक (लाभ)/सम्पत्ति पर हानि	–	–
अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय ओसीआई में स्वीकृत	(12,99,25,406)	15,53,66,849

स) तुलन–पत्र में स्वीकृत राशि

विवरण	**31.03.2021** को समाप्त वर्ष के लिए	**31.03.2020** को समाप्त वर्ष के लिए
(अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य)	**(79,95,53,155)**	(78,51,19,904)
अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	–	–
शुद्ध दायित्व	**(79,95,53,155)**	(78,51,19,904)
परिसम्पत्ती हद के कारण राशि की पहचान नहीं की गई	–	–
तुलन–पत्र में स्वीकृत निवत (दायित्व)/परिसम्पत्ति	**(79,95,53,155)**	(78,51,19,904)

नकदीकरण अवकाश

अ) वर्तमान अवधि के लिए लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय।

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान सेवा लागत	**6,48,42,201**	52,99,70,242
शुद्ध ब्याज लागत	**15,20,53,656**	–
शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(11,98,83,004)**	–
मान्यता प्राप्त व्यय	**9,70,12,853**	52,99,70,242

ब) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य)	**2,19,25,23,504**	2,22,95,25,746
अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	–	–
शुद्ध दायित्व	**2,19,25,23,504**	2,22,95,25,746
परिसम्पत्ति सीमा के कारण राशि की पहचान नहीं की गई	–	–
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल (देयता)/परिसम्पत्ति	**2,19,25,23,504**	2,22,95,25,746

12) प्रावधानों में संचालन का प्रकटन :

(धनराशि ₹ लाख में)

विवरण	प्रावधानों का संचलन			
	01.04.2020 को अवशेष	वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	वर्ष के दौरान समायोजित किये गए प्रावधान	31.03.2021 को अवशेष
संदिग्ध प्राप्यों हेतु प्रावधान	187	0	0	187
सी॰डब्ल्यू॰आई॰पी॰ हानि हेतु प्रावधान (परित्याग या अन्यथा के कारण)	192	0	0	192
आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान (पूंजीगत)	186	0	0	186
योग	**565**	**0**	**0**	**565**

13) पूर्व के 03 वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ ऋणात्मक था। हालांकि वित्तीय वर्ष 2020–21 में सी॰एस॰आर॰ गतिविधियों पर ₹ 5,00,000 की धनराशि व्यय की गयी, जिसे अगले तीन वर्षों के दौरान सीएसआर दायित्वों (यदि कोई हो) के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

14) वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त ₹ 5,15,94,38,000 के अंश आवेदन राशि के प्रति समता अंश वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आवंटित किये गये है।

15) i) कम्पनी ने राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/कम्पनियों को निम्नलिखित भूमि हस्तगत की है :

   अ) ताजमहल ईस्ट गेट रोड, आगरा में स्थित पर्यटन विभाग को मुगल संग्रहालय के निर्माण के लिए 5.9 एकड़ भूमि,

   ब) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 132/33 केवी जीआईएस उपकेन्द्र, नीबू पार्क, लखनऊ में स्थित 993 वर्ग मीटर भूमि,

   स) पर्यटन विभाग, इटावा को 2.2250 हेक्टेयर भूमि का भौतिक कब्जा।

   ii) कम्पनी ने उपयोग के अधिकार के आधार पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 132 केवी एसजीपीजीआई उपकेन्द्र पर स्थित 2380 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराई है।

16) लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :

   अ) जिस स्क्रैप के मूल्यांकन के लिए लेखांकन नीति में परिवर्तन किया गया है। इसके दृष्टिगत जिंक स्क्रैप के मल्य में पूर्ववर्ती नीति की तुलना में ₹ 1.63 करोड़ की कमी हुई है।

17) अंतर कम्पनी अवशेषों में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के स्वामित्व वाली विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों से देय ₹ 358 करोड़ और ₹ 110 करोड़ प्राप्य की राशि शामिल है तथा अंतरों के समाधान के अधीन है, जो एक सतत प्रक्रिया है और उसी के लिए लेखांकन किया जाता है एवं जब किसी कम्पनी के लेखों में जैसा भी मामला हो, किया जाता है।

18) वि॰व॰ 2017–18 से सम्पूर्ण कम्पनी के आई॰यू॰टी॰ सम्व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावशाली नई प्रणाली प्रारम्भ की गयी है। परिणामतः, वित्तीय वर्ष 2017–18 के पश्चात कोई भी असमाधानित सम्व्यवहार नहीं है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के पूर्व के अन्तर इकाई अवशेष अन्तरों के समाधान के अधीन है जो कि एक सतत प्रक्रिया है तथा इसका लेखांकन तभी किया जाता है जब कभी सम्बन्धित इकाइयों में से किसी एक की पुस्तकों में, जैसा मामला हो, यह पाया जाता है।

19) कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 2020-21 से आयकर अधिनियम, 1961 की नई धारा 115बीएए का विकल्प चुना है, जहां कम्पनी की कुल आय के सम्बन्ध में देय आयकर की गणना बाईस प्रतिशत की दर से लागू अधिभार और उपकर को जोड़कर की जायेगी, जबकि इस तरह के विकल्प को अपनाने से पहले निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कर की दर तीस प्रतिशत तथा लागू अधिभार और उपकर जोड़कर था।

20) पूर्व वर्ष के आंकड़ो का यथोचित पुर्नसमुहीकरण/पुर्नवर्गीकरण/पुर्नआगणन किया गया है।

21) तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण तथा लेखों पर टिप्पणियों में दिखाए गए आंकडे, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, निकटतम लाख ₹ में पूर्णांकित किये गये है।

22) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ विशिष्ट रूप से पहली बार अभिग्रहण हेतु उपयुक्त रूप से संशोधित की गई है, जहाँ भी आवश्यक समझा गया है।

23) वैश्विक स्तर पर और भारत में कोविड–19 के प्रकोप के कारण कम्पनी प्रबंधन ने व्यवसाय और वित्तीय जोखिम पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव का प्रारम्भिक मूल्यांकन किया है और यह मानता है कि प्रभाव अल्पकालिक प्रकृति का होने की संभावना है। प्रबंधन को कम्पनी की सतत व्यवसाय के रूप में जारी रखने और अपनी देनदारियों जब भी वे देय होती है, को पूरा करने की क्षमता में कोई मध्यम से दीर्घकालिक जोखिम नहीं दिखता है।

24) चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मण्डल द्वारा 18 नवम्बर, 2021 को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

–ह०–	–ह०–	–ह०–	यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के आधीन
(एस०के० अवस्थी)	**(ए०के० गुप्ता)**	**(रन्जन के० श्रीवास्तव)**	**कृते आर०एम० लाल एण्ड कम्पनी**
उपमहाप्रबन्धक	अधिशासी निदेशक एवं सी०एफ०ओ०	निदेशक (वित्त)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(वित्त एवं लेखा)	(वित्त एवं लेखा)	डीआईएन 07338796	

–ह०–	–ह०–	–ह०–
(ऋषि टण्डन)	**(पी० गुरूप्रसाद)**	**(आर०पी० तिवारी)**
कम्पनी सचिव	प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
	डीआईएन–07979258	स०सं० 071448
		फर्म पंजी०सं० 000932सी

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 23.12.2021

25) 31.03.2021 को तुलनपत्र के आंकडों हेतु पुर्नस्थापन की अनुसूची

(₹ लाख में)

शीर्ष का नाम (परिसम्पत्ति / दायित्व)	31.03.2020 को अवशेष	मद की प्रकृति	विवरण	पुर्नस्थापित हेतु धनराशि	पुर्नस्थापित अवशेष
परिसम्पत्तियाँ					
1. गैर चालू परिसम्पत्तियाँ					
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	15,56,948.32				
		ह्रास	(5,685.61)		
			–		
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	7,83,774.89		–	(5,685.61)	19,51,262.71
		अन्य आय	217.65		
		मरम्मत और अनुरक्षण	36.06		
		कार्मिक लागत	(78.28)		
		ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	(4,594.11)		
			–	(4418.68)	7,79,356.21
अन्य अमूर्त सम्पत्ति	157.50		–		
		ह्रास	(35.07)		
			–	(35.07)	122.43
अस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	16,655.16				
			–	–	16,655.15
अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	456.30		–	–	456.30
			–	–	
2. चालू परिसम्पत्तियाँ					
सूचियाँ (भण्डार एवं संयंत्र)	1,62,712.53		–		
		मरम्मत और अनुरक्षण	2.31	–	
				2.31	1,62,714.84
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ					
व्यापारिक प्राप्तियाँ	5,60,055.86	विद्युत बिक्री से राजस्व	(1.29)		
			–	(1.29)	5,60,054.57
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	75,346.53				
		अन्य आय	(5.22)		
		मरम्मत और अनुरक्षण	(21.16)		
		कार्मिक लागत	(105.65)		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	(0.04)		
		ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	0.01	(132.96)	75,214.47
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	40,970.98				
		अन्य आय	(469.02)		
		मरम्मत और अनुरक्षण	3.87		
		कार्मिक लागत	(0.18)		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	0.23		
		ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	(0.00)	(465.10)	40,505.88

25) 31.03.2021 को तुलनपत्र के आंकडों हेतु पुर्नस्थापन की अनुसूची

(₹ लाख में)

शीर्ष का नाम (परिसम्पत्ति / दायित्व)	31.03.2020 को अवशेष	मद की प्रकृति	विवरण	पुर्नस्थापित हेतु धनराशि	पुर्नस्थापित अवशेष
<u>समता एवं दायित्व</u>					
समता					
समता अंश पूंजी	15,06,006.68		–		
			–	–	15,06,006.68
अन्य समता (एसओई देखे)	1,26,711.40		–		
		अन्य आय	216.25		
		01-04-2020 को पुर्नस्थापन का प्रभाव	(7,108.97)		
		लाभ / (हानि) का शुद्ध पुर्नस्थापन	(432.50)	(7,325.22)	1,19,386.18
<u>दायित्व</u>			–		
1. गैर चालू दायित्व					
वित्तीय दायित्व			–		
उधारियाँ	11,59,335.40		–		
			–	–	11,59,335.40
अन्य वित्तीय दायित्व	2,470.95		–		
			–	–	2,470.95
प्रावधान	28,449.04		–		
			–	–	28,449.04
अन्य गैर चालू दायित्व	103.27		–		
		पूर्वाधि पूर्णन अंतर	0.01		
				0.01	103.28
2. चालू दायित्व					
वित्तीय दायित्व	1,63,641.81		–		
			–	–	1,63,641.81
अन्य चालू दायित्व	6,08,662.10		–		
		अन्य आय	9.30		
		मरम्मत और अनुरक्षण	(185.21)		
		कार्मिक लागत	(2,451.06)		
		प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	(783.30)		
		ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	(0.02)	(3,410.29)	6,05,251.81
प्रावधान	1,697.42		–		
			–	–	1,697.42
पुर्न स्थापन का शुद्ध प्रभाव			–	**0**	**0.00**

यथाविनिर्दिष्ट तिथि पर हमारे प्रतिवेदन के आधीन

–ह॰–	–ह॰–	–ह॰–	**कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी**
(एस॰के॰ अवस्थी)	**(ए॰के॰ गुप्ता)**	**(रन्जन के॰ श्रीवास्तव)**	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
उपमहाप्रबन्धक	अधिशासी निदेशक एवं सी॰एफ॰ओ॰	निदेशक (वित्त)	
(वित्त एवं लेखा)	(वित्त एवं लेखा)	डीआईएन 07338796	

–ह॰–	–ह॰–	–ह॰–
(ऋषि टण्डन)	**(पी॰ गुरूप्रसाद)**	**(आर॰पी॰ तिवारी)**
कम्पनी सचिव	प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
	डीआईएन–07979258	स॰सं॰ 071448
		फर्म पंजी॰सं॰ 000932सी

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 23.12.2021

आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

मुख्यालय : 4/10, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226 010 (भारत)

दूरभाष : +91 522 4043793, 2304172
ईमेल : आरएमएलएएलएलसीओ@आरएमएलएएलएलसीओ.काम

स्वतंत्र सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण,
उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन,
लखनऊ।

एकल वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

मर्यादित अभिमत :

हमने उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों का सम्प्रेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 का तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समता में परिवर्तनों का विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ, संक्षिप्त में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ सहित तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ (''एकल वित्तीय विवरणों'') जिसमें चार पारेषण परिक्षेत्रों (''परिक्षेत्रों'') के लेखे, जो अन्य सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित हैं, सम्मिलित हैं।

हमारे अभिमत में एवं हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, परिमित अभिमत के आधार भाग में हमारी रिपोर्ट में वर्णित किये गये मामलों के प्रभाव को छोड़कर, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अन्तर्गत आवश्यक सूचना अपेक्षित ढंग से देते हैं तथा 31 मार्च, 2021 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, और लाभ, अन्य व्यापक आय सहित, इसके हानि, इसके रोकड़ प्रवाह तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समता में परिवर्तन को अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित (''इन्ड एएस'') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों की अनुरूपता में सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते है।

परिमित अभिमत का आधार :

हम अनुलग्नक 'I' में वर्णित प्रकरणों जिनका प्रभाव, व्यक्तिगत रूप से या समूह में, वित्तीय विवरणों के लिये महत्वपूर्ण किन्तु व्यापक नहीं है एवं उन प्रकरणों जिनमें हम पर्याप्त व उपयुक्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं, पर ध्यानाकृष्ट करते हैं। इन प्रकरणों के सम्बन्ध में हमारा अभिमत परिमित है।

हमने एकल वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्दिष्ट सम्प्रेक्षा मानकों (एस॰ए॰) की अनुरूपता में सम्पन्न की है। इन मानको के अन्तर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को एकल वित्तीय विवरणों के प्रतिवेदन में सम्प्रेक्षक के उत्तरदायित्व भाग में वर्णित किया गया है। हमारे एकल वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा अधिनियम के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया (आई॰सी॰ए.आई॰) द्वारा निर्गत आचार संहिता के साथ–साथ स्वतंत्रता की आवश्यकता के अनुसार हम कम्पनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा आइ॰सी॰ए॰आई॰ की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि जो सम्प्रेक्षा साक्ष्य हमें प्राप्त हुए है वह हमारे एकल वित्तीय विवरणों पर सम्प्रेक्षा अभिमत का आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है।

सम्प्रेक्षा के मुख्य मामले :

सम्प्रेक्षा के मुख्य मामले वे मामले हैं जो कि हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा में अत्यन्त महत्व के हैं। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपना अभिमत बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम अनुलग्नक–I में वर्णित मामलों को छोड़कर ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' के अलावा इन मामलों पर अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं। हमने निर्धारित किया है कि हमारी सम्प्रेक्षा में संप्रेषित करने के लिए कोई अन्य प्रमुख लेखापरीक्षा मामले नहीं हैं।

विषय का महत्व अनुच्छेद :

जैसा कि विश्व स्तर पर और भारत में कोविड–19 के प्रकोप के कारण, टिप्पणी–29 ''लेखो पर टिप्पणियाँ'' के अनुच्छेद 24 में बताया गया है, कंपनी के प्रबंधन ने व्यवसाय और वित्तीय जोखिमों पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव का प्रारंभिक मूल्यांकन किया है और यह मानता है कि प्रभाव स्वरूप अल्पकालिक होने की संभावना है। प्रबंधन को कंपनी के सतत व्यवसाय के रूप में जारी रखने और अपनी देनदारियों, जब वे देय होती है, को पूरा करने की क्षमता में कोई मध्यम से दीर्घकालिक जोखिम नहीं दिखता है। इस मामले में हमारे अभिमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणों तथा उस पर सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य सूचनायें :

कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचनायें तैयार करने के लिये उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल सूचनाए सम्मिलित हैं किन्तु एकल वित्तीय विवरण तथा उस पर हमारा सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित नहीं है। उपरोक्त प्रतिवेदन को इस लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना को आवरित नहीं करता है तथा हम उस पर किसी तरह का निष्कर्ष तथा आश्वासन व्यक्त नही करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी सम्प्रेक्षा के सम्बन्ध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उपर्युक्त अभिज्ञात अन्य सूचना के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ना है तथा, ऐसा करने में, विचार करना है कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणों या सम्प्रेक्षा में प्राप्त की गयी हमारी जानकारी से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से मिथ्या वर्णित प्रतीत होती है।

जब हम उपरोक्त अभिज्ञात प्रतिवेदन को पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारित लोगों से संप्रेषित करने तथा परिस्थितियों की आवश्यकता तथा लागू कानूनों विनियमों द्वारा आवश्यक उचित कार्यवाही करेगें।

एकल वित्तीय प्रपत्रों हेतु प्रबन्धन का उत्तरदायित्व :

अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट प्रावधानानुसार इन एकल वित्तीय प्रपत्रों को अधिनियम की धारा–133 सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित (''इन्ड एएस'') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य लेखीय सिद्धांतों की अनुरूपता में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय उपलब्धि, रोकड़ प्रवाह एवं समता में परिवर्तन का सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते हुए तैयार कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक मण्डल का है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानानुसार कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं जानकारी; समुचित लेखांकन नीतियों का चयन तथा क्रियान्वयन; ऐसे अनुमान एवं निर्णय जोकि उचित एवं युक्तियुक्त हो; हेतु समुचित लेखांकन अभिलेखों का रख–रखाव तथा सत्य एवं निष्पक्ष मत दर्शाते वित्तीय प्रपत्रों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए यह सुनिश्चित करने हेतु कि वे महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन, धोखाधड़ी अथवा भूल–चूक से मुक्त हो के सम्बन्ध में प्रासंगिक समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जोकि लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णताः सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से क्रियाशील हो की रचना, क्रियान्वयन तथा रख–रखाव सन्निहित हैं।

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कम्पनी की सतत व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता को निर्धारण, प्रकट करते हुये, जैसा लागू हो, व सतत व्यवसाय से सम्बन्धित मामले तथा लेखांकन के सतत व्यवसाय आधार का प्रयोग करने के लिये जब तक कि प्रबन्धन या तो कम्पनी के समापन या परिचालनों को समाप्त करने का इरादा रखती है या ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, प्रबन्धन उत्तरदायी है।

ऐसे शासन प्रभारित लोग कम्पनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की निगरानी के लिये भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की सम्प्रेक्षा के लिए सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व :

हमारे उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्रता में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण, तथा एक सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन निर्गत करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है किन्तु यह इस बात कि गारन्टी नहीं है कि एस.ए. के अनुसार सम्पादित की गई सम्प्रेक्षा सदैव मिथ्यावर्णन, जब यह विद्यमान हो, का पता लगायेगी। मिथ्यावर्णन धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकता है तथा यह महत्वपूर्ण माना जाता है यदि एकल रूप में या समग्रता में, इनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित होने की यथोचित आशा हो।

एस॰ए॰ के अनुरूप सम्प्रेक्षा के एक भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संशयवाद को सम्प्रेक्षा में सर्वत्र बनाये रखते हैं। हम :–

- एकल वित्तीय प्रपत्रों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिमों को चिन्हित व निर्धारित करते हैं, उन जोखिमों के लिये उत्तरदायी सम्प्रेक्षा प्रक्रिया की अभिकल्पना व सम्पादन करते हैं तथा सम्प्रेक्षा साक्ष्य जो हमारे अभिमत को आधार देने के लिये पर्याप्त तथा उपयुक्त है,

प्राप्त करते हैं। त्रुटि की अपेक्षा धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम ज्यादा बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जान बूझ कर चूक, तोड़ मरोड़ व आन्तरिक नियन्त्रण की अवहेलना सम्मिलित है।

- ऐसी सम्प्रेक्षा प्रक्रियाओं की अभिकल्पना, जो परिस्थितियों के लिये उपयुक्त है, करने के लिये सम्प्रेक्षा से सम्बद्ध आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (3)(i) के अनुसार हम अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये भी उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली व इन नियन्त्रणों की प्रभावशीलता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखा अनुमानों तथा सम्बन्धित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबन्धन द्वारा प्रयोग की जा रही लेखांकन के सतत व्यवसाय आधार की उपयुक्तता तथा, प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या दशाओ से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो कम्पनी की सतत व्यवसाय के रूप में चलते रहने की योग्यता पर महत्वपूर्ण सन्देह पैदा कर सकती है, पर निष्कर्ष निकालते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने सम्प्रेक्षक प्रतिवदेन में वित्तीय प्रपत्रों में सम्बन्धित प्रकटन की ओर ध्यानाकर्षण करने या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमें अपने अभिमत में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। हमारे निष्कर्ष हमारे सम्प्रेक्षा प्रतिवदेन की तिथि तक प्राप्त सम्प्रेक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनायें व दशायें कम्पनी के सतत व्यवसाय के रूप में चलते रहने की समाप्ति का कारण बन सकती हैं।
- प्रकटन समेत एकल वित्तीय प्रपत्रों के प्रस्तुतीकरण, संरचना व विषय वस्तु तथा क्या वित्तीय प्रपत्र अन्तर्निहित सम्व्यवहारों एवं घटनाओं का इस ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें निष्पक्ष प्रस्तुति हो, का समग्र मूल्यांकन करते हैं।

एकल वित्तीय प्रपत्रों में महत्व मिथ्याकथनों का परिमाण है जो एकल रूप में या समग्रता में वित्तीय प्रपत्रों के यथोचित सुविज्ञ प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकने को संभाव्य बनाता हैं। हम मात्रात्मक महत्व व गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) अपने सम्प्रेक्षा कार्य क्षेत्र की योजना बनाने व अपने कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करने में; एवं (ii) वित्तीय प्रपत्रों में किसी चिन्हित मिथ्याकथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में ।

हम उनके नियंत्रक प्रभारी से सम्बन्धित अन्य मामलों के साथ–साथ सम्प्रेक्षा हेतु नियोजित कार्यक्षेत्र एवं सम्प्रेक्षा का समय तथा हमारे द्वारा सम्प्रेक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पायी गयी कोई अन्य महत्वपूर्ण कमी को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण सम्प्रेक्षा तथ्यों का संवाद करते है।

हम नियंत्रण प्रभारियों को विवरण प्रदान करते हैं कि स्वतंत्रता के सम्बन्ध में हमने प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी सम्बन्धों व अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिन पर हमारी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए जो उचित हो तथा जहाँ लागू हो, सम्बन्धित सुरक्षा उपायों को संवादित करते है।

नियंत्रण प्रभारियों को सूचित किये गये मामलों में से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के एकल वित्तीय प्रपत्रों की सम्प्रेक्षा में सर्वाधिक महत्व के थे एवं इसलिये प्रमुख मामले हैं। हम अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवदेन में इन मामलों को सम्मिलित करते हैं जब तक कि विधि या नियमावली मामलों के सार्वजनिक प्रकटन को न रोके या, जब अत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियाँ हो, हम निर्धारित करते हैं कि एक मामले को हमारे प्रतिवदेन में नहीं सूचित किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों के पछाड़ने के रूप में यथोचित अपेक्षित होंगे।

अन्य मामले :

कम्पनी के एकल वित्तीय प्रपत्रों में सम्मिलित प्रयागराज परिक्षेत्र (एल॰सी॰:11 एवं 12), गोरखपुर परिक्षेत्र (एल॰सी॰ : 13 एवं 14), लखनऊ परिक्षेत्र (एल॰सी॰: 15, 16 एवं 17), मेरठ परिक्षेत्र (एल॰सी॰: 18 एवं 19), आगरा परिक्षेत्र (एल॰सी॰ : 20 एवं 21) और झांसी परिक्षेत्र (एल॰सी॰: 22 एवं 23) में स्थित परिक्षेत्रों के वित्तीय प्रपत्रों/सूचनाओं की सम्प्रेक्षा हमने नहीं की। इन परिक्षेत्र के वित्तीय प्रपत्रों/सूचनाओं की सम्प्रेक्षा शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा की गई है जिनके प्रतिवेदन हमें प्रदान किये गये हैं, एवं हमारे अभिमत में जहाँ तक यह धनराशियां एंव प्रकटन परिक्षेत्र से सम्बन्धित हैं, केवल ऐसे परिक्षेत्र सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदनों पर आधारित हैं।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन :

1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा जैसाकि वांछित है हम ''अनुलग्नक–II'' में इस आदेश के प्रस्तर 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत निर्देशों एवं उप–निर्देशों की आवश्यकतानुसार, हम ''अनुलग्नक III(ए) एवं III(बी)'' पर निर्देशों तथा उप निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण प्रस्तुत करते हैं।
3. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, और अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
4. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा जैसा वांछित है, हम अपने सम्प्रेक्षा के आधार पर सूचित करते है कि :
   अ) सिवाय उन मामलों के जो परिमित अभिमत के लिये आधार में वर्णित हैं, हमने सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त कर लिए जो हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे सम्प्रेक्षण के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।

   ब) हमारे अभिमत में और ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अनुभाग में वर्णित मामलों को छोड़कर, कानून के अनुसार कंपनी द्वारा उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसाकि उन पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है तथा हमारे सम्प्रेक्षा के प्रयोजन हेतु समुचित विवरणियाँ कम्पनी के परिक्षेत्र जिनका दौरा एवं अंकेक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है प्राप्त कर ली गयी है।

स) अधिनियम की धारा 143(8) के अन्तर्गत परिक्षेत्र के सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित कम्पनी की परिक्षेत्रों के लेखों पर प्रतिवेदन हमें प्रेषित किये गये हैं तथा उन्हें इस प्रतिवेदन को तैयार करने में उचित रूप से विचारित किया गया है।

द) इस रिपोर्ट में व्यवहृत तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और समता में परिवर्तन का विवरण लेखा पुस्तकों तथा परिक्षेत्रों से प्राप्त विवरणियों जहाँ हमारे द्वारा यात्रा व सम्प्रेक्षा नहीं की गई से मेल खाते है।

य) सिवाय उन मामलों के जो ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अंश में वर्णित हैं, हमारे अभिमत में, पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सपठित निर्गत संगत नियम का अनुपालन करते हैं।

र) कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के सम्बन्ध में सरकारी कम्पनी होने के नाते अधिनियम की धारा 164 उपधारा (2) के अन्तर्गत निदेशकों की अयोग्यता से सम्बन्धित प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

ल) कम्पनी की वित्तीय सूचनाओं पर आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों के प्रभावी रूप से परिचालन के सम्बन्ध में हमारे प्रतिवेदन के ''अनुलग्नक–IV'' में रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें।

व) अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिन्हें कम्पनी (सम्प्रेक्षा एवं सम्प्रेक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किया जाना है, हमारे अभिमत में तथा हमारी पूर्ण जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार–

i. ''परिमित अभिमत के लिए आधार'' अंश में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने इसकी वित्तीय स्थिति पर लंबित वादों के प्रभाव को अपने वित्तीय विवरण में प्रकटित किया है।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएँ नहीं थी, जिनके सापेक्ष कोई महत्वपूर्ण हानियाँ पूर्वानुमेय थी।

iii. कोई राशि नहीं थी जिसे निदेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कम्पनी द्वारा अंतरित किया जाना था।

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफ॰आर॰एन॰ 000932सी)

–ह॰–
(सी॰ए॰ आर॰पी॰ तिवारी)
साझीदार
स॰सं॰ 071448
यूडीआईएन : 21071448एएएएबीएन2821

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 23.12.2021

अनुलग्नक–I

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसके भाग

ऐसी जांचें जो हमनें उपयुक्त मानी हैं के आधार पर तथा हमारी सम्प्रेक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रतिवेदित करते हैं किः

1. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के नियम 3 के अर्न्तगत अधिसूचित अधोलिखित लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया हैः

   अ. व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी–8), अन्य चालू आस्तियां (टिप्पणी–10) और अन्य चालू देयताएं (टिप्पणी–17) को चालू आस्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका नकदीकरण एवं निस्तारण गत वित्तीय वर्षों से लम्बित है तथा पर्याप्त जानकारी के आभाव में वसूली/निपटान के लिए बकाया शेष राशि वर्ष की समाप्ति के बाद, बारह महीनों के अन्दर उन्हें गैर–वर्तमान आस्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत नहीं करने के कारण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय लेखांकन मानक 1 के साथ असंगत हैं। इसके परिणामस्वरूप संबंधित मौजूदा चालू आस्तियाँ/देनदारियाँ अधिमूल्यित और संबंधित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ अवमूल्यित है।

   ब. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वर्ष के दौरान वृद्धि में टिप्पणी–1 महत्वपूर्ण लेखीय नीति संख्या 2 (II) (बी) के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक अतिरिक्त लागत पर एक निश्चित प्रतिशत पर अधिष्ठान लागत शामिल है। ऐसी अधिष्ठान लागत सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण तथा/अथवा स्थापना पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य न होने की सीमा तक भारतीय लेखांकन मानक 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के साथ असंगत है। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों, हृास तथा लाभ का अधिमूल्यन तथा अधिष्ठान लागत का अवमूल्यन किया गया है।

   स. टिप्पणी–7 भण्डार–(अ) सामग्री का भण्डार – पूंजीगत कार्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंश के रूप में वर्गीकृत तथा भारतीय लेखांकन मानक 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार मान्यता प्राप्त, मापित और उद्घाटित नहीं किया गया है।

   द. टिप्पणी–1 महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या–2 (VI)(एफ) द्वारा आवरित बीमा और अन्य दावों की मान्यता, सीमा शुल्क की वापसी, आयकर और व्यापार कर पर ब्याज, कर्मचारियों को ऋण पर ब्याज और आय के अन्य मद को नकद आधार पर शामिल किया गया है। यह वित्तीय विवरणों भारतीय लेखांकन मानक 1 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

   य. कर्मचारी लाभ का लेखांकन : जी॰पी॰एफ॰ योजना से आवरित कर्मचारियों के उपादान दायित्व का बीमांकक मूल्यांकन नहीं प्राप्त किया गया है (संदर्भ टिप्पणी 21 का नितल टिप्पणी 1)। यह भारतीय लेखांकन मानक–19 के साथ असंगत है।

   र. कंपनी द्वारा सम्पत्ति के क्षरण का आकलन नहीं किया गया है, जो भारतीय लेखांकन मानक–36 की सम्पत्ति के क्षरण के साथ असंगत है।

   ल. वित्तीय परिसंपत्तियाँ– व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी–8), कर्मचारियों को अग्रिम, आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम (ओ॰ एण्ड एम॰), प्राप्य (टिप्पणी– 10) को भारतीय लेखांकन मानक 109 वित्तीय साधनों द्वारा अपेक्षित

उचित मूल्य पर नहीं मापा गया है (अनुच्छेद 2) (XII) टिप्पणी –1 ''महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ'' देखें) और भारतीय लेखांकन मानक 107 वित्तीय साधनों में आवश्यक उचित प्रकटीकरण इसके लिए नहीं किया गया है। (टिप्पणी–29 का अनुच्छेद 3 ''लेखों पर टिप्पणियाँ'' देखें)

2. स्वामित्व/भूमि के स्वामित्व, भूमि अधिकार और भवनों के संबंध में कोई दस्तावेज साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए स्वामित्व के साथ–साथ अवशेषों की सटीकता को सत्यापित नहीं किया जा सका।

3. अचल संपत्तियों के ऊर्जीकरण/पूंजीकरण की तिथि के संबंध में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा परिसम्पत्ति चालू प्रमाणपत्र की अनुपलब्धता के कारण, हम पूंजीकृत ऋण लागत की राशि और उस पर लगाए गए ह्रास की सटीकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

4. कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्षों में अपनी 2.2250 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग, इटावा को हस्तांतरित की है। हालांकि, इस संबंध में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखांकन समायोजन अभी भी लंबित है।

5. कंपनी ने ताजमहल, ईस्ट गेट रोड पर स्थित अपनी 5.9 एकड़ जमीन मुगल संग्रहालय के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दी है। हालांकि, इस संबंध में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखांकन समायोजन अभी भी लंबित है।

6. कंपनी ने 132/33 केवी जी/एस उपकेन्द्र नींबू पार्क, लखनऊ में स्थित 993 वर्ग मीटर की अपनी भूमि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी है। हालांकि, इस संबंध में 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' शीर्ष के तहत उपयुक्त लेखांकन समायोजन अभी भी लंबित है।

7. ₹ 253.02 करोड़ की राशि के अंतर इकाई अंतरण, (टिप्पणी–10 और 29 के अनुच्छेद 18 देखें) समाधान और परिणामी समायोजन के अधीन हैं।

8. उभयनिष्ठ व्यय (उ॰प्र॰पा॰का॰लि॰ द्वारा प्रभारित) की राशि ₹ 15.26 करोड़ (टिप्पणी–21 देखें) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194सी के तहत स्रोत पर कर कटौती के अधीन है, जिसे कंपनी द्वारा नहीं काटा गया है।

9. आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम (पूंजी) (टिप्पणी–3), व्यापारिक प्राप्य (टिप्पणी–8), कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अग्रिम (ओ॰ एण्ड एम॰) और कर्मचारियों और अन्य से प्राप्तियां (टिप्पणी–10), पूंजी के लिए देयता/ओ॰ एंड एम॰ आपूर्तिकर्ता/कार्य, आपूर्तिकर्ताओं से जमाए, डिस्कॉम्स, विद्युतीकरण कार्य, पीएसडीएफ, अंतर कम्पनी अवशेष (टिप्पणी–17) पुष्टि और समाधान के अधीन हैं।

10. यह देखा गया कि पक्षवार सहायक बहीखातों का रखरखाव और खातों की प्राथमिक पुस्तकों यानी रोकड़ बही और अनुभागीय जर्नल के साथ इसका मिलान उचित और प्रभावी नहीं है।

11. टिप्पणी– 29 ''लेखों पर टिप्पणियां'' के अनुछेच्द 6 में प्रकट समभाव्य दायित्व के संबंध में पर्याप्त और उपयुक्त अभिलेखीय लेखापरीक्षा साक्ष्य हमें प्रदान नहीं किए गए।

12. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी–1 के अनुच्छेद 2(II)(सी) में जमा कार्य के लिए प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क को आयगत आय (गैर टैरिफ आय) के रूप में माना गया है और दूसरी ओर इसे पूंजी संचय में जमा करके पूंजी प्राप्ति के रूप में भी माना गया है। सामान्य स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं के अनुसार, जब प्राप्ति और संबंधित खर्चों को आयगत प्रक्रति के रूप में माना गया है, तो इसे फिर से पूंजी प्रक्रति के रूप में नहीं माना जा सकता। इसलिए, पूंजी संचय और पूंजीगत व्यय दोनों को ₹ 44.02 करोड़ से अधिमूल्यित है।

13. परिक्षेत्रों की लेखापरीक्षा अंकेक्षणों में लेखापरीक्षा टिप्पणियां, उन्हें छोड़कर जिन्हें अंकेक्षण में कहीं और उचित रूप से निपटाया गया है :

I) प्रयागराज परिक्षेत्र (एलसी : 11 और 12)

अ. भण्डार सामग्री एजी–22 में ''भण्डार सामग्री आधिक्य/कमी लंबित जांच'' शामिल है जो समाधान और आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, के लिए बहुत समय से पुराने लंबित पड़े हैं। इकाईवार भण्डार सामग्री आधिक्य का विवरण निम्नवत हैः–

क्र. सं.	इकाई का नाम	नवीन एलसी	शीर्ष खाता (₹ में)	धनराशि
1	ईएफयू नैनी	107	22.810	19,24,510.00 करोड़
2	ई-765 केवी एस/एस अनपारा	113	22.810	64,78,120.17 करोड़
3	ईटीडी-मिर्जापुर	114	22.810	21,795.72 करोड़
4	ईटीडी-I प्रयागराज	105	22.810	44,301.00 करोड़

ब. ईटीडी, फतेहपुर इकाई के अन्तर्गत पहले के वर्षों से संबंधित अनेकों प्रविष्टियाँ बैंक समाधान विवरण में समायोजन हेतु लम्बित पड़ी हैं।

II) गोरखपुर परिक्षेत्र (एलसी 13 और 14)

पहले के वर्षों से संबंधित प्रविष्टियाँ अभी भी विभिन्न इकाइयों के बैंक समाधान विवरण में दिखाई दे रही हैं जो अनसमायोजित पड़ी हैं।

III) लखनऊ परिक्षेत्र (एलसीः 15, 16 और 17)

परिक्षेत्र में ₹ 335.65 करोड़ रुपये की इन्वेंट्री है, हालांकि संबंधित इकाइयों द्वारा केवल मात्रा का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, लेकिन मूल्यांकन के साथ इन्वेंट्री अभिलेख सम्प्रेक्षा के लिए उपलब्ध नहीं थे और वित्तीय वर्ष के अंत के इन्वेंट्री के मूल्यांकन के आइटम वार विवरण उपलब्ध नहीं थे।

iv) मेरठ परिक्षेत्र (एलसीः 18 और 19)

अ) परिक्षेत्र ने ट्रांसमिशन डिवीजन के तहत ₹ 62.90 करोड़ और सिविल डिवीजन के तहत ₹ 0.02 करोड़ की संपत्ति को त्याग दिया था और ट्रांसमिशन और सिविल जोन के सामग्री स्टॉक खाते में, संपत्ति के त्याग के महीने तक मूल्यह्रास चार्ज करने के बाद, क्रमशः ₹ 47.97 करोड़ और ₹ 0.01 करोड़ दिखाए। हमारी राय में ऐसी विधि परिसंपत्तियों के क्षरण इंडएएस–36 और इन्वेंट्री के इंडएएस–2 का उल्लंघन है। परित्यक्त आस्तियों का मूल्य और ऐसी आस्तियों पर मूल्यह्रास परिक्षेत्र में संपूर्ण अभिलेखों के अभाव में अचल संपत्ति अनुसूची से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है

ब) ट्रांसमिशन डिवीजन में ₹ 7.35 करोड़ और सिविल डिवीजन में ₹ 0.01 करोड़ का मूल्यह्रास कंपनी की लेखा नीति के उल्लंघन में पिछले वर्षों में संपत्ति के 90% मूल्य से अधिक प्रभारित किया गया है।

स) सीडब्ल्यूआईपी में लंबे समय से शुरू की गई परियोजना शामिल है और परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में भी लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया है इसलिए हम सीडब्ल्यूआईपी की स्थिति पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

द) परिक्षेत्र को विभिन्न सरकार/गैर सरकारी संगठन से विभिन्न कार्यों को करने के लिए ट्रांसमिशन डिवीजन और सिविल डिवीजन में क्रमशः ₹ 729.60 करोड़ और ₹ 0.05 करोड जमा/अनुदान प्राप्त हुआ था। परिक्षेत्र ने प्राप्त राशि का पार्टीवार विवरण तथा शुरू की गई परियोजना की वर्तमान स्थिति उपलब्ध नहीं कराया और सरकारी अनुदान के संबंध में इंडएएस–20 का भी परिक्षेत्र द्वारा पालन नहीं किया गया है। समाधान के समय उत्पन्न समायोजन, यदि कोई हो, इस स्तर पर पर पता लगाने योग्य नहीं है।

य) लीज रेंट/ भूमि के उपयोग पर किराए के लिये ₹ 0.77 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। कंपनी ने लीज अकाउंटिंग के लिए इंडएएस–116 का पालन नहीं किया था।

14. पूरी जानकारी के अभाव में, उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 14 तक और इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–II में आस्तियों, देनदारियों, आय और व्यय पर हमारी टिप्पणियों का संचयी प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया गया है।

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफ॰आर॰एन॰ 000932सी)

–ह॰–
(सी॰ए॰ आर॰पी॰ तिवारी)
साझीदार
स॰सं॰ 071448
यूडीआईएन : 21071448एएएएबीएन2821

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 23.12.2021

अनुलग्नक–II

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

1. अ) कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरा एवं उनकी अवस्थिति इंगित करते हुए पूर्ण विवरण सहित उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।

   ब) कम्पनी द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ है कि क्या इस सम्बंध कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ पाई गयी अथवा नही, सिवाय आगरा व झांसी परिक्षेत्र के जहां लेखा परीक्षकों द्वारा निम्नवत रिपोर्ट किया गया है :–

   ''जैसा कि हमें बताया गया, पारेशण परिक्षेत्र (दक्षिण पश्चिम) की स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रेंति को ध्यान में रखते हुए प्रबन्धन द्वारा उचित अन्तराल पर कराया गया है।''

   स) सिवाय आगरा व झांसी परिक्षेत्र के अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख प्रदान नहीं किए गए हैं। इसलिए, हम इस मामले पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं या नहीं।

2. अ) मेरठ परिक्षेत्र को छोड़कर भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा कराया गया है।

   ब) लखनऊ परिक्षेत्र के लेखा परीक्षकों ने सूचित किया है कि भौतिक सत्यापन रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई थी और गोरखपुर और प्रयागराज परिक्षेत्र के लेखा परीक्षकों ने निम्नानुसार रिपोर्ट किया है:

   ''हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन प्रबंधन (इकाइयों के एसडीओ) द्वारा किया गया है। भौतिक रूप से सत्यापित अवशेष राशि की तुलना बुक बैलेंस के साथ की जानी चाहिए, विसंगतियों की पहचान करके उन्हें रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, और उनका समाधान किया जाना चाहिए। प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने वाले भण्डार सामग्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को इकाइयों के आकार और उसके व्यवसाय की प्रेंति के अनुसार मजबूत करने की आवश्यकता है। चूंकि इकाइया/परिक्षेत्र भण्डार सामग्री के उचित अभिलेखों का रख रखाव नहीं कर रही, हम यह टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि क्या स्टॉक के भौतिक और बुक बैलेंस के बीच विसंगतियों को खाते की पुस्तक के भीतर ठीक से निपटाया गया है

   इसलिए, हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कोई भौतिक विसंगतियां देखी गई थीं और यदि हां, तो क्या उन्हें लेखा पुस्तकों में ठीक से निपटाया गया है,

3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत आवश्यक पंजिका में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों को कोई भी ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। तदनुसार, अनुच्छेद 3(iii) का ''आदेश'' का लागू नहीं है।

4. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानानुसार कंपनी ने कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रत्याभूति नहीं प्रदान की है। तदनुसार, अनुच्छेद 3(iv) का ''आदेश'' का लागू नहीं है।

5. कंपनी द्वारा जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया गया है, अस्तु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश और अधिनियम की धारा 73 से 76 और अन्य संबंधित प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

6. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट लागत अभिलेख कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध नहीं कराए गए है।

7. अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित देयों को छोडकर कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और किसी भी अविवादित वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है :–

देयको की प्रकृति	अधिनियम का नाम	धनराशि (₹ लाख में)
भविष्य निधि अंशदान	कर्मचारी भविष्य निधि व प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952	2,430.05
देय टीडीएस	आयकर अधिनियम, 1961	43.20
डब्लूसीटी–बिक्री कर	उत्तर प्रदेश, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	0.86
जीएसटी	सीजीएसटी अधिनियम, 2017 एसजीएसटी अधिनियम, 2017 आईजीएसटी अधिनियम, 2017	3.58
जीएसटी–टीडीएस	सीजीएसटी अधिनियम, 2017 एसजीएसटी अधिनियम, 2017 आईजीएसटी अधिनियम, 2017	0.28

*एमटीबी में कतिपय खातों में डेबिट अवशेष उपरोक्त तालिका में सम्मिलित नहीं किया गया है।

बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, माल और सेवा कर, उपकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपयुक्त प्राधिकारियो का कोई अन्य वैधानिक देयताएं, सिवाय लखनऊ परिक्षेत्र (*) व निम्नलिखित बकाये को छोडकर बकाया नहीं है, जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किये गये है:

अधिनियम का नाम	बकाये की प्रकृति	धनराशि (₹)	अवधि जिससे राशि सम्बन्धित है	फोरम जहाँ विवाद लम्बित है	टिप्पणी, यदि कोई
उ०प्र०, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	17,73,045	2011-12	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी	

उ०प्र०, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	17,42,678	2012-13	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी	
उ०प्र०, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	47,75,873	2014-15	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी	
उ०प्र०, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008	वैट	46,91,721	2015-16	अपर आयुक्त ग्रेड–2 (अपील) वाणिज्यिक विभाग, वाराणसी	
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर टीडीएस	3,32,270	2018-19	टीडीएस वार्ड, आयकर विभाग	

(*)चूंकि वैधानिक देयताओं के विरुद्ध विवादों का विवरण लखनऊ परिक्षेत्र के प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, हम यह कहने में असमर्थ हैं कि क्या आय कर, सीमा शुल्क, धन कर, उत्पाद शुल्क, उपकर के विरुद्ध कोई ऐसी धनराशि है जो किसी विवाद के कारण 31 मार्च 2021 तक उपयुक्त प्राधिकारियो के पास जमा नहीं की गई हैं।

8. कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार की उधार या ऋणों की अदायगी अथवा ऋण पत्र धारकों को देय राशि में चूक नहीं की है।

9. उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, कंपनी द्वारा प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या पुनः सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण विलेख सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं उठायी गयी। कंपनी ने सावधि ऋणों के माध्यम से धन जुटाया है और उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए उन्हें उठाया गया था।

10. हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

11. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं० जी०एस०आर० 463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार और प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

12. कंपनी चिट फंड या निधि/म्यूचुअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी नहीं है, इसलिए आदेश का खण्ड 3(xii) लागू नहीं है।

13. हमारे अभिमत में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 जहाँ भी लागू है के अनुपालन में हैं, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन और संबंधित पक्ष लेनदेन के विवरण भारतीय लेखांकन मानक द्वारा अपेक्षित एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

14. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अंशो का कोई अधिमानी आवंटन या प्राईवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर नहीं किया है, न तो पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनीय ऋणपत्र में परिवर्तित किया गया है।

15. हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अन्तर्गत कंपनी ने निदेशकों या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर–नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है।

16. हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं व्याख्यानों के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आई.ए. के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते आर.एम. लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफ.आर.एन. 000932सी)

–ह.–
(सी.ए. आर.पी. तिवारी)
साझीदार
स.सं. 071448
यूडीआईएन : 21071448एएएएबीएन2821

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 23.12.2021

अनुलग्नक III (अ)

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसके भाग

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखाकार के निर्देश

क्र. स.	निर्देश	अभ्युक्ति
1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	आई॰टी॰ प्रणाली के माध्यम से लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास कोई प्रणाली नहीं है। सेक्शनल जर्नल्स अन्तर्गत एस॰जे॰1, एस॰जे॰2, एस॰जे॰3 और एस॰जे॰4 तथा रोकड़ बही का रखरखाव किया जाता है, लेकिन बहीखातों/उप बहीखातों का रखरखाव नहीं किया जाता है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋणों की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/छूट/ब्याज आदि की माफी/अपलेखन के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय आरोपण के बारे में बताया जा सकता है।	वर्ष के दौरान ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए मौजूदा ऋण की पुनर्रचना/ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की माफी/अपलेखन करने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	मुख्यालय में प्राप्त निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया जाता है और इसके उपयोग के लिए संबंधित परिक्षेत्र को प्रेषित किया जाता है। परिक्षेत्र लेखापरीक्षकों ने इस संबंध में विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया है।

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफ॰आर॰एन॰ 000932सी)

—ह॰—
(सी॰ए॰ आर॰पी॰ तिवारी)
साझीदार
स॰सं॰ 071448
यूडीआईएन : 21071448एएएएबीएन2821

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 21.12.2021

अनुलग्नक III (ब)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट में सन्दर्भित एवं उसका भाग

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के उपनिर्देश –

क्र. सं.	उपनिर्देश	टिप्पणी
1.	कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त खाली भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु उठाए गए कदमों की पर्याप्तता। यदि भूमि अतिक्रमित, विवादित, उपयोग में नहीं लाई गई अथवा अधिशेष घोषित की गई है तो, विवरण उपलब्ध कराए।	कारपोरेशन के प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार, उन्होने कोई भी भूमि को अधिशेष घोषित नहीं किया है तथा अग्रेतर सम्प्रेक्षाधीन वर्ष के दौरान इकाईयों द्वारा अतिक्रमण की कोई भी घटनाए सूचित नहीं की गयी है। कम्पनी के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।
2.	नई परियोजनाएँ स्थापित करने में जहां कहीं भी भूमि अधिग्रहण सम्मिलित है, वहां पर क्या सभी प्रकरणों में देयों का त्वरित तथा पारदर्शी रूप से निस्तारण किया जा रहा है, पर प्रतिवेदन दें। विचलन के प्रकरणों में कृपया विस्तार पूर्वक विवरण दें।	भूमि अधिग्रहण नई परियोजनाओं की स्थापना में शामिल है और बकाया राशि का निपटान तेजी से किया जाता है। परिक्षेत्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा विचलन का कोई मामला प्रतिवेदित नहीं किया गया था।
3.	क्या उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण हेतु उपलब्ध ऊर्जा के लिए ऊर्जा की निकासी हेतु प्रणाली सामंजस्यपूर्ण है? यदि नहीं, तो उत्पादन कम्पनी द्वारा किए गए हानि के दावे पर टिप्पणी दें।	विद्युत के निष्क्रमण की पारेषण प्रणाली राज्य के स्वामित्व वाली उत्पादन कम्पनी के पास पारेषण के लिए उपलब्ध विद्युत के अनुरूप है।
4.	वर्ष के दौरान कितनी पारेषण हानियां निर्धारित मानकों से अधिक रहीं तथा कि क्या उनका लेखा पुस्तकों में समुचित लेखांकन किया गया है अथवा नहीं?	उ॰प्र॰वि॰नि॰आ॰, एक राज्य आयोग ने वि॰व॰ 2020-21 के लिए अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.41% अनुमोदित की है। उ॰प्र॰पा॰ट्रा॰का॰लि॰ ने वास्तविक अन्तःराज्यीय पारेषण हानि 3.37% की है जो कि तुलना में कम तथा राज्य आयोग द्वारा वि॰व॰ 2020-21 के लिए अनुमोदित अन्तःराज्यीय पारेषण हानि की सीमा के अन्तर्गत है।
5.	क्या अन्य एजेन्सियों हेतु निर्मित तथा पूर्ण की गई आस्तियों को उन्हें हस्तगत कर दिया गया है तथा	संपत्ति का निर्माण कंपनी द्वारा लाभार्थी एजेंसी के अनुरोध पर किया जाता है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, यदि

क्र सं.	उपनिर्देश	टिप्पणी
	उनका वित्तीय प्रपत्रों में समुचित लेखांकन किया गया है?	जमा कार्य पूरा होने पर संपत्ति एजेंसी की संपत्ति बन जाती है, तो इसे एजेंसी को मद अथवा कार्यवार उदित हुए क्रय व्यय के विवरण के साथ हस्तगत कर दिया जाता है।

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफ॰आर॰एन॰ 000932सी)

—ह॰—
(सी॰ए॰ आर॰पी॰ तिवारी)
साझीदार
स॰सं॰ 071448
यूडीआईएन : 21071448एएएएबीएन2821

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 21.12.2021

अनुलग्नक–IV

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को इसी तिथि की हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत सन्दर्भित एवं उसका भाग

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के वाक्य (i) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियन्त्रण पर प्रतिवेदन।

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के कम्पनी के एकल वित्तीय विवरणों की अपनी सम्प्रेक्षा के साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये उ॰प्र॰ पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) की वित्तीय सूचना पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणो का सम्प्रेक्षण किया है।

आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आई॰सी॰ए.आई॰) द्वारा निर्गत वित्तीय सूचना पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की सम्प्रेक्षा पर दिशा निर्देश लेख टिप्पणी में इंगित आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक घटको को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचना कसौटी पर आन्तरिक नियंत्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने एवं रख रखाव करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त वित्तीय नियन्त्रणों की रूप रेखा बनाना, कार्यान्वयन तथा रख रखाव सम्मिलित है जो कम्पनियों की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधडी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की यर्थाथता एवं पूर्णता तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत जैसा आवश्यक है, ससमय विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सहित, इसके व्यवसाय के सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चत करने के लिए प्रभावी रूप से क्रियाशील थे।

सम्प्रेक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपने सम्प्रेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपना सम्प्रेक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की सम्प्रेक्षण पर (दिशानिर्देश लेख) तथा भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्थान द्वारा निर्गत सम्प्रेक्षा के मानको के अनुसार सम्पादित किया जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट हुए माने गये है तथा आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर लागू सीमा तक दोनों ही आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की सम्प्रेक्षा पर प्रभावी है तथा दोनो ही भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थान द्वारा निर्गत किये गये हैं। उन मानक एवं दिशानिर्देश लेख द्वारा अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करे तथा सम्प्रेक्षा की कार्ययोजना एवं निष्पादन उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण स्थापित किया गया एवं बनाये रखा गया तथा क्या ऐसे नियन्त्रण सभी महत्वपूर्ण सम्बन्धों में प्रभावी रूप से परिचालित थे।

हमारे सम्प्रेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की पर्याप्तता के बारे में सम्प्रेक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के हमारे सम्प्रेक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की समझ प्राप्त करना, महत्वपूर्ण कमजोरी विद्यमान होने सम्बन्धी जोखिम का आकलन करना तथा आकलित जोखिम के आधार पर तैयार किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की कार्यसाधकता एवं अभिकल्प का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया, वित्तीय विवरणो की महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटिवश हो की जोखिम के निर्धारण सहित, सम्प्रेक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

हम विश्वास करते है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये सम्प्रेक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली पर हमारे सम्प्रेक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण से तात्पर्य

कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य एक ऐसी सुदृढ़ प्रक्रिया तैयार किये जाने से है जिससे बाह्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग एवं वित्तीय प्रपत्रों की विश्वसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में तैयार किया गया होने सम्बन्धी समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण में वह नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है जो (1) अभिलेखों के रख रखाव से सम्बन्धित होती है, उचित विवरण में, सही ढंग से तथा काफी हद तक लेन देनों तथा कम्पनी की परिसम्पत्तियों की स्थिति को प्रतिबिम्बित करती है। (2) पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है कि लेनदेनों को अभिलेखबद्ध किया जाता है जैसा कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की अनुज्ञा के लिए आवश्यक है तथा कम्पनी की प्राप्तियां एवं व्यय कम्पनी के प्रबन्धन तथा निदेशको के अधिकार पत्रों के अनुसार ही किये जा रहे है। (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग एवं परित्यक्तता जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, की रोकथाम या समय से पता लगाने के सम्बन्ध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं

प्रबन्धकीय कमियों, नियंत्रण के लंघन तथा आपसी साँठ–गाँठ की सम्भावनाओं आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण ऐसा सम्भव है कि त्रुटियों अथवा धोखाधड़ी के कारण सारभूत मिथ्याकथन विद्यमान हों जिनका पता न लग पाया हो। साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का आंकलन का अनुमान परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियो या कार्यप्रणालियों के अनुपालन की कोटि/श्रेणी विकृत कर सकता है।

अभिमत

हमारा अभिमत है कि कम्पनी सभी महत्वपूर्ण विषयों में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली रखती है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण 31.03.2021 को प्रभावी रूप से परिचालित थे, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा निर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की सम्प्रेक्षा पर मार्गदर्शीय टिप्पणी में वर्णित आन्तरिक नियन्त्रण के महत्वपूर्ण भागों को विचारित कर कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियन्त्रण कसौटी पर आधारित है सिवाय उन कमियो के जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को हमारी सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक I व II पर वर्णित है।

अ) प्रयागराज और गोरखपुर परिक्षेत्र

(i) परिक्षेत्र की सभी इकाइयों में बैंकिंग और नकद लेनदेन पर दोहरा नियंत्रण आवश्यक है,

(ii) किसी विशेष तिथि पर रोकड़ शेष का पता लगाने के लिए रोकड़ बही के दैनिक नकद संतुलन की सिफारिश की जाती है।

ब) लखनऊ जोन

(i) परिक्षेत्र में भण्डार के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। भण्डार का केवल मात्रात्मक भौतिक सत्यापन किया जाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में वस्तुवार सूची का मूल्यांकन तैयार नहीं किया जाता है।

(ii) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, कर्मचारियों और अन्य पार्टियों के साथ सुलह और/या शेष राशि की पुष्टि की कोई प्रणाली नहीं है और कुछ मामलों में खाते प्रतिकूल शेष राशि को दर्शाते हैं। यह संभावित रूप से एमटीबी में आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, कर्मचारियों और अन्य पार्टियों के संतुलन के गलत विवरण का परिणाम हो सकता है।

(iii) इकाई/क्षेत्र स्तर पर अंतर–इकाई खातों के समाधान की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 से पहले प्रारंभिक बकाया राशि का बड़ा भाग लम्बित है।

(iv) यद्यपि अंचल की इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया गया है, 49 इकाइयों में से केवल 25 विवरण हमें इस विवरण की तिथि तक उपलब्ध कराई गई थीं। आंतरिक लेखापरीक्षा विवरण में उठाए गए बिंदुओं पर समीक्षा और कार्रवाई की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफ॰आर॰एन॰ 000932सी)

–ह॰–
(सी॰ए॰ आर॰पी॰ तिवारी)
साझीदार
स॰सं॰ 071448
यूडीआईएन : 21071448एएएएबीएन2821

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 21.12.2021

भारतीय लेखापरीक्षक और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार
(लेखापरीक्षक–II), उ॰प्र॰
''आडिट भवन'', टीसी–35-V-1, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

पत्रांकः म॰ले॰ (आडिट–II)/ए॰एम॰जी॰–II/लेखा/यू॰पी॰पा॰ट्रां॰का॰लि॰ 2020-21/174 दिनांक : 07.07.2022

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

महोदय,

एतत्सह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टीका–टिप्पणियाँ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के निबन्धनों के अनुसरण में कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की जा रही है। कृपया वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टीका–टिप्पणियों के प्रस्तुत किये जाने की वास्तविक तिथि की सूचना दें।

यह रिपोर्ट लेखापरीक्षिती द्वारा दी गयी एवं उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर बनायी गयी है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II), उत्तर प्रदेश लेखापरीक्षिती की किसी भी गलत सूचना और/अथवा गैर जानकारी के लिए किसी भी जिम्मेदारी को अस्वीकार करता है।

कृपया पत्र की पावती भेजें।

भवदीया,

–ह॰–
(भाविका जोशी लाठे)
वरि॰ उप महालेखाकार

संलग्नक : यथोपरि

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा की अनुरूपता में उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), हेतु 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबन्धन का है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अन्तर्गत नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित सम्प्रेक्षा मानकों की अनुरूपता में कम्पनी अधिनियम की धारा 143 के अनुसार वित्तीय प्रपत्रों पर अभिमत प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से किया गया होना इंगित है।

मेरे द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, की धारा 143(6)(ए) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय प्रपत्रों की पूरक सम्प्रेक्षा सम्पन्न की गयी। यह पूरक सम्प्रेक्षा, वैधानिक सम्प्रेक्षकों के कार्याभिलेखों को प्राप्त किये बिना स्वतंत्र रूप से सम्पादित की गयी है तथा मुख्यतः वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से पडताल, तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षण तक ही सीमित है।

मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर, अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को जो कि मेरे संज्ञान में आये तथा मेरे विचार से वित्तीय प्रपत्रों एवं सम्बन्धित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को बेहतर समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है, को प्रमुखता से दर्शाना चाहूँगा :

अ. वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

चालू परिसम्पत्तियां

व्यापार प्राप्य (नोट–8) : ₹ 6,357.62 करोड़

संदेहास्पद व्यापार प्राप्य – शून्य

1. उपरोक्त वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक के अतिरिक्त राज्य उपभोक्ताओं (मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश) से ₹ 19.62 करोड़ की असंरक्षित प्राप्य राशि दर्ज किया है। ये प्राप्य 3 वर्ष से अधिक पुराने हैं तथा इन पक्षों के विरुद्ध अवशेषों की पुष्टि भी कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थी, किन्तु इन प्राप्यों के विरुद्ध अशोध्य व संदिग्ध ा ऋणों के लिये लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

   वर्ष 2019-20 के लेखों पर टिप्पणी के बावजूद प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

1. सांविधिक लेखा परीक्षक ने वार्षिक आम सभा (एजीएम) में पिछले वर्षों के खातों को अपनाने से पहले, 23 दिसंबर, 2021 को वर्ष के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की। हालांकि, एजीएम में पिछले वर्षों के खातों को न अपनाने के तथ्य को इस सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में नहीं बताया गया है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(2) के साथ पठित धारा 96 और बिंदु संख्या 4 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षकों के नियुक्ति पत्र की 'लेखा परीक्षकों के लिए शर्त' आवश्यक है।

कृते एवं भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक
की ओर से
–ह०–
(तान्या सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 07.07.2022

सी॰एस॰ मर्दन सिंह
बी॰एस॰सी॰, एल॰एल॰बी॰, एफ॰सी॰एस॰
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव

कार्यालय : 7/581/10, सेक्टर–7
विकास नगर
लखनऊ–226 016
मोबाईल : 7355060301, 9415467771, 8960630345
पैन नं. : ए॰जे॰यू॰पी॰एस॰3081एन॰

फार्म नं॰ एम आर–3

सचिवीय सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) एवं कम्पनी (प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं॰–9 के अनुसार।

दिनांक 31-03-2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु

सेवा में,

सदस्यगण,
उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, अशोक मार्ग
लखनऊ–226001
सी॰आई॰एन॰–यू40101यूपी2004एसजीसी028687

मेरे द्वारा उ॰प्र॰ पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, (एतद्वारा कम्पनी से सम्बोधित) में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा कम्पनी में अच्छी निगमित प्रथाओं के पालन का सचिवीय सम्प्रेक्षण किया गया है। उक्त सचिवीय सम्प्रेक्षण इस ढंग से किया गया है जिससे मुझे निगमित आचरण अथवा सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन करने तथा उक्त मूल्यांकन पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु यथोचित आधार प्राप्त हुआ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अधीनस्थ नियमों की आवश्यकतानुसार एवं कम्पनी के पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अन्तर्नियम में दिये गये प्राविधानानुसार दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु कम्पनी द्वारा तैयार किये गये पंजिकाओं, अभिलेखों, पुस्तकों तथा दस्तावेजों का हमारे द्वारा परीक्षण किया गया है।

मेरे ज्ञानश्रेष्ठ तथा हमारे द्वारा किये गये परीक्षण एवं कम्पनी, उसके अधिकारियों एवं अभिकर्ताओं द्वारा मेरे सम्मुख प्रस्तुत व्याख्यानों एवं अभ्यावेदनों के आधार पर निम्नांकित टिप्पणियों के प्रतिबन्धाधीन मेरा अभिमत है कि कम्पनी द्वारा अधिनियम, उसके अधीन निर्मित नियम तथा कम्पनी के पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अन्तर्नियम के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है:–

(ए) विभिन्न सांविधिक पंजिकाओं एवं दस्तावेजों का रखरखाव तथा उनमें आवश्यक प्रविष्टियां करना।

(बी) कम्पनियों के पंजीयक/क्षेत्रीय निदेशक/केन्द्र सरकार/कम्पनी कानून बोर्ड अथवा अन्य प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित प्रपत्र, विवरणियों, दस्तावेजों एवं प्रस्तावों का दाखिल होना।

(सी) कम्पनी का उसके सदस्यों एवं कम्पनियों के पंजीयक को दस्तावेजों का सौंपना।

(डी) बोर्ड की सूचना तथा निदेशक समितियों की विविध बैठकें।

सी॰एस॰ मर्दन सिंह
बी॰एस॰सी॰, एल॰एल॰बी॰, एफ॰सी॰एस॰
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव

कार्यालय : 7/581/10, सेक्टर–7
विकास नगर
लखनऊ–226 016
मोबाईल : 7355060301, 9415467771, 8960630345
पैन नं. : ए॰जे॰यू॰पी॰एस॰3081एन॰

(ई) निदेशकों तथा सभी निदेशक समितियों की बैठकें एवं परिपत्रीय प्रस्तावों का पारित होना।

(एफ) वार्षिक साधारण सभा हेतु बैठक की सूचना एवं आयोजन।

(जी) मण्डल, समिति एवं सामान्य बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त।

(एच) निदेशक मण्डल, निदेशक समितियों, सदस्यों तथा सरकारी प्राधिकरणों हेतु यथा आवश्यकतानुसार अुनमोदन।

(आई) निदेशक मण्डल एवं निदेशक समितियों का स्वरूप।

(जे) सांविधिक सम्प्रेक्षकों एवं लागत सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक।

(के) कम्पनी के अंशो का अन्तरण, निर्गमन एवं आबंटन।

(एल) लाभांश की घोषणा एवं भुगतान।

(एम) उधारियाँ एवं प्रभारों का पंजीयन

(एन) निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन।

(ओ) सामान्यतः, अधिनियम तथा उसके नियमों में निहित समस्त अन्य लागू प्रावधान।

मै अग्रेतर सूचित करता हूँ कि :

(ए) अनुबन्धों एवं व्यवस्थाओं से सम्बन्धित हितों एवं संस्थाओं के सम्बन्ध में, अन्य कम्पनियों में अंशधारिता तथा डायरेक्टरशिप एवं अन्य संस्थाओं में हितों हेतु प्रकटन दिये जाने की आवश्यकता का निदेशकगणों द्वारा अनुपालन किया गया है।

(बी) निदेशकों द्वारा नियुक्ति पात्रता, उनकी स्वतन्त्रता, निदेशकों व वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों हेतु आचार संहिता का अनुपालन किया गया है।

(सी) कम्पनी द्वारा अधिनियम के विविध प्रावधानों की आवश्यकतानुसार समस्त आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं।

(डी) कम्पनी अधिनियम तथा अधिनियम के अधीन नियम, विनियमावली तथा दिशा निर्देशों के अन्तर्गत समीक्षाधीन वर्ष में कम्पनी द्वारा न तो कोई कारण बताओ नोटिस प्राप्त की गई और न ही कोई अभियोजन कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

<u>टिप्पणी</u> :–

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 सपठित धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के सम्प्रेक्षित वित्तीय विवरण को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर अर्थात 30.09.2020 तक अंगीकृत किया जाना आवश्यक था, लेकिन कोविड–19 स्थिति के कारण, वार्षिक साधारण सभा आयोजित करने की अंतिम तिथि को कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 31.12.2020 तक बढ़ा दिया

सी॰एस॰ मर्दन सिंह
बी॰एस॰सी॰, एल॰एल॰बी॰, एफ॰सी॰एस॰
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव

कार्यालय : 7/581/10, सेक्टर–7
विकास नगर
लखनऊ–226 016
मोबाईल : 7355060301, 9415467771, 8960630345
पैन नं. : ए॰जे॰यू॰पी॰एस॰3081एन॰

गया था। आखिरकार वार्षिक साधारण सभा 08.12.2020 को आयोजित की गयी। इस सभा में कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक वित्तीय प्रपत्र (वार्षिक लेखे) अंगीकृत कराये जाने हेतु तैयार नहीं थे तथा यह साधारण सभा स्थगित कर दी गयी, अतएव कम्पनी वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेखों को इस वार्षिक साधारण सभा में अंगीकृत नहीं कराए जा पाने के कारण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रही है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 सपठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के प्रावधानो के अनुसार, कंपनी द्वारा निदेशक मण्डल में न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। अग्रेतर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत जब लेखापरीक्षा समिति का गठन करते है, ऐसी समिति के संयोजन में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति आवश्यक होती है। इसी तरह, जब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निगमिय सामाजिक दायित्व समिति का गठन करते है, कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक को वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सामाजिक दायित्व समिति के संरचना में नियुक्त किया जाना चाहिए। कंपनी ने न तो अपने निदेशक मंडल के संयोजन में, न ही सम्प्रेक्षा समिति और निगमीय सामाजिक दायित्व समिति की संरचना में स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त किया है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधान सपठित नियम (5) कम्पनीज़ (लागत एवं सम्प्रेक्षा) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से 180 दिनों के भीतर लागत सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति करना आवश्यक है और इन नियमों के नियम (6) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक लागत सम्प्रेक्षक वित्तीय वर्ष के समापन से 180 दिनों के भीतर, जिस वर्ष से यह सम्बन्धित हो, अपना प्रतिवेदन कम्पनी के निदेशक मण्डल को अग्रसारित करेगा।

मेसर्स के॰बी॰ सक्सेना एण्ड एसोसिएटेड, लखनऊ को उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कम्पनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019–20 का लागत सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन निदेशक मण्डल के सम्मुख विलम्बतम 30.09.2019 तक प्रस्तुत किया जाना था।

लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेख पर आधारित सूचना के अनुसार वर्ष 2019-20 की लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को निदेशक मण्डल के समक्ष उक्त निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपरोक्त प्रावधानों का कम्पनी द्वारा सम्बन्धित नियमों का अनुपालन नही किया गया है।

मुझे अग्रेतर यह भी सूचित करना है कि इस सम्प्रेक्षा में प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर को सम्मिलित करते हुए प्रभावी वित्तीय अधिनियमों की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि इस विषय पर सांविधिक सम्प्रेक्षक तथा अन्य नामित पेशेवर के स्तर पर समीक्षा की जानी है।

सी॰एस॰ मर्दन सिंह
बी॰एस॰सी॰, एल॰एल॰बी॰, एफ॰सी॰एस॰
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव

कार्यालय : 7/581/10, सेक्टर–7
विकास नगर
लखनऊ–226 016
मोबाईल : 7355060301, 9415467771, 8960630345
पैन नं. : ए॰जे॰यू॰पी॰एस॰3081एन॰

मुझे अग्रेतर यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त कथनों के प्रतिबन्धाधीन कम्पनी के निदेशक मण्डल का स्वरूप कार्यपालक निदेशक, एवं गैर कार्यपालक निदेशक के उचित संतुलन के साथ उपयुक्त रूप से गठित है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल के स्वरूप में जो भी परिवर्तन हुए वे अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार ही किए गए है। समस्त निदेशकों को निदेशक मण्डल की बैठकों के सम्बन्ध में पर्याप्त नोटिस दी गई है। एजेण्डा तथा एजेण्डा पर विस्तृत नोट पहले से ही प्रेषित कर दिये गये थे तथा बैठक को सार्थक प्रतिभागिता हेतु बैठक से पूर्व ऐजेण्डा बिन्दुओं पर और ज्यादा सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु समुचित प्रणाली विद्यमान है। निदेशक मण्डल की बैठकों मे प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर निर्णयों को सर्वसम्मति से पारित करते हुये कार्यवृत्त में दर्ज किया गया।

मुझे अग्रेतर यह सूचित करना है कि कम्पनी के आकार एवं परिचालनों की अनुरूपता में प्रभावी अधिनियमों, नियमों, विनियमावलियों तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने तथा उसकी देखरेख हेतु कम्पनी में समुचित प्रणाली एवं प्रक्रिया विद्यमान है।

ह/–
(मर्दन सिंह)
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव
एफ॰सी॰एस॰ : 1933
सी॰पी॰न॰ : 10705
यूडिन : एफ001933डी000355539

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 20.05.2022